सप्तम माला, खंड 47, अंक 40, शनिवार, 21 अप्रैल, 1984/1 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शनिवार, 21 अप्रैल, 1984/1 वैशाख, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 8, "निधेयक" के स्थान पर "विधेयक" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 10, "बो" के स्थान पर "वो०" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), नीचे से पंक्ति 3, "भूवनेश्बर" के स्थान पर "भुवनेश्वर पढ़िये।

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 व 21, "जंगशन" के स्थान पर "जंक्शन" पढ़िये।

पृष्ठ 8, नीचे से पंक्ति 6 व पृष्ठ 9, पंक्ति 6, "श्री" के स्थान पर "प्रो पढ़िये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 6, माननीय सदस्य के नाम से पहले "श्री" के स्थान पर "प्रो०" पढ़िये।

पृष्ठ 19, नीचे से पंक्ति 9, "वयान" के स्थान पर "बयान" पढ़िये।

पृष्ठ 19, नीचे से पंक्ति 4, "इदुक्को" के स्थान पर "(इदुक्को)" पढ़िये।

पृष्ठ 19, नीचे से पंक्ति 3, "चन्द्र" के स्थान पर "चन्द" पढ़िये।

पृष्ठ 20, नीचे से पंक्ति 8, "मिनिष्टर" के स्थान पर "मिनिस्टर" पढ़िये

पृष्ठ 20, नीचे से पंक्ति 6, "डेपुटी" के स्थान पर "डिप्टी" पढ़िये।

पृष्ठ 22, नीचे से पंक्ति 5, "समाप्ता" के स्थान पर "समाप्त" पढ़िये।

पृष्ठ 30, नीचे से पंक्ति 5, "समर्थम" के स्थान पर "समर्थन" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 16, आरंभ में "माननीय" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 31, पंक्ति 20, "12·52 म०प्र०" के स्थान पर "12·52 म०प०" पढ़िये

पृष्ठ 32, प्रथम पंक्ति, "श्री चिन्तामणि पाणिग्रही" के स्थान पर "श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी" पढ़िये।

पृष्ठ 57, पंक्ति 7, "टेलल" के स्थान पर "टेबल" पढ़िये।

पृष्ठ 66, पंक्ति 16, "आदरणीय" के स्थान पर "आदरणीय" पढ़िये।

पृष्ठ 71, प्रथम पंक्ति, "जैना" के स्थान पर "जेना" पढ़िये।

पृष्ठ 72, पंक्ति 1 और पृष्ठ 74, पंक्ति 1, "जैन" के स्थान पर "जेना" पढ़िये

पृष्ठ 77, पंक्ति 2, "x" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 3, "क्योंकि" के बाद "मैं" अंत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 4, "आरम्भ में" "x" अंत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 81, पंक्ति 4, "मवेलोवाटा" के स्थान पर "मवेलोकारा" पढ़िये।

पृष्ठ 81, पंक्ति 10, "श्री" के स्थान पर "प्रो०" पढ़िये।

पृष्ठ 81, नीचे से पंक्ति 2 तथा पृष्ठ82, प्रथम पंक्ति "कैक्ट्री" के स्थान पर "फैक्टरी" पढ़िये।

पृष्ठ 85, अंतिम पंक्ति, "शजापुर" के स्थान पर "राजापुर" पढ़िये।

पृष्ठ 96, पंक्ति 13, "चंकि" के स्थान पर "चूंकि" पढ़िये।

पृष्ठ 100, पंक्ति 5, "म०प्र०" के स्थान पर म०प०" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 40, शनिवार, 21 अप्रैल, 1984/1 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
विधेयकों पर अनुमति	1
पंजाब में होशियारपुर जिले में मुकेरियां में 18, अप्रैल, 1984 को पाकिस्तान के एक छोटे विमान के उतरने के बारे में वक्तव्य	1-3
श्री आर० वेंकटरामन	2-3
सभा का कार्य	3-11
वित्त विधेयक, 1984	13-100
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री बी० एस० विजयराघवन	13
श्री के० प्रधानी	16
श्री मूलचन्द डागा	18
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	26
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	30
श्री अर्जुन सेठी	36
श्री राम प्यारे पनिका	39
श्री नुरूल इस्लाम	44
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	49
श्री भुवनेश्वर भूयन	56
श्रीमती कृष्णा साही	56
श्री मगनभाई बरोट	60
श्री केयूर भूषण	66

श्री चिन्तामणि जेना 71

श्री पी० नामग्याल 74

श्री ए० के० बालन 77

श्री डी० पी० यादव 82

प्रो० एन० जी० रंगा 88

श्री एस० टी० के० जक्कायन 95

श्री दिलीप सिंह भूरिया 97

लोक सभा

शनिवार, 21 अप्रैल, 1984/1 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं सभा को 30 मार्च, 1984 को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं—

(1) नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1984 ।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1984 ।

(3) गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1984 ।

(4) इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1984 ।

पंजाब में होशियारपुर जिले में मुकेरियां में 18 अप्रैल, 1984 को पाकिस्तान के एक छोटे विमान के उतरने के बारे में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : रक्षा मन्त्री द्वारा वक्तव्य ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 के अंतर्गत आपको नोटिस दिया है कि जब यह पाकिस्तानी हवाई जहाज भारत में उतरा उस पर एडजोर्नमेंट मोशन मंजूर करें तो कहा गया कि गवर्नमेंट इन्फार्मेशन कलैक्ट कर रही है और फिर हवाई जहाज छोड़ दिए गए ।

जब यह मसला पार्लियामेंट के सामने है तो पार्लियामेंट के सामने आने से पहले एक्शन कैसे लिया गया ? यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नियम 222 के अधीन नोटिस दिया है । उस पर विचार किया जाएगा । अब रक्षा मन्त्री वक्तव्य देंगे ।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के एक सेना विमान को 18 अप्रैल, 1984 को 14.30 और 14.50 बजे के बीच पंजाब के जिला होशियारपुर में मुकेरियां नामक स्थान के पास एक खेत में मजबूरी में उतरना पड़ा ।

2. प्राप्त सूचना के अनुसार यह विमान लाहौर फ्लाइंग क्लब का है और यह 18 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार पूर्वाह्न ग्यारह बजे के लगभग वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर से दो घण्टे की प्रशिक्षण उड़ान पर उड़ा था और उसमें दो व्यक्ति—एक लोहार फ्लाइंग क्लब का प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षार्थी सवार थे । इस अवधि में यह विमान अपना रास्ता भटक गया और रावी नदी के किनारे से होकर लौटने की बजाए यह व्यास नदी के किनारे उड़ने लगा । यह विमान फिरोजपुर के समीप भारतीय वायु सीमा में लगभग 12.50 बजे घुस आया और व्यास नदी के किनारे-किनारे उत्तर-पूर्व की ओर उड़ने लगा । चूंकि विमान का ईंधन समाप्त होने वाला था इसलिए इसे लगभग 14.30 बजे मुकेरियां में एक खेत में मजबूरन उतरना पड़ा ।

3. जैसे ही यह विमान 12.50 बजे भारतीय वायु सीमा में प्रविष्ट हुआ तो फिरोजपुर के समीप हुसैनीवाला स्थित सीमा सुरक्षा बल की ओबजरवेशन पोस्ट को उसका पता चल गया जिन्होंने इसकी सूचना तत्काल सेना तथा वायुसेना प्राधिकारियों को दे दी । यह विमान बहुत निचाई पर उड़ रहा था । इसके तत्काल बाद फिरोजपुर के इस क्षेत्र की विमान द्वारा तलाश शुरू कर दी गई । इसके साथ ही पाकिस्तान के इस विमान का पता लगाने से लिए थलसेना, पुलिस और सिविल प्राधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया । इसके बाद पंजाब सरकार से सूचना मिली कि इस विमान को मुकेरियां में मजबूरी में उतरना पड़ा है और इसमें सवार दोनों व्यक्तियों से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह विमान किन परिस्थितियों में उतरा है ।

4. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि यह विमान गलती से भारतीय हवाई क्षेत्र में आ गया और जब इसका ईंधन खत्म होने लगा तो इसे मुकेरियां में विवश होकर उतरना पड़ा ।

5. इस विमान की वायुसेना प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई और जांच के दौरान मालूम हुआ कि इसमें आम गेडरेट्स लगे हुए थे और इसमें किसी तरह के अतिआधुनिक इलैक्ट्रानिकी उपकरण नहीं थे ।

6. पाकिस्तान सरकार ने अपने इस सिविलियन प्रशिक्षण विमान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने के लिए भारत सरकार से खेद व्यक्त किया है ।

7. हाल ही में पाकिस्तानी विमानों द्वारा हमारी वायु सीमा का उल्लंघन करने की और भी कुछ घटनाएं हुई हैं। ये सभी मामले पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए गए हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को दुबारा होने से रोका जा सके। अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के लिए हमने पर्याप्त प्रबन्ध किए हुए हैं। हमारी सुरक्षा सीमाओं की चौकसी के कारण ही इस विमान द्वारा हमारी वायुसीमा का उल्लंघन करने के बारे में पता लग सका जिसकी वजह से इसकी तलाश शुरू कर दी गई।

8. 19-4-1984 की रात को गृह मन्त्रालय ने पंजाब सरकार को इस विमान में सवार दोनों व्यक्तियों को पाकिस्तान वापस भेजने तथा विमान को छोड़ देने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं जानना चाहता हूं.....।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए पूर्व सूचना दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने इसकी पूर्व सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपने इसकी पूर्व सूचना दी है तो हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसकी पूर्व सूचना दी है और उस पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी इसकी पूर्व-सूचना दीजिए। उस पर विचार किया जाएगा। अब श्री बूटा सिंह वक्तव्य देंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पैपर्ज में रिपोर्ट आई है कि पायलट के पास लाईसेंस नहीं पाया गया, उसके पास लाइसेंस था या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : महोदय, शून्य काल का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल जैसी कोई चीज नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, पटना शहर में पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बूटा सिंह वक्तव्य देंगे।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 23 अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार तथा पारित करना ।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(1) पंजाब वाणिज्य उपज उपकर (संशोधन) विधेयक, 1984

(2) पंजाब राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1984

(3) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1982

4. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर आगे विचार और पारित करना ।

5. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(1) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984

(2) मुगल लाइन्स (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1984

(3) दि एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड एल्यूमिनियम उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1983

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी 23 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लोक सभा की कार्यवाही में मेरे निम्नलिखित विषयों को भी सम्मिलित करने की कृपा करें :—

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बिजली का गम्भीर संकट चल रहा है, जिसके कारण ये दोनों राज्य घोर अन्धेरे में डूब हुए हैं । किसानों की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है और निर्माण, विकास तथा उत्पादन के कार्यों की गति भी बहुत धीमी पड़ गई है । आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार के पटराटू और बरौनी ताप विद्युत गृहों तथा उत्तर प्रदेश के ओवरा एवं अन्य बिजलीघरों में क्षमता से कम बिजली उत्पादन से यह स्थिति उत्पन्न हुई है ।

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों तथा अन्य प्रदेशों में हरे और फलदार वृक्षों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है और इस अपराध में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस की मिली-भगत है। ये लोग सरकारी नीति और विभाग के आदेशों की कतई परवाह नहीं करते। वन हमारे जीवन के आधार हैं। औद्योगीकरण के इस युग में जब लाखों कल-कारखानों, विभिन्न किस्म के करोड़ों वाहनों तथा तरह-तरह की गन्दगी से जो जहर घुला है, उसका परिमार्जन और वातावरण में शुद्ध वायु का संचार वनों के द्वारा ही होता है। वनों से रेगिस्तान की वृद्धि रुकती है और पृथ्वी की उत्पादन-शक्ति बढ़ती है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि अगले सप्ताह की सरकारी कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय शमिल किए जाएं।

एक तो गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में है। हाल ही में संयुक्त नदी आयोग की जो बैठक ढाका में हुई वह गंगा के पानी के बटवारे के बारे में, विशेषकर उन महीनों के दौरान जब पानी की कमी होती है एक राय कायम नहीं कर सकी।

दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का वर्तमान अनुबंध बराबर और उचित नहीं है, क्योंकि जिन दिनों पानी का अभाव होता है कलकत्ता बदरगाह की सेवा योग्यता के लिए भागीरथी में 40,000 क्यूसैक पानी का होना अत्यन्त आवश्यक है।

बंगलादेश सरकार द्वारा जो विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है उसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं।

इस विषय पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

दूसरे श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलभाषी लोगों पर अत्याचार के परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। 'पाक स्ट्रेट' की नौसेना द्वारा नाकेबन्दी का समाचार प्राप्त हुआ है। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्री भारत के दौरे पर आए थे।

मैं चाहता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में भी वक्तव्य अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित मद अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किए जाएं।

अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापित करना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक खण्ड पीठ ने हाल ही में पुनः प्रख्यापित राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह असंवैधानिक है।

न्यायालय की राय में "कि अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित करके या पुराने अध्यादेशों को फिर से जारी करके अथवा उनके प्रावधानों का पुनर्अधिनियमन करके संविधान द्वारा निर्धारित अधिकता पर समय सीमा से अध्यादेश की अप्रत्यक्ष रूप से अवधि बढ़ाना सरकार द्वारा संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग होगा।" बार-बार अध्यादेशों के पुनप्रख्यापन तथा इस विषय पर विधेयक पारित न करने

के प्रयास की प्रवृति को न्यायालय ने अनुचित बताया है। निर्णय में यह कहा गया है कि यदि सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सामना करने का साहस किए बिना तथा उनके समक्ष संसद में अध्यादेशों के प्रतिस्थापन के लिए विधेयक लाए बिना अध्यदेशों के पुनः प्रख्यापन द्वारा शासन करने का जोखिम उठाती है तो यह एक छलपूर्ण कार्य होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को हम कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा सम्मिलित करवा सकते हैं और इस पर व्यापक चर्चा हो सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : इस निर्णय की पृष्ठभूमि में यह कहना सही होगा कि उन्ही अध्यादेशों का 30 से भी अधिक बार पुनः प्रख्यापन किया जाना लोकतन्त्र विरोधी प्रथा है और इन अध्यादेशों का 14 साल तक जारी रहने देना, जैसा कि बिहार में हो रहा है, संविधान की भावना का अतिक्रमण करना है।

इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो रही है यह उचित होगा यदि अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन पर लोक सभा में भी चर्चा हो। मैं इस चर्चा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, केवल स्वीकृत वक्तव्य ही रिकार्ड में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री के आगामी सप्ताह की कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित दो मुद्दे सम्मिलित कराने हेतु प्रार्थना करता हूं :—

1. बरेली जंक्शन से दिन में मथुरा जंक्शन होकर आगरा फोर्ट तक के लिए मेल तथा एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। इसी प्रकार बरेली जंक्शन से आंवला, चन्दौसी होकर अलीगढ़ के लिए कोई मेल या एक्सप्रेस टेन नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र का विकास भी पूरी गति से नहीं हो पाता। सरकार द्वारा बरेली व बदायूं के मध्य शटल गाड़ियां चलाने का निश्चय किया गया है परन्तु अभी तक चलाई नहीं गई हैं। बरेली से आगरा फोर्ट तक और बरेली से अलीगढ़ तक तुरन्त ही मेल व एपसप्रेस ट्रेन चलाई जानी चाहिए और बरेली बदायूं के बीच शटल सेवा शीघ्र प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए।

2. कार्यालय महालेखाकार का विभाजन करने की योजना से 60,000 कर्मचारियों के अतिरिक्त इलाहाबाद के नागरिक भी बहुत क्षुब्ध हैं। पुनर्गठन की योजना के अनुसार आडिट और

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एकाउन्ट्स विभाग अलग-अलग होंगे तथा कर्मचारियों का लीयन तक स्थानांतरित होगा आडिट विभाग के कर्मचारी बेहतर वेतनमान के हकदार होंगे और लेखा विभाग के कर्मचारी पूर्ववर्ती वेतनमान में ही काम करेंगे। इस प्रकार की भेदभावपूर्ण, असंगत और असंवैधानिक विघटन योजना से भविष्य में गम्भीर विवाद उत्पन्न हो जायेंगे। इस विभाजन से प्रयाग नगर की गरिमा को भी ठेस लगेगी। इस आडिट और एकान्ट्स विभाग के विभाजन की योजना को तुरन्त निरस्त किया जाए।

आगामी सप्ताह की संसद की कार्यवाही में इन दो मुद्दों को विचार के लिए सम्मिलित किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखता हूं क्योंकि अविलंबनीय लोक महत्व के विषय हैं।

(1) कई उद्योग जिनका स्वामित्व और नियन्त्रण सरकार के पास है, इस आधार पर बन्द किए जा रहे हैं कि ये इकाइयां व्यवहार्य नहीं हैं। इस बहाने को लेकर कई इकाइयां जैसे 'कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड', 'कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड' और ईरानियन रबर मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और अन्य कई इकाइयां पहले ही बन्द की जा चुकी हैं जिसके फलस्वरूप हजारों कामगार बेकार हो गए हैं। यह चिंता का विषय है कि बीको लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड जैसी विख्यात इंजीनियरिंग इकाई भी बन्द होने जा रही है जिससे करीब 1400 कामगार बेराजगार हो जाएंगे। सरकार के लिए यह अति आवश्यक है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करे और सभा में इस पर चर्चा करके, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे, जिससे यह इकाइयां औद्योगिक उत्पादन और मजदूरों के हित में फिर से खुल जाएं और चल सकें।

(2) देश में नौवहन उद्योग संकट की स्थिति से गुजर रहा है। बहुत-सी कम्पनियां अपना व्यापार बन्द करने के विचार से अपने जहाज बहुत कम कीमतों पर बेच रहे हैं। विभिन्न कम्पनियां छंटनी कर रही हैं जिससे मजदूरों पर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े हैं। सरकार को इससे बहुत नुकसान होगा क्योंकि यह भारतीय नौवहन के भविष्य से सम्बन्धित है और यही नहीं सरकार ने जो उधार नौवहन विकास और वित्त निगम एवं अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया है उसकी वसूली का भी प्रश्न है। निजी क्षेत्र में सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी लिमिटेड जैसी विख्यात नौवहन कम्पनी ने भी अपने मजदूर बल को 50% कम करने का निर्णय किया है। भारतीय नौवहन कर्मचारी महासंघ ने नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की है क्योंकि यही बात वर्तमान संकट-मयी परिस्थिति से इस उद्योग को इस समय उभार सकती है। अत: यह आवश्यक है कि इस महत्व-पूर्ण मागले की सदन में चर्चा हो और सरकार को इससे सम्बन्धित नीति की घोषणा शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिए।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं।

बिहार में कासाज्वर तथा उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य भागों में चेचक से मरने वालों के काफी समाचार आए हैं। ये दोनों बीमारियां संक्रामक रोग हैं। सैंकड़ों व्यक्तियों की मौतें अभी तक

हो चुकी हैं। बिहार के बैशाली जिले में कालाज्वर का भयंकर प्रकोप शुरू हो गया है। अकेले एक जिले बैशाली में एक सौ से अधिक लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब कालाज्वर एवं चेचक की रोकथाम हेतु कार्यवाही करे।

बिहार में अभी गर्मी आई नहीं कि पानी का सर्वत्र अकाल छा गया है। एक तो गर्मी के कारण पानी का अभाव हो रहा है, दूसरा कारण यह भी है कि बरौनी एवं पतरातु पावर जनरेशन के ब्रेक डाउन होने के कारण 19-4-84 से पटना में पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति बन्द है। दक्षिण बिहार में पानी का हाहाकर है। लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

अतः सरकार से मांग है कि उपरोक्त दोनों लोक महत्व के विषयों पर अगले सप्ताह में चर्चा करायें।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं निम्नलिखित बातों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करने की पूर्व सूचना देता हूं।

मोरबा और इलाहाबाद के बीच 19 रात की रात को विद्युत आपूर्ति में गडबड़ी के कारण सम्पूर्ण पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्य भागों को छः घण्टे तक बिजली के बिना रहना पड़ा।

उत्तर प्रदेश विद्युत व्यवस्था में भारी अड़चन आने के कारण बिहार को बिजली नहीं मिली और परिणामस्वरूप उड़ीसा में एक ग्रिड ढह गया।

बताया गया है कि यह आकस्मिक बाधा तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण हुआ। इस विषय पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इससे पहले कि वह अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू करें, मुझे व्यवस्था का मामला उठाना है। यहां एक परम्परा का गम्भीर उल्लंघन हुआ है। महिला सदस्यों को मौका पहले दिया जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे नोट किया जा सकता है;

प्रो० **श्री मधु दण्डवते (सजापुर)** : तभी तो हमने श्रीमती गांधी को देश की प्रधानमन्त्री बनने की अनुमति दे दी।

श्री बूटा सिंह : इसीलिए श्रीमती दण्डवते को पहला मौका दिया जाना चाहिए और प्रो० मधु दण्डवते को उनके बाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ द्वारा यह नोट किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हर जगह यह उलझन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि यदि पति-पत्नी दोनों को मौका दिया जाता है तो श्रीमती प्रमिला दण्डवते को पहले और प्रो० दण्डवते को बाद में मौका दिया जाए।

श्री बूटा सिंह : मैं समझता हूं कि शून्यकाल में आपको बड़ी राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपने पहले कहना चाहिए था। मैं समझता हूं प्रो० दण्डवते इस पर सहमत हो जाते।

प्रो० (श्री) मधु दण्डवते : घर की शांति के हित में मुझे कोई ऐतराज नहीं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं चाहूंगी कि निम्न विषय आगामी सप्ताह के कार्य में शामिल कर लिया जाए। यदि मुझे यह वक्तव्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता तो मैं बहुत खुश होऊंगी।

जब संसदीय कार्य मन्त्री सदन में आगामी सप्ताह के सरकारी कार्य की घोषणा करें तब मैं भी चाहूंगी निम्नलिखित विषय उसमें शामिल कर लिए जाए :—

1. उन महिला संस्थाओं की संख्या जो पिछले कई वर्षों से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दहेज के कारण होने वाली मौतों और दहेज मांगों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए संशोधन के लिए अनथक कार्य कर रही हैं।

इस बुरी प्रथा के विरुद्ध उन्होंने जनमत बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की कार्यान्वयन रिपोर्ट की जांच के लिए गठित संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें संसद को 11-8-1982 को पेश कर दी है।

बड़े अफसोस को बात है कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिलाए जाने के बावजूद और 26-8-1983 को दहेज विरोधी चेतना मंच के शिष्टमण्डल को स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा यह कहने पर भी कि बिल पेश होने वाला है—यह यहां असंशोधित पड़ा है और महिलाएं कुरीति की शिकार होती जा रही हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि अगले सप्ताह संसद में बिल पेश किया जाए।

श्री बूटा सिंह : यदि मैं सच्ची बात कहूं मुझे श्रीमती प्रमिला दण्डवते द्वारा कहे गए विषय को पहले लेना चाहिए था, क्योंकि मैं अधिकारियों से पूछताछ कर रहा था कि यह विधेयक (संशोधन) आगे क्यों नहीं लाया। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इसे जल्दी से जल्दी यदि सम्भव हुआ तो इसी अधिवेशन में पेश किया जाएगा ताकि इस कार्य को उतना महत्व दिया जा सके जितना इसे दिया जाना चाहिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : फिर यह अस्पष्ट है।

(व्यवधान)

मराठी बहुएं जलाई जाती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अभी कुछ दिन पहले ही मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि इसे इसी सत्र में पेश किया जाएगा, अब वे कहते हैं इसकी जांच की जाएगी।

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं बशर्ते मुझे जानकारी मिल जाए, इस बारे में मैं अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हूं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मामले भी निसन्देह काफी महत्वर्ण हैं लेकिन आपने निर्णय दे दिया है हम इसे लोक लेखा समिति के समक्ष पेश कर देंगे और आगामी सप्ताह की कार्य सूची में अधिक से अधिक मामले शामिल करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। अब हम अगले विषय विधायी कार्य को लेंगे। मैं समझता हूं हमने आज की बैठक शनिवार को इसलिए बुलाई है कि हम अपना विधायी कार्य पूरा कर सकें, मैं सभी के लिए अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यहां एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। मैं इसे सभा के सभी सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं। भारत में हमारा संविधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता की गारंटी देता है। जम्मू व कश्मीर में एक मेधावी है, उसने मनुष्य के क्रम विकास के बारे में डारविन के सिद्धांत के समर्थन में एक पुस्तक लिखी, इसके लिए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इससे जाहिर है कि दकियानूस ताकतें, जम्मू व कश्मीर में फिर सिर उठाने लगी हैं। यह उस सबके विपरीत है जिसके लिए हम एक राष्ट्र, एक देश के रूप में वचनबद्ध हैं। इसलिए·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने किसी प्रस्ताव का नोटिस दिया है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : बुद्धिजीवी तेजबहादुर भान को गिरफ्तार किया गया है। पूरे राज्य में उसे मुक्त करने के लिए शोर मच रहा है। इसलिए इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है और हमने नोटिस दे दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सचमुच मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि डारविन के सिद्धांत के समर्थन में पुस्तक लिखने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप जानते हैं यह स्वतन्त्रता का प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, मैं उसी पर जोर देकर कह रहा हूं, जमाते उल-इस्लाम ने इस लेखक की गिरफ्तारी की मांग की। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर गौर करके स्पष्टीकरण दे।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, मैं तहे दिल से प्रो० तिवारी का समर्थन करता हूं**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बाद की टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : देश में नाबालिग लड़कियां वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए मजबूर की जा रही हैं । इस सिलसिले में एक श्रमजीवी पत्रकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खट-खटाया है और उच्चतम न्यायालय ने राज्यों की टिप्पणियां मांगी हैं । चार राज्यों ने उत्तर देने से इन्कार कर दिया है । मैं चाहूंगी कि उस पर चर्चा की जाए ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने और श्री मधु दण्डवते जी ने एक प्रिविलेज का मोशन दिया था, जिसमें 10 कांग्रेस (आई) के एम० पीज ने दो पार्लियामेंट के मेम्बरों के खिलाफ अनर्गल शब्दों का व्यवहार किया था जो संसदीय परम्परा के विरुद्ध है···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है इसे कल उठाया गया था । मेरे विचार में इसे अस्वीकार कर दिया गया था ।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, यह विचाराधीन है । यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हम समझते हैं कि यह तय कर लिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे नामन्जूर कर दिया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कारण बताने की आवश्यकता नहीं ।

प्रो० के० के० तिवारी : सदस्य उठ नहीं सकते और···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सदस्य सदन में आने और स्पष्टीकरण पूछने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : सदन के नियम सदस्य को स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति देते हैं **(व्यवधान)** ।

आरोपों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि सदस्य स्पष्टीकरण अथवा कुछ निजी स्पष्टीकरण मांगते हैं तो इसका मतलब है कि छुपाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है ।

---

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसकी इजाजत नहीं दी । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी । इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विनिर्णय ? आप किस पर विनिर्णय के लिए कह रहे हैं ? इसे नामन्जूर कर दिया गया है । विनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे नामंजूर कर दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चुनौती नहीं दे सकते ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है, ऐसा रिकार्ड पर भीहै कि "मामला मेरे विचाराधीन है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा आप कह रहे हैं ।

श्री बूटा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी है । आप इसे क्यों उठा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, मुझे मालूम है कि इस पर विचार करने के बाद अध्यक्ष द्वारा इसे नामन्जूर कर दिया गया था और यदि आप इस विषय को फिर से खोलना चाहते है तो कल को खोलें ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल को ?

उपाध्यक्ष महोदय : कल का मतलब सोमवार को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसे नामन्जूर कर दिया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने कहा है कि मामला विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में होगा । हम उन्हें देख सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में 30 शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को बोडेड लेबर बनाकर रखा हुआ है और मैंने इसके लिए एजोर्नमेंट मोशन दिया है ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसे नामन्जूर कर दिया गया है ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : स्पीकर महोदय के आदेशानुसार मैंने 353 के तहत नोटिस दिया है, जिसमें एलीमेशन लगाया है कि कामर्स मिनिस्टर ने **.....और कामर्स मिनिस्ट्रो

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

का जो लेटर आया है, वह मेरे पास भेजा गया है लेकिन स्पीकर महोदय ने इस पर क्या फाइंडिंग, दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : देश में सब तरफ बिजली का संकट है। श्री राम विलास पासवान ने भी इसका जिक्र किया। विभिन्न राज्य सरकारों की बहुत-सी परियोजनाएं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय में लम्बित पड़ी हैं क्योंकि योजना आयोग ने अपनी अनुमति देनी है और निधि की व्यवस्था की जानी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। युवा कर्मठ मन्त्री यहां पर हैं। उन्हें कुछ उत्साह दिखाना चाहिए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी इन परियोजनाओं को काफी देर से दबाए बैठे हैं, विशेषकर पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से सम्बन्धित परियोजनाएं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : समस्या यह है कि एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और प्रस्ताव में जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये हैं उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे आरोप नहीं मालूम। परन्तु मामले पर बहस की जा रही है, उल्लेख हो रहा है। आरोप क्या है? मुझे यह भी नहीं मालूम। मेरा अनुरोध है कि क्या मैं अपना व्यक्तिगत स्पटीकरण देने का हकदार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने आज के लिये कोई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? आप चैम्बर में मुझे मिलिये। आप मेरे एक अच्छे मित्र हैं।

वित्त विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे। श्री विजयराघवन अपना भाषण जारी रखें। वे 7 मिनट का समय पहले ले चुके हैं।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : कल मैं केरल की समस्या के विषयं में कह रहा था। केरल को हमेशा एक समस्यात्मक राज्य समझा गया है। राजनैतिक अर्थ में यह सच भी था। उस प्रदेश की राजनैतिक स्थिति में श्री करुणाकरण के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा कार्यभार संभालने के पश्चात् आलूम परिवर्तन आया है। अब इस राज्य में राजनैतिक स्थायित्व है। परन्तु कुछ मूल आर्थिक समस्याओं को सुलझाना अभी शेष है।

मुख्य समस्या चावल की कमी की है। आप जानते ही हैं, केरल में खाद्य की कमी है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें केन्द्रीय आवंटन पर निर्भर रहना पड़ता है। केरल को सार्वजनिक विवरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति मास 2 लाख दस हजार टन चावल की जरूरत पड़ती है। वैसे केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश की सबसे बढ़िया प्रणाली माना गया है। परन्तु अपर्याप्त आबंटन ने इसको कम कारगर बना दिया है। 2 लाख दस हजार टन

---

* मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

चावल की मांग की तुलना में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1983 के दौरान केन्द्रीय आबंटन एक लाख बीस हजार टन था। परन्तु बाद में यह स्तर भी नहीं रखा गया। हमें केन्द्र ने गेहूं और अधिक मात्रा में गेहूं लेने का परामर्श दिया है। मैं केन्द्रीय सरकार की देश के विभिन्न भागों में खाद्य सप्लाई बनाये रखने की चिंता को अच्छी तरह से समझता हूं। परन्तु कई शताब्दियों से बनी खाने-पीने की आदतें हम थोड़े से समय में कैसे बदल सकते हैं। इसलिये केन्द्र को चावल आबंटन के मामले में थोड़ा-सा और विचारशील होना चाहिए। केरल सरकार ने चावल उत्पादक राज्यों से सीधे चावल खरीदने की अनुमति मांगी है। केन्द्र ने अनुमति नहीं प्रदान की। इससे भी राज्य में चावल की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए, इस मामले में केन्द्र को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिये तथा समाधान खोजना चाहिये ताकि केरल के गरीब लोगों को कष्ट न झेलना पड़े।

राज्य को एक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नारियल के वृक्षों की जड़ मुरझा जाने वाले रोग के कारण व्यापक क्षति पहुंच रही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि केरल की अर्थ-व्यवस्था में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुमान है कि भारत में नारियल की खेती के अन्तर्गत लगभग 1.12 मिलियन हैक्टार भूमि है और वार्षिक उत्पादन लगभग 6000 मिलियन नारियल है। इस भयंकर रोग के कारण 340 मिलियन नारियलों की वार्षिक क्षति होती है। यह रोग भूमि के लगभग 2.5 लाख हैक्टार क्षेत्र में फैला हुआ है। केरल में नारियल की खेती का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.4 लाख हैक्टार है। आह अच्छी तरह से इस क्षति की मात्रा और रोग की गंभीरता की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि इस रोग के कारणों का पता लगाने के लिए केरल में कुछ अनुसंधान किया जा रहा है, परन्तु अभी तक कोई प्रभावकारी दवा नहीं निकली। इस रोग से प्रभावित उत्पादकों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार कीं कुछ योजनाएं हैं। परन्तु यह काफी नहीं है। इससे निपटने के लिए उदार वित्तीय सहायता और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संदर्भ में मैं यह मांग करूंगा कि नारियल के इस जड़ मुरझा जाने वाले रोग को राष्ट्रीय रोग घोषित किया जाये।

महोदय, केरल मुख्य रूप से एक नकद फसल उत्पादक राज्य है। पिछले वर्ष के भयंकर सूखे ने इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इलायची, जायफल, काफी, रबड़ आदि जैसी महत्त्वपूर्ण नकद फसलों की व्यापक रूप से क्षति हुई है। सर्वाधिक क्षति इलायची बागान की हुई है। सूखे के पूरा प्रभाव का अभी आकलन किया जाना है। केन्द्रीय दल ने कुछ अध्ययन किया है और उसके आधार पर बागान की पुनः स्थापना और पुनः पौधरोपण हेतु केन्द्रीय सरकार ने कुछ धनराशि प्रदान की है। इस प्रयोजन के लिए इलायची बोर्ड ने हाल ही में एक योजना तैयार की है और इसे मंजूरी के लिये केन्द्र को भेजा है। मुझे आशा है कि सरकार इस योजना को बहुत जल्दी मंजूरी देगी।

अब मैं राज्य के औद्योगीकरण के प्रश्न पर आता हूं। केरल में केन्द्र की सबसे कम पूंजी लगी है। इसमें कोई शक नहीं कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार कुछ उद्योग की स्थापना करने और विद्यमाव उद्योगों का विस्तार करने के उपाय कर रही हैं। पालघाट में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है,

भारतीय टेलीफोन उद्योग का विस्तार करने के लिए मैं सरकार का आभारी हूं। मुझे यह भी बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने केरल में एक कोच फैक्टरी स्थापित करने की तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये एक दल भेजा है। वास्तव में इसकी मांग मैंने ही इस सदन में और कई अवसरों पर कई स्थानों पर उठाई थी। यदि यह रिपोर्ट सही है, तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। केरल ने इस कोच फैक्टरी के लिये समस्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और मुझे आशा है कि सरकार इस विषय पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेगी।

इसी प्रकार, केरल सरकार, विदेशों में बसे भारतीयों की सहायता से उद्योगों की स्थापना हेतु कुछ योजनाएं तैयार कर रही है। इस विषय में, केन्द्रीय सहायता के बगैर कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति करना संभव नहीं है। इसलिए में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में सब यथा संभव सहायता दें।

महोदय, केरल के धान उत्पादक संकट में हैं। पिछले साल के सूखे ने केरल के किसान की कमर तोड़ दी है। धान के हजारों हैक्टेयर के खेत सूख गये हैं और फसल को क्षति पहुंची है। कई अवसर पर मैंने इस मामलों को सदन में उठाया है। किसान, विशेषकर पालघाट के किसान, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं और वे लिये गये ऋण भी अदा करने में समक्ष नहीं हैं। वे जल प्रभार भी अदा करने में सक्षम नहीं हैं। पालघाट केरल का धान्यागार है। यदि धान-उत्पादकों की यही स्थिति है तो केरल में खाद्य की स्थिति क्या होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिये मैं ऋणों की अदायगी का स्थगन करने तथा धान-उत्पादकों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देने की मांग करता हूं।

अंत में, मैं केरल में विद्युत की स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। कुछ वर्ष पहले तक केरल में बिजली की अधिकता थी। लगातार मानसून न आने के कारण राज्य में, विद्युत की ऐसी कमी पैदा हो गई कि वह राज्य को अपंग बना रही है। ऐसे उद्योगों में जिनका औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव अभी मालूम किया जाना है, विद्युत की शत प्रतिशत कटौती की गई है। जल विद्युत उत्पादन पर पूर्ण निर्भरता के कारण ऐसा हुआ है। इस स्थिति को बदलना होगा। इसी कारण राज्य सरकार ने केरल में नामकीय विद्युत संयन्त्र की मांग की है। सरकार ने दक्षिण में एक नामकीय विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्तावित संयन्त्र केरल में स्थापित करे।

इस सम्बन्ध में मेरा एक और अनुरोध है कुरिआरकुट्टी—काराप्योरा जल-विद्युत परियोजना केन्द्र के पास मंजूरी के लिए पड़ी है। केरल में विद्युत की कमी बहुत संगीन हो चुकी है, यदि इस परियोजना का क्रियान्वयन हो जाये तो मालाबार क्षेत्र की कमी को कुछ राहत मिलेगी। इसलिए इस परियोजना को शीघ्रता से मन्जूरी दी जाये।

महोदय, मैं अब एक और बात कहूंगा और फिर समाप्त कर दूंगा। यह मेरे अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने देश के सारे भागों में दूरदर्शन की

सुविधाओं का विस्तार करने की एक योजना तैयार की है। तदनुसार केरल के सभी मुख्य शहरों में प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मैं इस निर्णय के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस योजना के अन्तर्गत पालघाट में एक कम शाति का ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे तत्काल इस केन्द्र का कार्य पूरा करें और इसे चालू करें।

महोदय, बजट में हमारी प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम की मुख्य मदों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम ने हमारी अर्थ व्यवस्था को एक नई दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया है। इन कार्यक्रयों के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के वास्ते सरकार द्वारा किये गये सभी उपायों का खुले दिल से समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : महोदय, मैं इस सदन में वित्त मन्त्री महोदय द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए प्रस्तावित वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं वित्त मन्त्री महोदय को मुबारक देता हूं कि उन्होंने ऐसा लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया जिसमें विकासात्मक कार्यों के लिए 60 प्रतिशत सुरक्षा के लिए 16 प्रतिशत और बकाया ऋणों के ब्याज के लिए 13 प्रतिशत का आबंटन किया गया है। वित्त मन्त्री महोदय ने सामान्य आदमी के बोझ-बढ़ाने की अपेक्षा कुछ और रियायतें दी हैं। उनके द्वारा दी गई रियायतों में से कुछ का मैं उल्लेख करूंगा। प्रत्येक आयकर स्लैब में 5 प्रतिशत की कमी की गई है। एक लाख रुपये से अधिक कमाने वाले करदातओं के मामले में 60 से 55 प्रतिशत की एक और रियायत है। सयुक्त परिवारों के लिए सम्पत्ति कर की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। निगम क्षेत्र ने 4 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए उद्यगियों द्वारा देय ब्याज की दर $12\frac{1}{2}$ से घटाकर $11-\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ और भी बताया है और परसों वित्त विधेयक पर अपने भाषण के दौरान भी बताया था। महंगाई भत्ते की तीन और किश्तों को जारी करने की उन्होंने आखिरी बात की थी।

महोदय, इस वर्ष फसल का उत्पादन 14.9 करोड़ टन से अधिक हुआ और बिजली उत्पादन में पांच प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन 4.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि कोयले का उत्पादन 14 करोड़ टन के लक्ष्य से अधिक हुआ और पैट्रोलियम का उत्पादन 2.6 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बजट की पृष्ठभूमि बहुत प्रशंसात्मक है और हमारी सरकार देश की और साथ में लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रही है। हमारे विपक्ष के कुछ नेता जब परसों बोल रहे थे तो उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट एक चुनाव वर्ष का बजट है और सरकार ने देश की अच्छाई के लिए कोई कार्य नहीं किया है। महोदय, यह सच नहीं है और अपने भाषण के बाद वाले भाग में, मैं वे तथ्य और आंकड़े दूंगा जो इनके दावे को गलत साबित कर देंगे।

महोदय, जहां हमारी सरकार इस देश की और देश के लोगों की अर्थव्यवस्था सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रही है परन्तु देश को कुछ ऐसी जरूरी और महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना

करना पड़े रहा है जिनके कारण हमें उन पर, मजबूरन, अधिकाधिक धन खर्च करना पड़ रहा है। इस कारण हमारे विकास कार्य में विलम्ब हुआ है और हम अपनी इच्छानुसार विकास लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। मूल समस्या है, पाकिस्तान में आधुनिकतम हथियारों का प्रवेश तथा हिन्द महासागर का सैंयीकरण, जिसके कारण हमारी देश की सुरक्षा को खतरा हो गया है। इसलिए चाहे अच्छा लगे या बुरा हमें अपनी सुरक्षा पर प्रत्येक वर्ष अपनी निधि में से अधिकाधिक खर्च करना पड़ेगा। इस वर्ष हम सुरक्षा पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं जो पिछले वर्ष के खर्च से 450 करोड़ रुपए अधिक है। यहां पर मैं यह आवश्य उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष हैं, विश्व के देशों के बीच शान्ति, निरस्त्रीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कदम उठा रही हैं और इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं।

महोदय, अगली समस्या जनसंख्या के मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से हमें अपने देश से निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में बाधा डाल दी है। इस कारण हम अपनी इच्छानुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। कि परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारी योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है। अपनी जनसंख्या वृद्धि को कम करने के हमारे प्रयासों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई है और हमारी प्रधानमन्त्री को 30 सितम्बर, 1983 को न्यूयार्क में अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार दिया गया था।

तीसरा और अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता समाप्त करने का है। वर्ष 1984-85 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी०) के लिए पिछले वर्ष के 200 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में हमने 216 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस वर्ष एन० आर० ई० पी० के लिए पिछले वर्ष के 190 करोड़ रुपये की तुलना में 230 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जबकि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष के 100 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में 400 करोड़ रुपए निर्धारित किये गये हैं।

अब मैं बजट के बारे में कुछ और नहीं बोलूंगा। इसकी बजाय मैं विभिन्न मन्त्रालयों को उनके विचार के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं किसानों को दिए जाने वाले कृषि समर्थन मूल्य के बारे में बोलूंगा समर्थन मूल्य कृषकों और खेती करने वालों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। यह किसानों और खेती करने वालों के बहुत ही गरीब वर्गों के लिए ही होता है। महोदय, चावल दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और देश के कई अन्य भागों में उगाया जाता है। यह हमारे देश का मुख्य भोजन है किन्तु इसका लाभप्रद मूल्य गेहूं के मूल्य की तुलना में बहुत कम है। अलाभप्रद मूल्य के कारण हमारे लोग कभी-कभी निराश हो जाते हैं। इस वर्ष फसल बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे लोगों को चावल का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। सामान्यतया गरीब खेती करने वाला, कटाई के तुरन्त बाद अपने स्टॉक को बेचने के लिए बाजार में जाता है ताकि अपनी घरेलू आवश्यकताएं पूरी कर सके, बैल खरीद सके और उधार चुका सके। वास्तव में धनी किसानों को समर्थन मूल्य की आश्यकता नहीं है, उनको छः महीने अथवा एक वर्ष के बाद अधिक पैसा मिल जाता है। इसलिए

[श्री के० प्रधानी]

वे इस अवधि के बाद ही अपने अनाज के भण्डार को बेचते हैं। यही कारण है कि समर्थन मूल्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए ही है। यदि सरकार यह सोचती है कि लाभप्रद मूल्य देना कठिन है क्योंकि गरीब उपभक्ताओं पर उसका बुरा असर पड़ेगा तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को राजसहायता वाले राशन कार्ड दे जो गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। और सरकार उनका राशन कार्ड रद्द कर दे, जिनको उनकी आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह शिक्षा के बारे में है। महोदय, दिन-प्रतिदिन हमारे देश में नैतिक शिक्षा का मूल्य गिरता जा रहा है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। केवल दो या तीन दशाब्दियों पूर्व जब मैं स्कूल और कालेजों में छात्र था, तो मुझे अब भी याद है कि हाई स्कूल तक और कालेजों में भी अध्यापक नैतिक अनुदेश और अनुशासन के बारे में पढ़ाया करते थे। लेकिन आज मैं नहीं समझता कि ये विषय स्कूल और कालेजों में पढ़ाये जाते हों। संभवतः यही कारण है कि नैतिकता और अनुशासन का मूल्य गिर रहा है। अब यह एक अनिवार्य विषय होना चाहिए।

अब मैं आदिवासियों के विकास की बात करता हूं। यह विषय गृह-मन्त्री द्वारा निबटाया जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में माना जाता है और वे अनुसूची पांच द्वारा संचालित होते हैं। उस राज्य का राज्य पाल, आदिवासी सलाहकार परिषद की सलाह से, संसद अथवा विधान सभा के किसी भी कानून को उस क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। इसका आशय है कि राज्यपाल, आदिवासी सलाहकार परिषद से परामर्श करके संसद और विधान सभाओं से अधिक शक्तिशाली है परन्तु व्यवहार्यतया हम क्या देखते हैं कि इसका कार्यान्वयन उचित प्रकार से नहीं होता है। उन्हें मुख्य कार्य जो सौंपा जाता है वह यह सुनिश्चित करना है कि जनता का शोषण समाप्त हो। वास्तव में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने विभिन्न राज्यों में कई विनियम पारित कर दिए हैं परन्तु वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वे उचित रूप से कार्यान्वित हो रहे हैं। मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता के अधीन यह केवल एक औपचारिक समिति है। इन सभी बातों पर विचार-विमर्श करने के लिए इनकी बैठकें प्रायः नहीं होतीं। इसलिए मैं गृह मन्त्रालय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और उन्हें इस बात का ध्यान रखने के लिए अनुरोध करता हूं कि ये समितियां वन नीति, उत्पाद शुल्क नीति आदि विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिये प्रायः बैठकें करें। वहां पर शोषण जारी है। इसलिए आदिवासियों के शोषण को निरोत्साहित करने के लिए प्रायः कदम उठाने चाहिये और आदिवासियों को कुछ प्रत्यक्ष लाभ देने चाहिए ताकि शोषण के लिए कोई गुंजाइश न हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में अगर किन्हीं लोगों ने बात की है तो जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्री और विद्वान हैं उन्होंने ही इस फाइनेंस बिल पर बात की है और इन्होंने जो अपना लिट्रेचर देश में दिया है। उसको पढ़ते हुए ऐसा मालूम होता है कि सारे अर्थ-शास्त्रियों को देश को ऊंचा उठाने की चिन्ता हो गई है और ज्यों-ज्यों अर्थ-शास्त्री चिन्ता करते जाते

हैं त्यों-त्यों देश पीछे जाता है। हमारे श्री एल० के० झा बड़े भारी अर्थ-शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी एक कमेटी मुकर्रर की और अच्छी-अच्छी जगह भाषण देते हैं जहां बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स और विद्वान् लोग जाते हैं ''मुझे उनकी मालूम नहीं है। एल० के० झा की 12 रिपोर्टें आज तक पेश हो चुकी हैं, लेकिन उस गरीब को उन्होंने उस तस्वीर में नहीं रखा। इन मीटिंग्ज में कौन जाते हैं? हिन्दुस्तान की सरकार इस बात से बड़ी चिन्तित है। बड़ी-बड़ी रिफार्म कमेटी—नरसिंहम कमेटी, चौकसी कमेटी, वांछू कमेटी—बनाई गई। लोगों ने सोचा कि हिन्दुस्तान की धरती पर कुछ होगा। आर्टिकल के अनुसार हमारा ध्येय यह था कि देश को कैसे बनायें। हमने यह सोचा था कि किस तरह मुल्क को—

सरकार उचित कदम उठाएगी और···

जितने लोग हैं उनकी आर्थिक हालत कैसे ठीक की जाये, डिस्पैरिटी कैसे कम की जाये, यह यह हमारा ध्येय था। आज भी देश में गरीब पीछे रह रहे हैं। एक तरफ धन का अम्बार है और दूसरी तरफ गरीब सिसक रहे हैं। यह आज की नहीं, कई सालों से बात कर रहे हैं और कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बात करते हैं।

हमारे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि देश से काला धन समाप्त किया जायेगा। यह ज्यों-ज्यों दवा करते हैं, मर्ज बढ़ता जाता है, कहीं न कहीं कालाधन है। अपने जजबात को हमें सोचना होगा। देश की धमनियों में, समाज में यह कालाधन देश को बहुत खराब हालत में पहुंचायेगा और समय आयेगा कि देश में क्रांति होगी। इसको आप टाल नहीं सकेंगे, चाहे आप आई० आर० डी० पी० या एन० आर० ई० पी० बनायें और देश को कहीं ले जायें। आज हिन्दुस्तान में कुछ अर्थ-शास्त्री कहते हैं कि 7 हजार करोड़ का कालाधन है। एक अर्थ-शास्त्री ने कहा है—

"काले धन का सृजन, बे रोक-टोक, लगातार हो रहा है। अर्थशास्त्रियों द्वारा रुढ़िवादी तरीके से लगाये गए विभिन्न अनुमानों के अनुसार, काले धन की उत्पत्ति लगभग 16,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष समझी जा सकती है।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह अनुमान किसने लगाया है? इसे किस आधार पर लगाया गया है?

श्री मूल चन्द डागा : आप भी एक और बयान दे सकते हैं। हम उस बयान को भी पढ़ेंगे। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत से विवरण हैं। आप एक अन्य बयान दे सकते हैं।

"1,65,000 करोड़ रुपये के कुल घरेलू उत्पादन का 10% केन्द्र के कुल कर-राजस्व से अधिक होगा जो वर्ष 1983-84 के लिए कुल 15,700 करोड़ रुपए है।"

अब, प्रो० रंगा जानना चाहते हैं कि यह बयान किसने दिया है।

श्री एम० एम० लारेन्स इडुक्की : इसका लाभ क्या है?

श्री मूल चन्द डागा : मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह गलत हो सकता है।

श्री नवीन चन्द्र जोशी ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में अपने लेख में कहा है :

"प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये के काले धन का लेन-देन होता है, जो हमारी राष्ट्रीय आय के 20 से 25 प्रतिशत से कम नहीं है। इसके वृद्धि की चक्रवृद्धि दर 15 से 20 प्रतिशत के आसपास है। काला धन समस्त सट्टा बाजार के लिए वित्त का साधन बन गया है। नगद राशि के रूप में रखा हुआ···"

इसका इस्तेमाल मकानों के निर्माण तथा विवाहों और अन्य समारोहों पर ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदने और इनमें अत्यधिक खर्च के लिए होता है इसने हमारी अर्थ-व्यवस्था को चौपट कर दिया है। राष्ट्रीय आय का एक भाग का प्रयोग, बजाए और वस्तुओं के उत्पादन के, ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा रहा है जो आम व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

12.00 म० प०

काला धन इतना बढ़ गया है कि उसकी फिकर के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। प्रो० रंगा कहते हैं कि यह फिगर गलत है। वह बड़े नालेजेवल हैं, लेकिन इन इकोनोमिस्ट्स ने हमारे लिए प्रावलम्ज पैदा कर दी है। आपको बताना चाहता हूं कि काले धन का देश पर क्या प्रभाव पड़ा है। हाल ही में मेरे एक सवाल के जवाब में योजना मंत्री ने बताया कि कान्स्टैंट (1970-71) प्राइसिज पर 1978-79 में हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 742 रुपए थी और 1981-82 में वह 728 रुपए हो गई। तामिलनाडु की पर कैपिटा इनकम 1978-79 में 669 रुपए थी और 1981-82 में वह 967 रुपये हो गई। राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 1678-79 में 642 रुपए थी और 1981-82 में वह 585 रुपए हो गई। पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है और हम समझते हैं। कि हम प्रगति कर रहे हैं। सरकार को इस प्रावलम पर विचार करना चाहिए।

अब मैं आपके सामने 1979 में उस समय के मिनिस्टर, श्री सतीश अग्रवाल, द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ना चाहता हूं। कोई भी मिनिस्टर हो, वे सब एक रटा-रटाया जवाब दे देते हैं और उनके जवाबों में मामूली सा फर्क होता है। श्री सतीश अग्रवाल का जवाब था :—

"ऐसा होने पर भी काले धन और करअपवंचन की मिलीजुली बुराइयों का मुकाबला करने के लिए उपाय जारी हैं। काले धन और कर-अपवंचन करने वालों का पता लगाने के लिए, हाल के वर्षों में कानून और कर प्रशासन मशीनरी दोनों को ही सुदृढ़ किया गया है।"

मिनिस्टर

सब मिनिष्टर एक सा जवाब देते हैं। इसके बाद आप श्री मगनभाई बरोट द्वारा दिया गया जवाब देखिए। एक दिलचस्प बात यह है कि जब कोई इस तरह का सबाल होता है, तो उसका जबाव हमेशा डिपुटी मिनिस्टर देते हैं, खुद कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। श्री बरोट ने कहा :—

डिपुटी

"काले धन और कर अपवंचन की बुराई का मुकाबला करने के लिए सरकार आय-कर अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अधीन सम्बद्ध उपबन्धों को लागू कर सभी संभव कदम उठा रही है।"

सारे लोग परेशान हो गए, काला यमदूत यह कौन ऐसा पैदा हो गया जिसको निकाल नहीं सके। ···(**व्यवधान**)···मानलिया बनिया भी हैं लेकिन विद दि कनाइवेंस आफ दि करप्ट आफिसर्स।

यह बेईमान व्यापारी, बेईमान अधिकारियों तथा बेईमान राजनैतिज्ञों के बीच दुष्ट मित्रता है। सिर्फ बनियों के बारे में ही मत बोलिये। बनिया ने चोरी कर ली, लेकिन यह चोरी कैसे मिटेगी ? हिन्दुतान से जब तक यह काला धन नहीं जायगा हिन्दुस्तान का समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यह आन्सर वह देते हैं। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। हर मंत्री यही कहता है। अब उस काले धन की हालत क्या है ? वह कैसे बढ़ता है ? उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन पूछा। उसका आन्सर देखिए। यह वित्त मंत्री का 16 दिसम्बर, 1983 का आन्सर है। जब श्री सुब्रह्मण्यम् वित्त मन्त्री थे तो उन्होंने इनकम टैक्स ऐक्ट में संशोधन किया कि जितनी प्रापर्टी बेची जाती है उसका अंडर वैल्यूएशन वह कर लेते हैं, तो हम ऐसी प्रापर्टी को ऐक्वायर कर लेंगे। मैंने उसमें अमेंडमेंट मूव किया था। उन्होंने यह कहा था कि जो लोग अपनी प्रापर्टी को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं उनकी प्रापर्टी को हम ऐक्वायर करेंगे सी सुब्रह्मण्यम के बाद पिछले चार सालों में कितनी प्रापर्टी ऐक्वायर कर ली और कितनी प्रापर्टी आप के पास आई इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा :—

"अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही के संबंध में पूरे देश में आयकर विभाग को सम्पत्ति के हस्तांतर के बारे में कितनी सूचनाएं मिली हैं, और इनमें से पिछले तीन वर्षों में कितने मामलों पर ध्यान दिया गया तथा कितने निपटाये गये।"

उत्तर यह है :

1-4-80 से 31-3-83 की अवधि के दौरान अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में पूरे देश में आयकर विभाग को फार्म नं० 37 जी पर 19,25,624 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। 24,138 मामलों में अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। इस अवधि के दौरान निपटाई गई कुल अधिग्रहण कार्यवाहियों की संख्या 8,639 है।

1-4-80 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के 15 मामलों में खण्ड 269 एफ (6) के अंतर्गत आदेश पारित कर दिए गए थे। जहां 16 लाख की इन्कार्मेशन हुई उसमें पन्द्रह केसेज के अन्दर उन्होंने प्रापर्टी ऐक्वायर करने की कार्यवाही की। मैंने पूछा कि कब की, कौन-सी की तो वह नहीं बताया। कहा कि हमने आर्डर दे दिया। सभी कुछ सभापटल पर रख दिया जायेगा। अभी तक यह भी नहीं मालूम कि वह 15 प्रापर्टी भी ऐक्वायर की या नहीं की।

आज आप जानते हैं कि दिल्ली में 50 प्रतिशत प्रापर्टी पावर आफ एटार्नी के नाम पर बेची जाती है। मैं कह देता हूं कि मैं अपनी दौलत के लिए फदां व्यक्ति को पावर आफ एटार्नी देता हूं। उसमें अभी इन्होंने यहां कुछ ऐक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। तो लोग पावर आफ एटार्नी के लिए गाजियाबाद चले जाते हैं और वहां से लाकर ट्रांसफर आफ प्रापर्टी करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि मकान में रहने वाला कोई दूसरा है और मालिक कोई दूसरा ही है। इस तरह से ब्लैक-मनी बढ़ती है, इनकम टैक्स भी आपको जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है और स्टैम्प ड्यूटी की चोरी भी होती है। साथ ही साथ डी० डी० ए० को जो बढ़े हुए चार्जेज मिलने चाहिए वह भी उसको नहीं मिलते हैं। दिल्ली शहर में करोड़ों अरबों रुपये की सम्पत्ति का ट्रांसफर पावर आफ एटार्नी के आधार पर किया गया है।

इसी तरह से आजकल एक और ड्राफ्ट स्कैण्डल चला हुआ है जिसको वित्त मन्त्री जी अच्छी

[श्री मूलचन्द डागा]

तरह से जानते होंगे। मुझे 15 लाख रुपया पेमेंट करना है बम्बई में तो मैंने रामलाल, श्यामलाल हीरा लाल, अर्जुन सेठी, चौधरी सुन्दरसिंह के नाम लिखकर भेज दिए—इस तरह के सारे नाम चले जाते हैं तो ड्राफ्ट घूमता रहता है, वह सर्कुलेट हो रहा है पूना, कोल्हापुर और बम्बई में—इस तरह का भी ड्राफ्ट स्कैंडल आजकल चल रहा है। हमारे वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि व्यापारियों को बड़ी सुविधा देते हैं लेकिन परसों शायद कुछ मूड़ में रहे होंगे जिससे उन्होंने व्यापारियों को लतेड़ दिया। आज कितनी ही बोगस कम्पनीज बन रही है जिनकी वजह से हम परेशान हैं। एक कम्पनी बन गई, शेयर भी खरीद लिए गए लेकिन जब वह काम करती है और उसके शेयर की कीमत घट जाती है तो जिनको सैलरी मिलती है वे कहते हैं कि हमारा भाव घट गया इसलिए इनकम टैक्स से एग्जेम्शन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ वे बोगस शेयर लेकर काम चलाते है। इस तरह से आज हमारे देश में पता नहीं कितनी बोगस कम्पनियां चल रही हैं। मन्त्री जी ने अपने स्टेटमेंट में भी इस बात का जिक्र किया है कि बोगस कम्पनीज चलाई जा रही है। आप देखेंगे कि इन बोगस कम्पनीज में हर जगह घोटाला हो रहा है।

> "फरवरी 1975 में तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री ए० पी० शर्मा ने संसद में बताया कि कपड़ा लघु क्षेत्र की इकाईयों में एक तिहाई इकाइयां बोगस थीं। मार्च, 1977 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि बैंक द्वारा सहायता प्राप्त लघु क्षेत्र इकाईयों की 34.5 प्रतिशत इकाईयों ने कानून का बेईमानी से निवारण किया है। लोक सभा (1980-81) की प्राक्कलन समिति के 14 वें प्रतिवेदन में दोहराया गया कि लघु क्षेत्र में बोगस इकाईयों में अत्यधिक वृद्धि के बारे में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।"

कंपनियां कई खुली हुई हैं माल कहां जाता है, इसका कुछ पता नहीं हैं। कहा जाता है कि हमारे कस्टम वाले बहुत तेज हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि आने वाले कितने-कितने वीडियोज लेकर आते हैं, उनका भी पता नहीं चलता है। चार-पांच सौ उनको डालर्स मिलते हैं, जिनमें उनका मुश्किल से गुजारा चल सकता है। होटल में ठहरिए, रोटी खाइए और घर वापिस आ जाइए। वे फिर भी इतनी चीजें लेकर आते हैं।

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला (संगरूर) : गिफ्ट मिलते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आप जहां जायेंगे आपको दोस्त मिल जायेंगे। हम लोगों का न तो कनाडा में दोस्त मिलता है, न आस्ट्रेलिया में मिलता है और न हांग-कांग में मिलता है—पता नहीं फिर भी हर आदमी कैसे लेकर आ जाता है। मैं चाहता हूं कि उनसे डिक्लरेशन लेना चाहिए, ताकि सब चीजों का पता चल सके। इम्पोर्टेड कार चल रही है लेकिन इनकम टैक्स में नहीं है। जब तक आप देश में ब्लैकमनी को नहीं रोकेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ब्लैकमनी को रोकने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करिये। सत्तारूढ़ दल के लगभग 25 सदस्यों को बोलना है और मैं प्रत्येक का अधिकतम 15 मिनट का समय दे रहा हूं। आपने 20 मिनट से अधिक समय ले लिया है। यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो आपके कुछ सहयोगियों को बोलने तक का भी अवसर नहीं मिलेगा। श्री डागा से यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात मैं अब आडिट के बारे में करना चाहता हूं। आपने इसकी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। आप क्या समझते हैं कि आडिट होने के बाद काम सही होगा, सी० ए० को आप बड़ा ईमानदार समझते हैं। सी० ए० एम्पलायज किसी कम्पनी के हैं और वह किसी से पैसा लेने के बाद उसका काम करता है। आपके आफिसर्स क्या यह प्रिजम्पशन कर लेंगे कि जो आडिट हो गया है, वह ठीक है? दो तरह के मैमोरेंड्मस आ गए हैं—सी० ए० वाले कहते हैं कि हमारी सर्विसेज जरूरी है, इनकम टैक्स बढ़ेगा और ब्लैकमनी रुक जाएगी और इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमको केस प्लीड करने दीजिए, इनको एलाउ मत करिए। मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप इस पर पुनः विचार करें। 40 लाख का टर्नओवर कितने आदमी कर सकेंगे, एक कमीशन एजेंट है, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इस पर हमने अमेंडमेंट दिया है कि कमीशन एजेण्ट के लिए एक करोड़ का टर्न-ओवर मान लीजिए। कमीशन एजेण्ट कुछ नहीं करता है, केवल माल को इधर से उधर करता है। उस ट्रांस्फर करने के काम में उसे कमीशन मिलता है।

आपने एक अच्छा काम किया है कि जो लोन लेंगे या डिपाजिट करेंगे, वे बैंक ड्राफ्ट से या चैक से करेंगे। यह तो ठीक है, लेकिन जब रिपे करेंगे तब क्या होगा? मैं लोन लेता हूं या डिपाजिट कराता हूं—बैंक के द्वारा कराऊंगा, चैक से कराऊंगा, लेकिन जब रिपे करूंगा उसके लिए कोई कानून नहीं है। मेहरवानी करके इसके लिए भी कानून बनाइये ताकि यह काम भी बैंक की मारफत हो सके। जो भी पेमेंट हो, बैंक की मारफत हो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ब्लैक मनी का चक्कर चलेगा।

एक क्वेश्चन था—आप इतने रेड्स कराते हैं—

"1981-82 के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए बड़े छापों की संख्या तथा प्रत्येक छापे में जब्त की गई नकद राशि, प्राभूषण तथा अन्य सम्पत्ति का विवरण।

(ख) कुल मारे गये छापों में से कितनों पर अभी तक निर्णय लिया गया?"

इतने रेड्स करते हैं, उनकी खबर अखबारों में आती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है?

"आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशियों की कुल संख्या तथा वर्ष-वार प्रत्यक्ष बेहिसाब जब्त की गई परिसम्पत्ति का लगभग मूल्य इस प्रकार है:

1981-82 तलाशियों की संख्या 4282 जब्त की गई परिसम्पत्ति का मूल्य 30.66 करोड़ रुपये

1982-83 तलाशियों की संख्या 4291 जब्त की गई परिसम्पत्ति का मूल्य 27.96 करोड़ रुपये

इसमें मैंने पूछा था कि मनी कितनी सीज की, यह सरकार को अभी तक मालूम नहीं है।

[श्री मूलचन्द डागा]

मुझे कहा गया किया कि इसका उत्तर बाद में बतलाया जाएगा, जो आज तक मुझे नहीं बतलाया गया। मैं आपसे पूछता हूं—इतनी सर्वेज होने के बाद, इतनी रेड्स होने के बाद, कितने आदमियों को सजा मिली, कितनी प्रापर्टी आपने सील करके गवर्नमेन्ट प्रापर्टी बना दी—यह आज तक नहीं बतलाया गया।

"इन मामलों में की गई वसूलियों के आंकड़ें भी सहज ही उपलब्ध नहीं हैं। सभी उपरोक्त मामलों के रिकार्डों से अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में काफी समय लगेगा जो कि पूरे देश में बिखरे हुए हैं।"

जब कभी मैंने 4-5 क्वेश्चन किये तो वे कहते हैं :

"इन मामलों में की गई वसूलियों के आंकड़े सहज ही उपलब्ध नहीं हैं। सभी उपरोक्त मामलों के रिकार्डों से अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में काफी समय लगेगा क्योंकि ये सारे देश में फैले हुए हैं। हमरा जो समय एवं प्रयास लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा."

सर्वेज के बाद, रेड्स के बाद, समरी असेसमेन्ट कराने के बाद भी लोगों को कितनी परेशानी है—यह मैं आपसे अर्ज कर रहा था···

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप समाप्त कीजिए···ठीक है, आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : पन्द्रह मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, स्वीकार है। पन्द्रह मिनट के अन्दर इसे पूरा कर दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : इस बार वित्त मन्त्री ने एक काम अच्छा किया है। "साइन्टिफिक रिसर्च" के बारे में अखबारों में काफी कुछ आया है। डी० सी० एम०, जे० के० जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। रिसर्च के नाम पर रुपया लेते हैं और खर्च नहीं करते हैं और इससे गवर्नमेंट को घाटा होता है। रिसर्च के बारे में एकोनामिक टाइम्स, जो कि 5 जनवरी, 1984 का है, में निकला हुआ है :

"करों की रियायत के बारे में दावों का निपटान करने के लिए सुस्पष्ट मापदण्ड क्या हैं ? क्या करों में रियायतें देने से निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति होती है ?"

अंत में कहा गया है : "कुछ मान्यता प्राप्त संस्थाओं जिन्होंने खण्ड 35 के अंतर्गत 25 वर्षों से लाभ उठाया है उन्होंने कुछ भी अनुसंधान कार्य नहीं किया है।"

25 साल से इन इंस्टी-ट्यूशन्स ने कोई रिसर्च वर्क नहीं किया है और रिसर्च के लिए पैसा ले लिया है। पी० ए० सी० ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें यह लिखा हुआ है :

"प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भारी कर अपवंचन करके फर्जी धन से चलाए जा रहे नकली अनुसंधान संस्थानों का संसद की लोक लेखा समिति द्वारा पता लगाया जाना।"

इस तरह से आप देखें कि रिसर्च के मामले में जो लोग आपका धन उठा लेते हैं, उसको वे इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस तरह से उसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिलता है। आप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिसर्च के लिए पैसा दें लेकिन मशीनरी और कैपीटल स्पेंडीचर वाली चीजों के लिए पैसा न दें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप किस प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन है।

मैं तो यह चाहता हूं कि यह जो रिसर्च का मामला है, इसको आप देखें। मैंने आपके सामने यह बात रख दी है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आपने छाते पर, अम्ब्रेला पर टैक्स माफ कर दिया। आपकी जो स्पीच है, उसमें अम्ब्रेला को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है लेकिन इसके बारे में लोगों ने यह कहा है कि इसके पार्ट्स को भी इग्जेम्प्ट किया जाए। उन्होंने यह कहा है :

"छतरी के हिस्से और उपकरण, आजकल जी० ई० टी० संख्या 68 के अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि इनका निर्माण और उत्पादन बिजली की सहायता से होता है।"

इसको भी आपको देखना चाहिए। अपनी स्पीच में आपने कहा है कि गर्मी से बचाने के लिए इम्ब्रेला को टैक्स से माफी दी है लेकिन उसके पार्ट्स का क्या होगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम को भी आप एग्जामिन कीजिए।

आप फाइनेन्स बिल रखते हैं लेकिन ब्लैकमनी के जो रास्ते खुले हुए हैं, उनको आंप चैक नहीं करते और जो अनहोली एलायन्स डिसआनेस्ट आफिसर्स और बिजनेसमैन के बीच में होती है और करप्ट पालिटीशियन्स के बीच में भी होती है, उसको आप जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको डाइरेक्ट टैक्सेज में बहुत कम धनराशि मिलती है और सारा धन ब्लैक के अन्दर जा रहा है और धड़ाधड़ खर्च हो रहा है। इससे हमारी एकोनामी को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी सामाजिक व्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है और छोटे-मोटे एमेंडमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज 1984 में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और वह यह देखती है कि कौन इम्पोर्टेड कार में चल रहा है और आगे वह अब समझती है और आगे वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप बड़ी-बड़ी बातें करते रहें, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आज सिसकते हुए गरीबों का खून उबल गया है और आगे आने वाले समय में वे आपकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आपको हर आदमी की इनकम और उसके एक्सपेंडीचर की जांच

[श्री मूलचन्द डागा]

करनी चाहिए । गरीब और अमीर के बीच जो आय का इतना बड़ा अन्तर है वह मिटाना चाहिए । आपने फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में इस बात की घोषणा की थी । उसको आज तीस साल हो गये । इतने वर्षों के बाद गरीब और गरीब होने की हालत में आया है और मालदार और मालदार । इसलिए मैं चाहता हूं कि टेक्सिज का जो परपज है कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं वे ज्याद टैक्स दें, वह पूरा होना चाहिए । लेकिन हो यह रहा है कि वे लोग तो टेक्स ईवेड कर जाते हैं और न ही आप उनसे टैक्स पूरा वसूल कर पाते हैं । इसको आप देखें, बस मेरा यही कहना है ।

चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, पिछले चार वर्षों से हमारे आर्थिक विकास पर अत्यधिक दबाव होने के बावजूद भी हमारी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण विकास हुआ है । हमने अत्यन्त निराशाजनक पृष्ठभूमि से शुरूआत की जब हमने 1980 में अधिग्रहण किया, और अब 1980 से 1984 तक हमारे आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी प्रगति हुई है । आज मैं सरकार के ध्यान में कुछ समस्याऐं लाना चाहूंगा जिन पर विचार करने की आवश्यकता है ।

अगर हम 1984-85 के बजट को देखें तो हम पायेंगे कि हमें अधिक राज सहायता प्रदान की गई है । घरेलू उर्वरक राज सहायता 1984-85 में 930 करोड़ रुपये प्रदान की गई है । इसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए 850 करोड़ रुपये की राज सहायता का प्रावधान किया गया है । भारत सरकार तथा हमारी प्रधान मत्री जी ने भी घोषणा की है, "कि हम सुनिश्चित करें कि गेहूं 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाये ।" हमने कमजोर वर्गों के लिए चावल के लिए भी ऐसा ही करने का सुझाव दिया था, यानि कि, चावल 2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाना चाहिए ।

निर्यात के संवर्धन के सम्बन्ध में हमने विभिन्न प्रोत्साहन देने के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान किया ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके ।

अगर हम उर्वरक उत्पादन करने वाली कम्पनियों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष राज सहायता को भी जोड़ें तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष राज सहायता को भी जोड़ें तो यह राशि 4000 करोड़ रुपये होगी । हम इस 400 करोड़ रुपये की राज सहायता को बजट में विलीन करने की कोशिश कर रहे हैं । वह बहुत ही साहसिक कार्य है । यह बहुत ही साहसी एवं निर्भीक कदम है । किन्तु यहां पर मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि यह राज सहायता उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिनके लिए ये बनाई गई थी । हम अपने वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में बहुत ही विकट स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं । यह एक निर्भीक कदम है जो हमने उठाया है । किन्तु प्रश्न सिर्फ यह है कि इस राज सहायता का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल रहा जिनके लिये ये दी गई थीं । अतः मेरा सुझाव यह है । 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर राज सहायता दी गई है; प्रधान मन्त्री जी द्वारा घोषित बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने के लिए स्व० नियोजन योजना बनाई गई है । यह एक बहुत ही अच्छी योजना है । किन्तु मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हम राज सहायता से खण्ड स्तर तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर एक प्रकार का

भ्रष्ट वातावरण पैदा हो गया है। अतः हम क्यों नहीं दूसरे तरीके के बारे में सोचते। जब हम इन लाभभोगियों के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो वे कहते हैं, आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हम पर अधिक कर लगता है, क्योंकि हमें राज सहायता नहीं मिल रही है; यह हम तक पहुंचती ही नहीं है।

फिर राज सहायता को पहले की तरह चलने क्यों नहीं दिया जाता ? लाभ प्राप्तकर्ताओं को 10 अथवा 15 वर्षों के समय का ब्याज देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। उनसे लम्बी अवधि का ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि राजसहायता का भाग लाभभोगियों तक नहीं पहुंच रहा है। राजसहायता प्रदान करते समय बहुत भ्रष्टाचार होता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटुर) : यह राज सहायता किसानों तक नहीं पहुंच रही है। यह अन्य लोगों द्वारा ही ले ली जाती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उर्वरकों के रूप में दी जाने वाली राज सहायता किसानों तक नहीं पहुंच पाती। अधिकारियों द्वारा उर्वरक बेच दी जाती है और इन-इन किसानों को उर्वरक के रूप में राजसहायता दी गई है यह दिखाने के लिए किसानों के नाम लिख दिए जाते हैं। इसलिए, महोदय, इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हमारी अर्थव्यवस्था के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं वह महत्वपूर्ण पहलू है बाह्य ऋण भार भुगतान। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने पूंजी के ब्याज और ऋण दोनों के रूप में कुल 23.8 करोड़ रुपए ऋण भार का भुगतान किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने 119.4 करोड़ रुपए का ऋण भुगतान किया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने बाह्य ऋण भार के भुगतान के रूप में 542.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 1983-84 में, अर्थात् इस वर्ष में हमने 1025.3 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक, हमने पूंजी के ब्याज और ऋण दोनों को मिलाकर बाह्य ऋण-भार भुगतान के रूप में 12,273. करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अब यदि हम बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के पूंजी निवेश पर रायल्टी और उनके मुनाफे के रूप में इस देश से संसाधनों को बाहर भेजने की राशि भी जोड़ लें तो यह राशि 6600 करोड़ रुपए बैठती है।

अतः यदि आप इन दन दोनों का हिसाब लगायें तो अब तक बाहर भेजी गई राशि 18,000 से लेकर 19,000 करोड़ रुपये तक होगी। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। अब अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की विचारधारा व्यक्त की जा रही है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर ऋण की सहायता नहीं मिलनी चाहिए और भारत को खुले बाजार से वाणिज्यिक ऋण लेना चाहिए। इसका आशय यह है कि वह कहना चाहते हैं कि भारत द्वारा विदेशों को अधिक भुगतान किया जाना चाहिए। इसलिए भारत के प्रति इस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। प्रारम्भ में, हमने केवल 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की विदेशी सहायता ली थी। हमें अधिकाधिक विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिए। हमें गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण करना

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

चाहिए । इसलिए हम जो कुछ थोड़ा बहुत उर्पाजन करते हैं, उसी पर आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए । यह लगभग 19,000 करोड़ रुपये संसाधनों को बाहर भेजना बहुत बड़ी राशि है । यदि आप दादाजी नारौजी द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ें कि भारत राष्ट्रिकों द्वारा उन दिनों चल रहे स्वदेशी और स्वराज आंदोलन की भावनाओं में भारतीय किस प्रकार प्रवाहित हो गए उससे राष्ट्र को आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिलेगी । अतः मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को बहुराष्ट्रिक और ऋण भार भुगतान के द्वारा हमारे संसाधनों को बाहर भेजे जाने के इस पहलू पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या का एक अन्य पहलू यह है कि हमने अब तक सार्वजनिक उपक्रमों में 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किया है । हमने अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी उपक्रमों में पूंजी निवेश किया है । अब यदि प्राइवेट व्यवसायी गैर-सरकारी क्षेत्रों में इतना अधिक पूंजी निवेश करें, यदि वे 1,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करते हैं तो वे 8 से 10 प्रतिशत लाभ का हिसाब लगायेंगे । यदि हम सरकारी उपक्रमों में किए गए पूंजी निवेश में से केवल 5 से 6 प्रतिशत की गणना करें, तो प्रतिवर्ष हमें 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी । अब यदि हम कार्य-निष्पादन को देखें और यदि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियों को देखें, तो हमें पता चलेगा कि विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के एककों की क्षमता का उपयोग 45 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक के बीच है । एल्यूमीनियम के मामले को लें । यह एक प्रमुख क्षेत्र है । अब हमें विभिन्न उद्योगों के लिए एल्यूमीनियम की आवश्यकता होती है । एल्यूमीनियम उद्योगों में किए गए इतने अधिक पूंजी निवेश से उद्योगों में एल्यूमीनियम की केवल 63 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया है । यदि आप एक महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र तांबे को देखें, तो इसकी क्षमता का उपयोग 87 प्रतिशत है । जिंक की प्रतिशत क्षमता का उपयोग 59 प्रतिशत और सीसे की 83 प्रतिशत है और सीमेंट, जिसकी बहुत अधिक मांग है और जिसकी कालाबाजारी होती है, इसकी क्षमता का उपयोग 79 प्रतिशत है। उर्वरक के सम्बन्ध में 65 प्रतिशत, अखबारी कागज के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत और इस्पात के मामले में क्षमता का उपयोग केवल 63 प्रतिशत है । स्पष्ट तौर पर हमें क्षमता के उपयोग पर अधिक बल देना चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गोपाय निकालने चाहियें जिससे कि सरकारी संसाधनों पर इतनी अधिक पूंजी निवेश करके हमें जो क्षमता प्राप्त हुई है, उसका अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग किया जा सके, कम से कम आने वाले एक या दो वर्षों में 80-85 प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि हम अपनी वित्तीय कमियों को पूरा कर सकें ।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं । उड़ीसा में तालचर उर्वरक कारखाना भी बिजली की कमी के कारण बन्द हो गया है । पिछले वर्ष इस कारखाने को कुल 52 करोड़ रुपए का घाटा हुआ । इस वर्ष, यह कारखाना अप्रैल से बन्द पड़ा है । उड़ीसा में पन-बिजली है । विभिन्न उद्योगों जैसे तालचर उर्वरक, कारखाना, राउरकेला इस्पात संयंत्र आदि के लिए बिजली नही है । मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें कम से कम अप्रैल से प्रमुख क्षेत्र के सभी सरकारी क्षेत्र के सभी

उद्योगों जैसे उर्वरक, इस्पात, एल्यूमीनियम आदि को राष्ट्रीय ग्रिड में से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह उद्योग बन्द न हों और हम उत्पादन के लक्ष्य को बनाए रख सकें।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय वित्त मन्त्री जी स्वयं इस्पात मन्त्री थे तब, देयतारू इस्पात संयंत्र लगाया गया था। यह छठी पंचवर्षीय योजनावधि में पूरा होना था। अब इस वर्ष के बजट में केवल एक करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि इसके लिए 400 अथवा 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह इस्पात संयंत्र, जो कि वास्तव में हमारे लोगों के लिए बहुत आशाजनक है, यथासंभव शीघ्र पूरा करना चाहिए। इसके काम में अब ढील आ गई है, यह आगे नहीं बढ़ रहा है, हमने केवल इसका ढांचा ही रखे हुए हैं। इस संयंत्र के लिए और अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि यह शीघ्र पूरा हो सके।

मुझे कभी-कभी हैरानी होती है कि कुछ मामलों में हमारे सर्तकता विभाग कैसे अत्यन्त सक्रिय हो जाते हैं। पिछले वर्ष, फैरो एलॉयस निगम लिमिटेड में छापा मारा गया और बताया गया कि वहां से बहुत सा लेखा बाह्य धन प्राप्त हुआ। जांच-पड़ताल और पूछताछ की पूरी कार्य-वाही को कैसे अचानक रोक दिया गया ? मैं पूरी बात को समझ नहीं सका। वास्तव में यह लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि जो एक प्रकार की कार्यवाही की जा रही थी, उसे रोक दिया गया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? सरकार द्वारा इस पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

अब हम देश में उत्पन्न की गई सिंचाई की क्षमता पर दृष्टि डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न की गई क्षमता का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं में हम सिंचाई की क्षमता केवल 24 प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं, और छोटी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में यह 34 प्रतिशत है। यह नवीनतम स्थिति है। देश में सिंचाई की क्षमता को उत्पन्न करने के लिए हमने हजारों रुपए का पूंजी निवेश किया है और उसका यह उपयोग है। जब हमने इतने करोड़ रुपए खर्च करके इतनी अधिक सिंचित क्षमता उत्पन्न की है, तो हमें इस क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो इससे पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सकते हैं और 2700 करोड़ रुपये का इतना बड़ा घाटा होना भी आवश्यक नहीं है।

अतः हमने संसाधनों को उत्पन्न कर लिया है लेकिन हम उन संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं। महोदय, इन मुद्दों पर सरकार को गम्भीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो प्रयास किए हैं, किसानों को उससे उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। संसद और प्रधानमंत्री ने कई बार घोषणा की है कि

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

सरकार गेहूं और चावल के मूल्य निर्धारित कर रही है। अतः भारतीय खाद्य निगम को शीघ्र जाकर किसानों से चावल खरीदने चाहियें। परन्तु महोदय, हमारे द्वारा सभी घोषणाओं और अभिवचनों के बावजूद किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए भारतीय खाद्य निगम सीधा किसानों के पास अनाज खरीदने नहीं गए। वह थोक विक्रेताओं को नियुक्त करते हैं और किसानों को मजबूरन अनाज बेचना पडता है। थोक विक्रेता अधिक मूल्य पर अनाज बेचेंगे जिसके कारण भारतीन खाद्य निगम को पुनः हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए, जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, उसे हमें कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों और लाभभोगियों, जिनके लिए समग्र देश और केन्द्रीय सरकार करोड़ों और अरबों रुपए खर्ज कर रहीं है, को लाभ प्राप्त होना चाहिए जिससे कि उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके।

अन्त में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वन के संबंध में, आंध्र प्रदेश के मामले को लें। अतिरिक्त भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में अब क्या प्रगति है? मंत्री महोदय ने जनवरी, 1984 में उत्तर दिया है कि यह केवल 15.8 प्रतिशत है। जहां तक अतिरिक्त भूमि के आंबंटन का सम्बन्ध है, यह उपलब्धि है।

इसी प्रकार, आप आन्ध्र प्रदेश में पेय जल की सप्लाई को देखें। केवल 62.1 प्रतिशत पेय जल उपयोग में लाया जा रहा है। यह उपलब्धि सिद्धि है। महोदय, मैं सभी राज्यों के विषय में इन सभी ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। चाहे यह पेज जल की सप्लाई हो अथवा अतिरिक्त भूमि का आबंटन हो अथवा कमजोर वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली जगह हो, भारत सरकार और प्रधान मंत्री इन कार्यक्रमों को कितना महत्व देते हैं और राज्यों में इतना क्रियान्वन कैसे हो रहा है? यह एक नवीनतम उत्तर है जो कि मंत्री महोदय ने सदन को दिया है।

हम बहुत से उपाय कर रहे हैं ताकि कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हो सके, परन्तु इसमें उपलब्धि नगण्य है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा इस निगरानी तंत्र की इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए कि हम कम से कम महीनेवार यह देख सकें कि हम कितना धन खर्च कर रहे हैं और हमारी उपलब्धियां क्या हैं। महोदय, पश्चिम बंगाल् के मामले में यदि आप उपलब्धि को देखें, तो वह बिल्कुल नगण्य है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिन मुद्दों पर मैंने सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जाएगा।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करते हुए दो तीन मुख्य बातों की ओर आपका और वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी डागा जी ने यहां काले धन के विषय में चार्चा की। वास्तव में काले धन का हमारी इकानामी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और यह विकट समस्या हैं जिसके लिए हमारे कर्मचारी, व्यापारी और राजनैतिक नेता भी जिम्मेदार हैं। मैं यहां सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम में से बहुत से इस सदन में चुनाव आयोग द्वारा

निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में धन व्यय करके यहां आते हैं और मेरी तो यह भी मान्यता है कि समाज भी इसमें उतना ही दोषी है, जितने कि कर्मचारी, व्यापारी या राजनैता। क्योंकि समाज में उन्हीं लोगों की पूछ होती है उन्हीं को मत हासिल होते हैं, उन्हीं के साथ लोग चलते हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं, जिन के पास साधन होते हैं, जिनके पास जीप होती है, जिनके पास मोटर होती है, जिनके पास पैसा होता है। इसलिए मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि काले धन को रोकने कि दिशा में हमें चुनाव प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि काले धन को रोकने की प्रक्रिया में चुनाव की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करना होगा। जब तक इस देश में चुनाव की प्रणाली में ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि कम खर्चे में और शीघ्र चुनाव हो, ज्यादा खर्चीला न हो और मतदाता इतने जागरूक हों कि जीप और पैसा लेकर चुनाव प्रचार में न जायें, वोट न दें, तब तो काला धन रुक सकता है, अन्यथा नहीं। केवल कानून से काला धन नहीं रुक सकता।

20 सूत्री प्रोग्राम के बारे में अभी माननीय पाणिग्रही ने कहा, मैं उनकी उन बातों से सहमत होते हुए दो, एक सुझाव और देना चाहता हूं। देश की नेता श्रीमाती इन्दिरा गांधी 20 सूत्री प्रोग्राम के जरिये मूलभूत क्रान्तिकारी परिवर्तन देश और समाज में करना चाहती हैं और मैं इस राय का भी नहीं हूं कुछ लोग जो यह कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। मैं इस राय का हूं कि अमीरों की अमीरी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गरीब अमीर होने की तरफ उतनी तेजी से नहीं जा रहा जितनी तेजी से उसे जाना चाहिये। लेकिन यह निश्चित रूप से सही है गरीब और गरीब नहीं हो रहा है उसके रहन सहन का स्तर बढ़ा है और बढ़ रहा है। लेकिन जिस तेजी से बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ रहा है।

12.52 म० प्र०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।)

सभापति जी, मैं आपकी इस राय से सहमत हूं कि 20 सूत्री प्रोग्राम में जो सबसिडी दी जाती है किसानों को वह अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बन्दर बांट करके खा ली जाती है और उन तक नहीं पहुंचती है जिसको देने का शासन का लक्ष्य है। मैंने पिछली बार भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि सबसिडी समाप्त करके गरीबों को राहत पहुंचाने के लिये उनकी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए जिससे उनको यही फायदा हो सके और अभी सिबसिडी का जो बंटवारा अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होता है वह रुक सके।

आई० आर० डी०, सी० एन० आर० ई० पी० की स्कीमें जो नीचे लेविल पर चल रही हैं वह बहुत दोषापूर्ण हैं। उद्देश्य उनका अच्छा है, लेकिन नीचे स्तर पर उनका कार्यान्वियन गलत ढंग से होता है। उदाहरणस्वरूप एक भैंस खरीदने को अगर किसान को पैसा मिलता है तो उसको विवश किया जाता है कि एक निश्चित बाजार में जाकर ही वह भैंस खरीदे। उसको अपने मन से कहीं से भी भैंस खरीदने की छूट नहीं है। इसी तरस न गाय और न बैल खरीद सकता है। हर एक के लिए एक बाजार प्रेस्क्राइब्ड है जहां भैंस, गाय या बैल का दाम ड्योढ़ा होता है और उसे मजबूरन वहीं से खरीदना पड़ता है। इसलिए किसान को छूट होनी चाहिए कि वह भैंस, गाय, बैल

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

जहां से चाहे खरीदे तभी कुछ लाभ होगा । लाउडस्पीकर खरीदना है, इसका खरीदना है इनकी भी दुकानें प्रेस्क्राइब्ड हैं । और इलाहाबाद के बाजार में जो लाउडस्पीकर 1,800 रु० का है वही लोन लेकर खरीदा जाता है तो 2,800 रु० का उसी दुकान पर मिलेगा । कोई भी सामान प्रेस्क्राइब्ड दुकान पर किसान खरीदने जाय ड्यौढ़े, दूने दाम क्यों होते हैं, अमझ में नहीं आता ? और शासन का जो उद्देश्य है राहत पहुंचाना है···उनकी उल्टे लूट होती है और उस दुकानों से अधिकारी कमीशन लेते हैं । इसलिये उनको छूट दी जाये कि वह रसीद दिखा दें और जिस दुकान से सामान खरीदना चाहें, बैल-भैंस खरीदना चाहें, वह खरीद लें । देहातों में ऐसी-ऐसी बहुत-सी किंवदन्तियां प्रचलित हैं, जिनको यहां बताना मैं उचित नहीं समझता । निश्चित रूप से इस परम्परा को बन्द करना चाहिए ।

जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, 10,20 उदाहरण सामने आ जाते हैं । इस बारे में ध्यान देना चाहिए, तभी सही उद्देश्य की पूर्ति होगी ;

मानिटरिंग की रिपोर्ट जो आती है, उसमें शायद 50 प्रतिशत भी सत्य नहीं होती है । मानिटरिंग अगर विकास-खण्ड स्तर पर हो और फिर वहां से ऊपर आये तो सही पिक्चर आयेगी । इलाहाबाद जनपद में 6 लाख पेड़ लगाने का प्रोग्राम है, लेकिन किसी गांव को पता नहीं कि पेड़ कहां लगाने हैं । पेड़—कागज पर लगाने हैं या जमीन पर लगाने हैं ? विकास-खण्ड को कोई अधिकार नहीं कि उसकी चैकिंग कर सके । मानिटरिंग विकास खण्ड स्तर पर होनी चाहिए । मस्टररोल पर काम कराया जाता है, सिंचाई विभाग, पी० डब्लू० डी० विभाग और दूसरे विभाग मैनडेज जैनरेटेड दिखाते हैं कि इतने मैनडेज जनरेट हुए, लेकिन गांव की नहर, सड़क, पुलिया या पुल पर कोई काम नहीं होता है । अधिकारियों की जेब में पैसा चला जाता है । मानिटरिंग का मुद्दा विकास खण्ड को बनाना चाहिए क्योंकि वे हमारी सबसे नीचे की ईकाई है यहां मानिटरिंग होकर फीड-अप हो तभी सही पिक्चर ऊपर आयेगी, अन्यथा तो कागज पूर्ति होती है, वह गलत है और कहीं भी वस्तुस्थिति में फायदा नहीं होता है ।

देश में निराशा इस बात से भी है कि देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबों के लिये देहात और शहरों के लिये इतना पैसा दे रही हैं, विभिन्न योजनाओं द्वारा और विभिन्न रूपों द्वारा दे रही हैं, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग सरेआम जनता की निगाह के सामने होता है, जिससे जनता में बहुत गुस्सा है और इसको हम केवल मानिटरिंग विकास-खण्ड स्तर पर करने से रोक सकते हैं ।

सभापति महोदय, विकास खंड आपके यहां भी होगा, हमारे यहां भी । जहां से सांसद आते हैं, उनको मालूम है कि विकास खण्डों में जिन अधिकारियों को जाना चाहिए, वह अधिकारी वहां पार्टिसिपेट नहीं करते, बी० डी० सी०'की मीटिंग में वह अधिकारी जाते नहीं । अगर वह उन मीटिंगों में जाते तो तमाम समस्याओं का निराकरण वहीं मौके पर हो जाये । उनके न जाने से बी० डी० सी० में केवल प्रस्ताव पास होता है । जब उनको वहां जाने का समय नहीं है तो उन प्रस्तावों पर कार्य करने का उनको कहां समय है ?

सब राज्य गवर्नमेंट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जूनियर इंजीनियर्स, एसिस्टेंट इंजीनियर्स गांवों में रहते नहीं हैं, जिन विभागों के कर्मचारियों को गांव में नियमानुसार रहना चाहिए वह वहां रहते नहीं और शहरों में काजू-किशमिश खाते हुए एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं। गांव का किसान एक दफ्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे दफ्तर में जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती।

सिंचाई के बारे में अपने पोटेंशियल इंक्रीज 24 परसेंट बताई है। सिंचाई का पूरा ढांचा जो केन्द्र को राज्यों द्वारा फीड किया जाता है, वह गलत है। एक ट्यूबवैल 250 एकड़ सिंचाई करता हुआ दिखाया जाता है। वह 250 एकड़ तब सिंचित कर सकता है, जब नाली बनी हो, और 20, 22 घण्टे उसे बिजली मिलती हो। न उसको बिजली मिलती है, न नाली बनी हैं, न ठीक है, बिगड़ा रहता है, कमांड एरिया में नहर में दिखा दिया जाता है, कि माइनर में 2 हजार बीघा सिंचाई हो जाएगी। जबकि एक वार भी पानी नहीं जाता, कोलाबा से पानी नहीं चढ़ता है और गलत कुछ इरिगेटेड एरिया दिखाकर कह दिया जाता है कि इतना खाद्य और गल्ले का उत्पादन हुआ जबकि न इतनी सिंचाई है और न इतनी सिंचित क्षमता बढ़ी है। केन्द्रीय सरकार से इस आशय का निदेश जाना चाहिए कि राज्य स्तर पर इन बातों का कोई न कोई प्रावधान किया जाए।

1.00 म० प०

ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा योजना चलाई गई कि मजदूरों से दो रुपए किलो चावल के हिसाब से काम कराया जाए। देश की नेता प्रधान मन्त्री का इस बारे में आदेश हुआ, गरीबों के हित में हुआ। लेकिन उसका लेखा-जोखा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जो सड़कें बनीं, वे बरसात में वह गईं, और कोई भी काम दिखाई नहीं देता है। मानिटरिंग का केन्द्र-बिंदु विकास-खण्ड और प्रधान होना चाहिए। उसकी संस्तुति के बिना किसी भी कार्य को सही नहीं माना जाना चाहिए।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैट्रोल और डीजल के आयात में निरन्तर कमी होती जा रही है और देस में उनका उत्पादन बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कि उनका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हो सकता है कि इस मामले में एक दशक में देश आत्म-निर्भर हो जाए। लेकिन खाने वाले तेल का आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष वह चार अरब रुपये का आया था और इस वर्ष वह सात अरब रुपए का आया है। इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई आबादी। 1947 का भारत 35 करोड़ का भारत था, जबकि 1980 का भारत 70 करोड़ का भारत है। आबादी की दृष्टि से एक नया भारत इन 35 वर्षों में पैदा हो गया है। इसके अलावा लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो गया है। पूरी, कचौड़ी और पकौड़ी का शौक बढ़ रहा है। इसकी तुलना में तेल का उत्पादन कम है। गेहूं और धान के मामले में हम कुछ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन तिलहन और दलहन के उत्पादन में जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी प्रगति हमने नहीं की है, हालांकि प्रधानमन्त्री ने इनको बहुत महत्व दिया है।

[श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी]

यह हमारा दुर्भाग्य है कि यदि कोई इंडस्ट्री सिक हो जाती है, तो उसके लोन का इंस्ट्रेस्ट माफ हो जाता है, लेकिन अगर किसान ड्राउट, बाढ या साइकलौन से प्रभावित होकर सिक हो जाता है, तो उसका लगान, तकावी और कर्जा मुल्तवी तो होता है, मगर उस मुल्तवी पीरियड का इंट्रेस्ट माफ नहीं होता है। जब दैवी विपत्तियों के कारण किसानों से कर्जे की वसूली रोक दी जाती है, तो कम से कम उस पीरियड का इंस्ट्रेस्ट भी माफ होना चाहिए, जैसा कि इंडस्ट्री के सम्बन्ध में किया जाता है।

एग्रीकल्चर का उत्पान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इतने इनवेस्टमेंट के बाद भी इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मैं किसानों की तरफ से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वे लोग संगठित होने की मुद्रा में हैं। वे महसूस करते हैं कि उनके साथ उतना न्याय नहीं हो रहा है, जितना कि होना चाहिए। किसानों का प्रतिनिधित्व कृषि मूल्य आयोग में होना चाहिए। किसान के काम में आने वाले ट्रेक्टर के दाम बढ़ जाएं, सरकार की तरफ से कम से कम मजदूरी दस रुपये तय हो जाए, किसान जो भी चीज खरीदता है, उसके दाम एक दो बरस में बढ़ते जाएं. लेकिन उसके अनुपात में किसान के गल्ले और गेहूं के दाम न बढ़ें, यह बड़ी भारी विधि की बिडम्बना है, जो किसान देख रहा है। उसको विश्वास है हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर, जिन्होंने किसानों के लिए कुछ किया है। लेकिन इस स्थिति से किसान अब ऊब रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि मूल्य आयोग जो बने उसमें किसानों का भी प्रतिनिधि रहे और केवल जैसे डागा जी ने कहा, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री ही न रहें, किसान के बीच के आदमी भी रहें वह किसान की हर चीजें, उसकी बढ़ती हुई लागत वगैरह को देखें।

यूटिलाइजेशन के बारे में मैं दो शब्द कहूंगा। यहां आने से पहले उत्तर प्रदेश में मैं कुछ समय तक मन्त्री रहा। थर्मल पावर स्टेशन वहां है जो 30-35 या 40-45 परसेंट बिजली पैदाकरता है। अभी तीन दिन से उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। वहां पानी बन्द है। सब कुछ बन्द है। वहीं आप देखें विजयवाड़ा में थर्मल पावर स्टेशन है, उसका यूटिलाइजेशन 90 से 95 प्रतिशत तक है। वहीं भेल की मशीनें हैं, वही कोयला है। वही इंजीनियर हैं। श्रीमती विद्या जी शायद वहीं से आती हैं। पिछली बार जब मैं वहां गया तो मुझे यह मालूम हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां 90-95 प्रतिशत यूटिलाइजेशन है थर्मल पावर स्तेशन का तो और थर्मल पावर स्टेशन में वह क्यों नहीं हो सकता।

मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिसमें ए० जी० आफिस, सी० डी० ए० पेंशंस और ऐसे कर्मचारी जिनको बौनस नहीं मिलता था, इंदिरा जी के निर्देश पर उन्होंने बोनस दिया। इससे इलाहाबाद के ही नहीं हिन्दुस्तान के लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए। उनकी री-स्ट्रक्चरिंग आफ बैजेज किया, डी० ए०, टी० ए० बढ़ाया। लेकिन आज थोड़ी-सी बात—वाइफरकेशन की मांग को लेकर के ए० जी० आफिस कर्मचारियों में असंतोष है। तमाम विरोधी पार्टी के नेता जब वह सत्ता में थे तो उनकी मांग को हल नहीं कर सके, उनकी एक मांग भी पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन आज वह उसमें राजनीति कर रहे हैं। तो मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि ए० जी० आफिस के कर्मचारियों में जो थोड़ा-सा असंतोष है वेज

स्ट्रक्चरिंग को लेकर और कुछ राजनेता उसको गलत तरीके ले प्रचारित कर रहे हैं केवल राजनैतिक लाभ के लिए, उसको भी हल करा दें तो बहुत अच्छा होगा।

मैं इस सदन के माध्यम से अपनी प्रधान मन्त्री और नेता इन्दिरा जी को बधाई देता हूं कि इलाहाबाद में उन्होंने टी० वी० दिया और केंसर का अस्पताल भी खोला। लेकिन इलाहाबाद की एक मांग है माडर्न हार्ट सेंटर की। लखनऊ में माडर्न हार्ट सेंटर है, वाराणसी में है। इलाहाबाद जो राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तथा ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा नेगर है सेंटर होना चाहिए।

मेरा एक और निवेदन है वित्त मन्त्री जी से और उनके माध्यम से सम्बन्धित मन्त्री से कि इलाहाबाद की आकाशवाणी शायद हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी आकाशवाणी है। लेकिन उसकी क्षमता एक किलोवाट की है। एक किलोवाट से नीचे की क्षमतावाली कोई आकशवाणी इस समय इस देश में है ही नहीं। उसका रेडियस केवल 35 किलोमीटर है। गोरखपुर का 150 किलोवाट है, लखनऊ का 100 किलोवाट है, रींवा में भी 50 किलोवाट है, नजीबाबाद में 200 किलोवाट है। तो इलाहाबाद की आकाशवाणी की क्षमता भी बढ़ायी जाय क्योंकि बनारस में भी 50 किलोवाट की आकाशवाणी होने जा रही है। इसके बाद इलाहाबाद तो सैंडविच हो जाएगा बनारस और रींवा के बीच में। थोड़े से इंवेस्टमेंट की जरूरत है। वह अगर नहीं किया जाएगा तो चारों तरफ से घिर कर इलाहाबाद सेंडविच हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इलाहाबाद की आकाशवाणी की क्षमता बढ़ायी जाय।

इलाहाबाद में एक रेलवे की कोच फैक्ट्री विचाराधीन है। आपने अपने यहां के लिए कहा। एक समय तो ऐसा लगा कि हमारी नेता इंदिरा जी इलाहाबाद जाकर उसका शिलान्यास करेंगी। लेकिन वह कोच फैक्ट्री पता नहीं कहां है, किस जगह पर है।

फूलपुर के लिए मैंने पिछले वर्ष सवाल किया था तो कृषि मंत्री जी ने कहा था कि दो फैक्ट्री वहां के लिए वहां मंजूर हुई हैं 60 करोड़ की—एक सोडा ऐश की और 60 करोड़ की एक एमोनियम प्लान्ट की। लैटर आफ इटेंट हो गया दो वर्ष से, लाइसेंस ईश्यू हो गया। लेकिन किस कोल्ड स्टोरेज में वह लाइसेंस पड़ा हुआ है, उसको भी आप देखें और उसको जल्दी से जल्दी लगवाने की व्यवस्था कर दें क्योंकि लाइसेंस मिल चुका है, धन का प्रावधान भी हो चुका है। शंकरगढ़ इलाके में फ्लोट ग्लास फैक्टरी 1 अरब 10 करोड़ की लागत से लगाने के लिए लाइसेन्स दे दिया गया है अतः उसको भी लगाने की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए।

इसके साथ साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि इलाहाबाद यू० पी० का मिनी कैप्टिल है, राजधानी तो लखनऊ ही है लेकिन इलाहाबाद ही यू० पी० की राजधानी रही होती यदि इलाहाबाद में आनन्द भवन और स्वराज्य भवन आजादी की लड़ाई के केन्द्र बिन्दु न रहे होते। इसी कारण अंग्रेजों ने राजधानी इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कर दी थी। आज भी ज्यादातर कार्यालय इलाहाबाद में हैं और लखनऊ में भी हैं। इलाहाबाद और लखनऊ के बीच पौने दो सौ किलोकिटर

[श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी]

की दूरी है जिसकी यात्रा में 8 से 12 घंटे तक लग जाते हैं। इसी लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। यदि एक सुपर फास्ट ट्रेन लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में हो जाए तो जो लोग दोनों ओर दफ्तरों में आते-जाते हैं उनकी समस्या हल हो जायेगी।

आज वाराणसी तो पर्यटक मैप पर है किन्तु इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद में लक्षागृह है जहां पर कौरवों ने पांडवों को जलाने की कुचेष्टा की थी, श्रृंगेरपुर है जहां भगवान राम ने वन जाते हुए गंगा पार की थी, वहां पर उदन की राजधानी कौशाम्बी है, भारद्वाज का आश्रम है, अकबर का किला है और पवित्र त्रिवेणी संगम है लेकिन फिर भी इलाहाबाद पर्यटक मैप पर नहीं आ सका है। मेरा अनुरोध है कि इलाहाबाद को भी पर्यटक मैप पर लाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, प्रारम्भ में मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी को उनके द्वारा मुद्रास्फीति को एक ही अंक पर नियंत्रित करने तथा देश के विकास की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए किए गए उपायों के लिए बधाई देनी चाहिए। सरकार के लिए यह प्रशंसनीय बात है कि इसने चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकार्ड लक्ष्य प्राप्त किया है। न सिर्फ इसने रिकार्ड लक्ष्य प्राप्त किया है बल्कि इसने यह देखने की कोशिश भी की है कि किसानों को अपने उत्पादन का उचित हिस्सा मिले। किन्तु इसके साथ ही मैं सभा तथा माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ विकार हैं और इस वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन में रिकार्ड लक्ष्य-प्राप्त करने के बावजूद चावल के उत्पादन में कुछ विकृतियां हैं। हम जानते हैं कि चावल का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत—उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि—में होता है, किन्तु मुझे मेघालय में उपलब्ध समाचार-पत्रों से पता लगता है कि चावल की पैदावार वास्तविक रूप से देश के अन्य राज्यों की तुलना में समान नहीं है। यहां मुझे बताना पड़ेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में अल्प विकसित देशों में अधिक उत्पादन की सूचना दोनों कोरियाई देश चीन तथा इण्डोनेशिया से प्राप्त हुई है और उद्योग प्रधान देशों में आस्ट्रिया सबसे आगे है और जापान उससे थोड़ा-सा ही पीछे है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के अनुभव से देखा गया है कि जब पानी और खाद का अधिक इस्तेमाल करने से चावल के खेत की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है तो उसमें खरपतवार, विनाशकारी कीटों तथा विकृतिजनक पदार्थों के कारण पैदावार को गम्भीर खतरा हो सकता है। इस जोखिम का प्रभावी रूप से निवारण करना विशेषकर उन छोटे किसानों के लिए आवश्यक होगा, जिनसे अन्यथा उन खाद्यान्नों में अपेक्षित लागत लगाने में रुचि लेने की आशा नहीं की जा सकती जो कि अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यहां सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पैदावार की असमानताओं में सुधार लाना है। चावल की पैदावार में पंजाब, प्रति हैक्टेयर 2,961 कि० ग्रा० उपज के साथ सबसे आगे है और हरियाणा उससे थोड़ा पीछे है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा

उत्तर प्रदेश में चावल की औसत पैदावार 1,308 कि० ग्रा० के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 952 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर है और जिसके कारण भूमि के 66.8 प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है। इसके बाद, पंजाब और हरियाणा जो कि देश की जनसंख्या का चार प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है, राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन का 13 प्रतिशत उत्पादन करता हैं। इन राज्यों की केवल 19 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति इस सम्बन्ध में सबसे खराब है। अत: खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के आंकड़ों से स्पष्ट समृद्धि की स्थिति को देश भर में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न से वंचित लोगों के संदर्भ में देखना होगा। क्योंकि हमारी वितरण प्रणाली के दोषयुक्त होने के कारण प्रति व्यक्ति कैलोरी की पूर्ति भी समान नहीं है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इन दोषों को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए कार्रवाई करें।

आर्थिक सलाहकार मन्त्री ने भी इन राज्यों में चावल उत्पादन की वृद्धि दर कम बतायी है। पूर्वी और मध्य भारत में पैदावार का निम्न स्तर बना हुआ है और तमिलनाडु-कर्नाटक तथा केरल के तीनों दक्षिणी राज्यों में अधिकतर चावल उत्पादन का स्तर स्थिर बना हुआ है। उन्होंने इसी तरह से दालों तथा तिलहनों की उपज की दर के कम होने का भी उल्लेख किया है।

जहां पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन प्राय: स्थिर बना हुआ है, वहीं कुछ राज्यों में वर्ष 1982-83 की तुलना में उर्वरकों की खपत में कमी आई है आंध्र प्रदेश में उर्वरक की खपत में 8.7 प्रतिशत से घटकर 5.4 प्रतिशत रह गयी है, तमिलनाडु में यह 5.4 प्रतिशत कम हुई है। और पंजाब में 4.1 प्रतिशत कम हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने किसानों को उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इस सबके बावजूद, उर्वरक की खपत में कमी हुई है। माननीय मन्त्री जी को यह देखना है कि इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है।

तिलहनों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि तिलहनों की प्रति हैक्टेयर पैदावार में प्रति वर्ष उतार-चढ़ाव आ रहा है क्योंकि तिलहनों के बहुत बड़े भाग की उपज वर्षा पर निर्भर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। जब तक इस उतार-चढ़ाव को नहीं रोका जाएगा तब तक हम वर्ष के दौरान पकड़ी गई उपज की इस रफ्तार को बरकरार नहीं रख पाएंगे।

सिंचाई के प्रश्न पर आकर माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि साधन क्षमता का किस तरह से तैयार की जाती है, किन्तु इसका उपयोग किसान के हित के लिए नहीं किया जा रहा है। मैं इसके बारे में विस्तार से कहूंगा कि वर्ष 1979-80 के अन्त तक यद्यपि 565 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई साधन क्षमता उत्पन्न की गई है, देश में वास्तविक रूप से उपयोग की जाने वाली क्षमता उत्पादन की गई क्षमता की तुलना में बहुत कम है। दरअसल देश में 42 लाख हैक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि उपयोग में नहीं लाई जा रही है। यह ठीक है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 137.4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने के लिए कदम उठाए। किन्तु मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार 11.5% क्षमता उत्पन्न कर पाएगी। सिंचाई क्षमता के उत्पादन में कमी आ जाने के बावजूद, देश में सिंचाई क्षमता और इसके

[श्री अर्जुन सेठी]

प्रयोग के बीच में भी व्यापक अन्तर हो गया है। सिंचाई मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लगभग 70 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार और मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। हमने बहुत पैसा खर्च किया है। जब तक इसका किसानों और हम सभी के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक हम खाद्यान्न के उत्पादन में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसी प्रकार, हमने कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए भी व्यवस्था की है। क्षमता बनायी गयी और इसके उपयोग के बीच के अन्तर को कम करने के लिए सरकार ने कमान क्षेत्र विकास परियोजना का निर्माण किया है। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? प्रतिवेदन में बताया गया है कि इस दिशा में हमने ऐसे प्रयत्न नहीं किए हैं कि उनका परिणाम प्राप्त हो। इसे बनाने के लिए कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कमान क्षेत्र विकास परियोजना है जो कि सलंडी विकास परियोजना कही जाती है। हालांकि यह पिछले 12 वर्षों से कार्य कर रही है किन्तु उसकी क्षमता प्राप्त नहीं हुई है। विभिन्न कारणों की वजह से प्रगति नहीं हुई है। चकबन्दी और भूमि को समतल बनाने का कार्य निर्धारित लक्ष्य तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी सिंचाई क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सकता और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकता।

सरकार को बार-बार बताया गया है कि वह अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हर हालत में पूरा करें। चार वर्ष पहले ही बीत चुके हैं लेकिन हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है कि अब तक कितनी परियोजनएं पूरी की गई हैं और कितनी अपूर्ण परियोजानओं को पूरा किया जाना बाकी है। नई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। योजना के दौरान 104 नई योजनाएं हैं। यह अच्छा है कि उन्होंने परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया है किन्तु हमने पिछली योजना में जो कार्य शुरू किया था वह भी पूरा किया जाए। लागत में वृद्धि हो गई है। अत: ये परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिएं।

उड़ीसा और दूसरे राज्यों के तटवर्ती क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, आप भी मेरे ही राज्य के हैं। वहां शिछले दिसम्बर से वारिस नहीं हुई है। जल-स्तर नीचे चला गया है। अब तक जो नलकूप चल रहे थे उनमें से अधिकांश सूखे पड़े हैं। जब तक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए आपाती कदम नहीं उठाए जाते तब तक मुझे आशंका है कि लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मुझे ध्यान है कि मैंने पिछले अवसर पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने के बाद खराब पड़े अनेक नलकूपों के बारे में आर्षित किया था। वहां मंजूर किए गए नलकूप भी हैं किन्तु रिमों के उपलब्ध न होने और उस स्थान पर अन्य कठिनाइयों के कारण उन्हें लगाया नहीं गया है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वे इसके लिए कुछ करें।

मैं माननीय मन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अर्थ-व्यवस्था में आने वाली

दिक्कतों के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयत्यन किए हैं। उन्होंने अर्थ-व्यवस्था को भली भांति संचालित किया है और खाद्य समस्या के मामले में उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है।

धन्यवाद।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, आज जो वित्त विधेयक पेश है और उस पर जो चर्चा हो रही है, उस पर कुछ कहने से पहले मुझे याद आता है जब सन् 1980 में दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था और 1980-81 का बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया था और जो आर्थिक दिशा दी थी, निश्चित तौर पर वे हमारी सफलता के कारण हैं। आपको याद होगा कि सन् 1980 में एक जर्जर अर्थव्यवस्था हमको जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन में प्राप्त हुई थी और ऐसा क्यों हुआ था, उसके इतिहास में मैं इस समय बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता और केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी कांग्रेस सरकार ने आर्थिक दिशा निर्धारित की थी, उसको बदल दिया था और जो हमारी प्लानिंग की व्यवस्था थी, उसको बदल दिया था और एक रोलिंग प्लान वाली अर्थ-व्यवस्था लाकर सारी अर्थ-व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ था कि हमारा कृषि उत्पादन घट गया था और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की बजाए माइनस में पानी 1.4 पर सेन्ट और घट गया था। इस तरह से हमें जो खराब अर्थ-व्यवस्था मिली थी, उसको सन् 1980-81 में हमने धीरे-धीरे पटरी पर लाना शुरू किया और उस वर्ष ही हमारा औद्योगिक उत्पादन 2.9 पर सेन्ट बढ़ गया था और कृषि का उत्पादन भी बढ़ा लेकिन 82-83 में देश में प्राकृतिक आपदाएं आईं चाहे वह सूखा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे ओला हो और अन्य प्रकार की कई विपदाएं जैसे तूफान आए। इनके कारण हमारी अर्थ व्यवस्था पर थोड़ी-सी परेशानी आई और इनके कारण हमारा कृषि का उत्पादन कुछ घट गया था लेकिन पिछले चार, साढ़े चार सालों में हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और जो वायदा किया था कि हम 5 प्रतिशत से अधिक अपनी अर्थ-व्यवस्था में बढ़ोतरी करेंगे, उसमें हम सफल रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, अपनी सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और मन्त्रियों को बधाई देना चाहता हूं। आज हमने लगभग 15 करोड़ टन रिकार्ड गल्ले का उत्पादन किया है। 14 करोड़ 97 लाख टन अनाज हमने पैदा किया है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि हमारी सरकार ने जो नीति बनाई थी, वह सही थी और चुनाव में जो वायदा किया था कि हमारी सरकार वह बनेगी जो काम करती है, उसको पूरा किया है। हमने जो लक्ष्य उत्पादन का रखा था, कृषि उत्पादन में लक्ष्य से ज्यादा पैदा किया है। औद्योगिक उत्पादन में जरूर थोड़ी-सी गिरावट आई है लेकिन उसको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा औद्योगिक उत्पादन 4.2 पर सेन्ट हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि 1984-85 के समाप्त होने तक हम औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे।

एक बात और कहना चाहता था और वह यह है कि औद्योगिक उत्पादन को अगर देखा जाए, तो जनता पार्टी के रिजीम में इसमें बहुत कमी आई थी और आपको याद होगा कि जनता रिजीम

[श्री राम प्यारे पनिका]

में किस तरह से जनता मिट्टी के तेल के लिए, पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए परेशान थी और उसे बड़ी-बड़ी लाइनों में लग कर इनको लेना पड़ता था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है।

श्रीमन् आप जानते हैं कि हमने पेट्रोल सेक्टर में कितनी आशातीत उपलब्धि प्राप्त की है। यह उस सरकार की उपलब्धि है जो कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चल रही है। अगर यह सरकार रही और मेरा पूरा विश्वास है कि यह सरकार रहेगी ही, तो पांच वर्षों के अन्दर हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे।

हमने कोयले का उत्पादन बढ़ाया, हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया। बिजली का जितना उत्पादन हम बढ़ाना चाहते थे उतना नहीं बढ़ा पाये, यह मैं मानता हूं। क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां रही हैं। हमारे यहां बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। पहले हमने छठी पंचवर्षीय योजना में साढ़े उन्नीस हजार मेघावाट का लक्ष्य रखा था लेकिन साधनों की कमी के कारण हमने साढ़े चौदह हजार मेघावाट का लक्ष्य निर्धारित किया। उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम साढ़े चौदह हजार मेघावाट का लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि बिजली हमारा मुख्य सेक्टर है। अगर बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ता है तो औद्योगिक उत्पादन, कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए बिजली उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

मैं कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने जो सफलताएं प्राप्त की हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं, उन पर हम गर्व कर सकते हैं और राष्ट्र भी गर्व कर सकता है। विपक्ष के लोग हमारे कार्यक्रमों और हमारी नीतियों की आलोचना करते हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा रास्ता सही है। हमें जो अर्थव्यवस्था पिछले रिजीम से जर्जरित अवस्था में मिली थी, बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के, हमने उसे आगे बढ़ाया है और निश्चित तौर से इसमें सफलता प्राप्त की है।

जब हम आई० एम० एफ० से लोन ले रहे थे तो विपक्ष के लोग बहुत आलोचना किया करते थे और कहते थे कि हमने देश को गिरवीं रख दिया है। मान्यवर, अब आपने देखा है कि हमने फारन एक्सचेंज बचाकर आई० एम० एफ० से लोन की 1.4 एस० डी० आर० लेने के लिए मना कर दिया है। हमने यह लेना इसलिए मना किया है कि क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर तरक्की करते जा रहे हैं।

श्रीमन्, एक बात की हमें अपने यहां कमी दिखाई देती है। वह है मेनपावर की जिस पर कि हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की और टैक्नीकल क्षेत्र में शिक्षा देते, इन क्षेत्रों में लोगों को ट्रेनिंग देते तो हमारी प्लानिंग बहुत सफल होती हम साऊथ कोरिया गये थे। वहां हमने देखा कि वह देश दस वर्षों के अन्दर आर्थिक क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया। वह इसलिए आगे बढ़ गया कि उसने आर्थिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में एक सन्तुलन बनाये रखा। जहां उस देश ने आर्थिक विकास किया, वहीं उस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास किया। हमारे देश में

शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को नान-प्लान में रखा गया है। हमारे देश में जो एजूकेशन की हालत है बहुत ही दयनीय है। 37 वर्ष के अन्दर हम केवल 36 परसेंट लोगों को शिक्षित कर सके हैं। या यह कहना चाहिए कि 36 परसेंट लोगों को साक्षर कर सके हैं, असली शिक्षा तो केवल 10-15 परसेन्ट लोगों को ही दे पाये हैं। शिक्षा की समस्या एक बहुत मौलिक समस्या है। अब आप सातवीं पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। आप इसमें शिक्षा को पूरा महत्व दीजिए। नहीं तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान पर जो धनराशि खर्च कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो पायेगा क्योंकि हमारे पास मेनपावर नहीं रहेगी।

अब मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, वैसे इस पर कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इरीगेशन पोटेंशियल क्रियेट नहीं किया है। हमने बड़े डेम, बड़ी बड़ी नहरें बनाई हैं। ट्यूबवैल्स भी हमने लगाये हैं। लेकिन कमाण्ड एरिया न बना पाने की वजह से जहां पानी हम ले जाना चाहते हैं वहां तक नहीं ले जा पा रहे हैं। इससे आपके सिंचाई साधनों का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं नालियां ठीक नहीं हैं, कूले ठीक नहीं हैं। जहां ट्यूब-वैल लगे हैं वहां बिजली नहीं मिल रही है। इस सब का कारण यह है कि हम कमाण्ड एरिया नहीं बना हैं। मैं विशेषकर अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राबर्ट्सगंज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वहां डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत 36 बन्धियों का निर्माण हुआ है लेकिन कमांड एरिया न होने के कारण उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जमीन ले ली गयी है, रुपया खर्च हो गया है लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हो पाया है। सिंचाई नहीं हो रही है। योजना में जो बुनियादी कमियां हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। काम तो सरकार ने बहुत किया है लेकिन उसके नतीजे जितने प्राप्त होने चाहिए थे, उतने प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि योजनाओं में कई कमियां रह गई हैं।

बिजली के बारे में आप देख लीजिए। बिजली हम साढ़े 14 हजार मेगावाट प्राप्त करने जा रहे हैं लेकिन उसका यूटीलाइजेशन 40-49 परसेंट बताया गया है। हम एन० टी० पी० सी० और विद्युत विभाग के आभारी हैं कि उसने अच्छे रिजल्ट्स देश को दिए हैं। लेकिन योजनाओं में कमी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाता हैं। लेकिन विद्युत मण्डलों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। स्पेयर पार्ट्स प्राप्त नहीं कर पाते। हिन्दुस्तान भर में विद्युत मण्डलों के पास धन का अभाव है। पेयर पार्ट्स और फर्निश आइल की कमी रहती है। इससे यूटीलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता। अगर इस यूटीलाइजेशन को 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में काफी विकास हो सकता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि आप पावर हाउसेस मत लगाइए, उस ओर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जहां धन लगाया जा चुका है उसका यूटीलाइजेशन भी होना चाहिए। भेल को आगे बढ़ाइए, स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध कराइए। अनुशासनहीनता को दूर कीजिए। हमारी नेता ने तो कहा है कि "अनुशासन ही देश को महान बनाता है", आज विद्युत मण्डलों में अनुशासन की यह हालत है कि वहां का चेयरमैन एक मामूली कर्मचारी का स्थानांतरण भी नहीं कर सकता। आगरा जिला है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि 48 परसेंट लाइन लासेस है, बिजली की चोरी हो रही है। इसको रोकने की आवश्यता है। कोयला अच्छा सप्लाई करना पड़ेगा। कैपेसिटी यूटीलाइजेशन की और

[श्री राम प्यारे पनिका]

ध्यान देना होगा। इन सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को अपने हाथ में लें। क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो केन्द्र सरकार पर ही आती है।

कुछ राज्य तो ऐसे है, जैसे बंगाल जो सी० ए० की एडवाइज को ही नहीं मानते हैं। वहां पर बिजली की हालत बहुत खराब है। इसको सुधारने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर जो लास में चल रहे हैं, उनको लाभ में परिवर्तित करना होगा। प्राइवेट सैक्टर में भी अधिकतर गवर्नमेंट का ही पैसा लगा होता है, इसलिए उनका लाभ में चलना भी आवश्यक है। 30 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार का लगा हुआ है। नाम के लिए वे प्राइवेट सेक्टर हैं। मुझे खुशी है कि अभी वित्त मन्त्री महोदय ने कलकत्ता में कहा कि प्राइवेट सैक्टर वालों को भी लाभ दिखाना पड़ेगा। सारा रुपया लेकर एक के बाद एक उद्योग लगाते जाते हैं और फिर लाकर आउट मैनडेज लास और अन्य कारणों से प्राइवेट सैक्टर में भी घाटा दिखाना शुरू कर दिया जाता है। पब्लिक सैक्टर में भी जो गड़बड़ी चल रही है, उनको दूर करने की आवश्यकता है। पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में शाब्दिक अर्थ जरूर है लेकिन सारी धनराशि गवर्नमेंट की ही लगी होती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के कारपोरेशन्स दूसरी जगह से पैसा लेकर काम चला रहे हैं। प्राईवेट सैक्टर वालों से भी आपको रिजल्ट मागना चाहिए क्योंकि वे भी काफी पैसा ले लेते हैं। नौकरी के लिए भी प्राईवेट सैक्टर वालों को कहना पड़ेगा कि आपको इतने शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लोग लेने पड़ेंगे। हमारे जितने भी टैक्नीकल और क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको प्राईवेट सैक्टर वाले अधिक पैसा देकर अपने यहां रख लेते हैं। ऐसे अधिकारी हमारे भेद को जानते हैं, इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। मेरे एरिया में तीन थर्मल पावर स्टेशन्स हैं। एक स्टेट सैक्टर और दो पब्लिक सैक्टर में। जैसे कोई कोयला लेने वाला अधिकारी है और वह वहां का जनरल-मैनेजर है तो वह यह कहकर ओवलाइज करता है कि रिटायरमेंट के बाद हमको रख लेना। प्रैक्टिकल बात ही आपको बता रहा हूं। मैं, सरकार से कहना चाहूंगा कि एक नियम बनाया जाए जिससे इस तरह की जो गड़बड़ी हो रही है, उस पर रोक लग सके। अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कहीं पर जिला परिषद्, कहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद और कहीं पर प्राईवेट स्कूल खुले हुए हैं। संविधान में समता का अधिकार भी दिया हुआ है। देश में जो ईर्ष्या की भावना चल रही है, जब तक वह समाप्त नहीं होगी तब तक शिक्षा में एक रूपता नहीं आयेगी। हमारा, तीन भाषा का जो फार्मूला है, उसको कई राज्यों ने स्वीकार नहीं किया है। एक लोकल भाषा, एक अंग्रेजी और एक हिन्दी भाषा का फार्मूला है। एकीकरण के हिसाब से हमें शिक्षा में सुधार लाना होगा। राज्यों को कहना पड़ेगा कि शिक्षा का स्तर एक ही होगा। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो कास्टीच्युश्नल संकट पैदा हो गया है। मैं, विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि टीचर्स को सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहिए चाहे वह सत्तारूढ़ या विपक्षी दल के लोग हों। तभी, राष्ट्र में अनुशासन कायम हो सकता है और राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। वन नीति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में 33 प्रतिशत जंगल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन, जो है, उनको ही बचा नहीं पा रहे हैं। कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 में पास किया गया। जो आदिवासी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उनको

पूरे अधिकार अभी तक नहीं दे सके हैं। यह कहा गया था कि लैण्ड रिफार्म करके अधिकार देंगे, वह कार्य भी नहीं हुआ। हमारे जैसे कार्यकर्त्ता को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है। वन विभाग, हरिजन और आदिवासियों की भूमि छीन रहे हैं। भूमि सुधार के लिए एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाया जाए। 1984-85 तक यह कार्यक्रम हो जाना चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम इस देश के लिए वरदान है, चाहे आई०आर०डी०, एन०आर०ई०पी०या स्पेशन कंपोनेंट का कार्यक्रम हो। आज क्या हो रहा है राज्य स्तर पर, वह हमें देखना चाहिए। चूंकि सैंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन इसमें तीन कमियां हैं—एक तो हमारी प्रधानमन्त्री जी की दिली इच्छा है कि यह सारा कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम बने। लेकिन हमारे अधिकारी उसको जनता का कार्यक्रम न मानकर अपने लाभार्थियों को इसमें शामिल कर रहे हैं और उस पर प्रधानों आदि की मुहर लगा लेते हैं। दूसरे, बैंकों से जितना सहयोग अपेक्षित है, वह नहीं मिल रहा है। उपमन्त्री जी चले गए, उनके पास बैंकिंग का विभाग भी है, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सारे देश की और सदन की यही राय है कि बैंकों का रुख इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में आड़े आ रहा है। हमारी प्रधानमन्त्री जी के बार-बार कहने के बावजूद, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बैंकों के इस रुख में परिवर्तन लाया जाए। जहां-जहां भी बैंकों ने इस कार्यक्रम में थोड़ा बहुत मदद दी है, मन्त्री जी सुन लें, वह सब परसेंटेज लेकर दी है। चाहे बिहार का मामला हो या केरल का, हमारे सभी साथी इसमें शामिल हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं। एक बैंक मैनेजर के विरुद्ध मैंने शिकायत की थी, लेकिन अब एक साल के बाद मुझे उसका उत्तर आया है कि उसके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज हो गया है और कार्यवाही की जा रही है। उसको ट्रांसफर करने के बाद भी, वह अपना स्थानांतरण 6 महीने से ज्यादा हो गया रुकवाये हुए हैं और अपने अधिकारियों के कहने में चल रहा है। मेरा मतलब है कि आज यूनियनें इतनी शक्तिशाली होती जा रही हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने सी० पी० एम० के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप वैसे तो गरीबों की बातें करते हैं, लेकिन इनकी यूनियनें इतनी जम गई हैं कि जहां गरीबों को कर्ज देने की बात आती है, ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि बैंकों के साथ सरकार को कड़ाई के साथ पेश आना चाहिए। इसके बाद गरीबों को जो वस्तुएं आप दे रहे हैं, वैसे हमारे कई साथियों ने उनके बारे में कह दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वे चीजें बड़ी रद्दी और घटिया किस्म की हैं, जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो बुनियादी किस्म की चीजें हैं, हमारी माननीया प्रधान मन्त्री जी की भी इच्छा है कि इस कार्यक्रम के जरिए गरीबों को अच्छी चीजें सुलभ हों। पहले तो उनको बैंकों से कर्जा नहीं मिल पाता, दूसरे उनको घटिया और रद्दी किस्म की चीजें मुहैया की जाती हैं। हमारे विरोधी दल चाहे कितना कहें, लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि हमारी सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद जो कार्यक्रम जनता को दिए हैं, उसके तहत यदि किसी को 10 भैंसें दी गईं और किसी ब्लाक में या डाक्टर ने एक भैंस का 500 रुपया ले लिया, तो हमारे विरोधी दल उसको इतना उछालते हैं और पोलिटिक्स को उसमें शामिल कर देते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप सामने आईये, क्योंकि हमारी माननीया इन्दिरा जी ने कार्यक्रम में इन लोगों को भी तो शामिल किया है। जो भी अच्छा कार्यक्रम सरकार चलाये उसमें इनको भी अपने आपको शामिल करते हुए विचार प्रकट करने चाहिए। लेकिन अच्छे कार्यक्रम का ये आप श्रेय

[श्री राम प्यारे पनिका]

लेना चाहते हैं और काम में जो गड़बड़ होती है, उसको सरकार के माथे मढ़ने की बात करते हैं। मधु दण्डवते जी के विचार काफी अच्छे हैं और मैं उनसे काफी प्रभावित होता रहता हूं लेकिन जब भी कोई पोलिटिकल बात यहां आती है तो ये भी सही चीज को दूसरी तरह से पेश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामने सारे देश को आगे ले जाना है और छठी पंचवर्षीय योजना में हमने जिस आर्थिक नीति को क्रियान्वित करने का निश्चय किया है, अपनी नीति को जो दिशा दी है, वह बिल्कुल ठीक निकली और तमाम कठिनाइयों, आपदाओं और विपत्तियों के बावजूद रिकार्ड उत्पादन किया है। इसी तरह कई विपदाओं के बावजूद हमारा औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है और हम लक्ष्य से अधिक टार्गेट एचीव करने जा रहे हैं। हमारे यहां 16 करोड़ टन के आसपास गल्ले का उत्पादन होने जा रहा है। यदि हमारी नीति सफल नहीं होती तो इतनी सारी उपलब्धियां हम कैसे हासिल करते। मान्यवर, यह निश्चित हो गया है कि तमाम कठिनाईयों के बावजूद सरकार ने जो काम किए हैं, आसाम से लेकर पंजाब तक आप देख लीजिए, वह हमारी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त जिन इन्टरनेशनल परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, आज हमारी नेता को विश्व के 101 देशों का नेतृत्व करने का श्रेय मिला है, चाहे आप विदेश नीति को लें, अर्थ नीति को देखें या किसी दूसरी नीति को, सभी स्थानों पर हमें सफलता मिली है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे विरोधी दल बोलें तो जरा वास्तविकता के संसार में घूम कर कहें। केवल अपनी पार्टी या विरोध करने के पचड़े में न पड़ें और कोई इधर-उधर की बात न करें।

मान्यवर, मैं आज अपने क्षेत्र के विषय में नहीं बोल सका, जब कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा इलाका बड़ा पिछड़ा है, आदिवासी है। जहां आपने उड़ीसा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस किसान की जमीन आप लें उस किसान को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जानी चाहिए। ऐसा न होने के कारण उन औद्योगिक क्षेत्रों में आज भारी असंतोष फैला हुआ है, आग की ज्वाला फैल रही है। हमारे विरोध पक्ष वाले जब वहां जाते हैं तो सिर्फ भड़काने वाले भाषण करते हैं। उपमन्त्री जी आप नोट करें कि जिन पिछड़े इलाकों में आप योजनाएं चलायें, आप उससे पहले उन लोगों को नौकरी दें। आपके आदेशों का अधिकारी लोग पालन नहीं करते, चाहे आप प्राइवेट सैक्टर को ले लीजिए या पब्लिक सैक्टर को। इन शब्दों के साथ मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री नुरूल इस्लाम (धुबरी) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1984-85 के वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करते हुए पहले मैं माननीय मंत्री जी को उनके द्वारा बहुत ही उपयुक्त बजट बनाने और उस पर वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं इसे उपयुक्त बजट इसलिए कहता हूं क्योंकि इस वर्ष के बजट का उद्देश्य देश के पद दलित, मध्यम वर्गीय और सीमित आय समूह के लोगों का हित करना है।

महोदय, यह बजट मुद्रास्फीति-विरोधी है और यह सिद्ध हुआ है क्योंकि मुद्रास्फीति 8.8 प्रतिशत नीचे आ गई है और मुद्रास्फीति घट जाने के कारण सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों

को मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें देने का प्रस्ताव किया है। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर शुल्क कम हो जाने के कारण सभी वर्गों के लोगों का हित होगा और बढ़ती हुई कीमतों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता वस्तुओं पर शुल्क कम कर देने तथा बजट में अपनाए गए दूसरे उपायों से देश की सकल राष्ट्रीय आय को बढ़ावा मिलेगा। बजट में घोषित आयकर राहत से सभी वर्गों के आय समूहों को लाभ पहुंचेगा और बचत तथा निवेश करने, जिसे मैं वर्तमान आर्थिक सलाहों में बहुत आवश्यक समझता हूं, को प्रोत्साहन मिलेगा। उर्वरकों पर आर्थिक सहायता बढ़ाने और कृषि के लिए पर्याप्त धनराशि के आबंटन से देश के कृषि उत्पादन में अनिवार्य रूप से सुधार आएगा। बजट में घोषित खाद्य-सामग्री पर राज सहायता से आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

महोदय, हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के महत्वपूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए धन-राशि के आबंटन की दुगमता करने से देश से काफी हद तक गरीबी हटाने में निश्चय ही हितकर प्रभाव होगा इन सभी बातों के लिए मैं 1984-85 के वित्त विधेयक का समर्थन किए बगैर नहीं रह सकता। हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल मार्गदर्शन तथा हमारे वित्त मंत्री के गतिशील व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा आरम्भ किए गए कठोर वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन के फलस्वरूप हम 1984-85 तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर पाए हैं। औद्योगिक उत्पादन 1979 में 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 1984 में 85 में 5.4 प्रतिशत हो गया है। मुद्रा स्फीति की दर 1979 में 21 4 प्रतिशत से घटकर 1984 8.8 प्रतिशत रह गई है। तेल उत्पादन 1979 में 10.4 मिलियन टन से बढ़कर 1984 में 26 मिलियन टन पहुंच गया है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 142 मिलियन टन तथा कोयला उत्पादन 1979 में 107 मिलियन टन से बढ़कर 1984 में 137 मिलियन टन हो गया है। अतएव, मैं 1984-85 के वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

यद्यपि हमने ये सभी उपलब्धियां हासिल की हैं तथापि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये उपलब्धियां सारे देश में एक समान नहीं हैं। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं। इस असमान विकास के कारण देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप देश में सर्वत्र असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि नियोजन दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि दोषपूर्ण जन-शक्ति नियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होते हैं और यह हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय इस पर गौर करेगा क्योंकि विभिन्न राज्यों को धन-राशि का आबंटन वित्त मंत्रालय करता है। धन-राशि का आबंटन करते समय अविकसित क्षेत्रों तथा राज्यों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों को आबंटित धन-राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय को अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए।

राष्ट्रपति के अविभाषण, सामान्य बजट तथा अब इस वित्त विधेयक पर बहस के दौरान मैंने एक बात देखी है। विपक्ष की ओर से ऐसे भाषण दिए गए हैं कि यह सरकार एकाधिकावादी घरानों को प्रोत्साहन दे रही है। विपक्षी सदस्य सदैव यह आरोप लगाते रहे हैं कि इस सरकार ने

[श्री नुरूल इस्लाम]

एकअधिकार-विरोधी कदमों के नाम पर जनता को बहकाया है तथा टाटा, बिरला तथा अन्य 75 एकाधिकारवादी घरानों ने बेशुमार धन-दौलत तथा परिसम्पतियां एकत्रित करली हैं। यह स्वाभाविक ही है। क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में हमें निजी पूंजी को पनपने का अवसर देना चाहिए।

एक बात मैं आपके ध्यान में अवश्य लाना चाहता हूं। जब हमने 1950-51 में योजना आरम्भ की थी तो हमारे पास केवल पांच केन्द्रीय सरकारी उपक्रम थे जिनकी कुल पूंजी 29 करोड़ रुपए थी। आजकल हमारी अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। उस समय कुल पूंजी निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा 93% था तथा सरकारी क्षेत्र का हिस्सा केवल 7% था।

आज क्या स्थिति है? आज सरकारी क्षेत्र का पूंजी-निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है तथा निजी क्षेत्र के हिस्से की प्रतिशतता 93 % से घटाकर 28% कर दी गई है। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि यह सरकार एकाधिकारवादी घरानों के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भ्रमित कर रही है? जी नहीं।

अब मैं एक और मुद्दे की ओर आता हूं। उन्होंने कहा है कि सरकार अधिक विदेशी सहायता पर निर्भर कर रही है, आयात नीति को उदार बना रही है तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता की नीति को छोड़ रही है मैं कहना चाहूंगा कि छठी योजना में हमारा परिव्यय 110 हजार करोड़ रुपए की बड़ी राशि का है जिसमें से हम पिछले चार वर्षों में 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुके हैं।

इस बड़ी व्यय राशि में विदेशी सहायता की प्रतिशतता कितनी है? इसमें द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वित्तीय सहायता दोनों शामिल हैं। ऐसी सहायता की मात्रा 7% से भी कम है तथा योजना व्यय का 93% हमारे अपने संसाधनों से प्राप्त होता है। क्या यह आत्म-निर्भरता की नीति नहीं है? पूंजी निवेश की दर 25% है, हमारी बचत 23% है, हम अपने कुल पूँजी निवेश के केवल 2% के लिए विदेशी सहायता पर आश्रित हैं। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर है।

यदि आज हम यह मान लें कि संसार के सभी देश हमें आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देना बन्द कर देते हैं, तो इस देश का क्या होगा? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह देश 26 से 30 मिलियन टन तेल, 10 से 15 मिलियन टन इस्पात, 35 से 40 मिलियन टन सीमेंट तथा 132 से 150 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन करता रहेगा। यदि ऐसा है तो क्या यह आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था नहीं है?

2.00 म० प०

महोदय, अब मैं तीसरी बात उठाना चाहता हूं। यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर मैं पहले ही अपने विचार रख चुका हूं। तथापि, मैं फिर कहना चाहता हूं कि

हमारे 40% राष्ट्रीय संसाधन कृषि से प्राप्त होते हैं। अब, कृषि का विषय राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है और इस साल से टैरिफ का विषय भी राज्यों को सौप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1982-83 में 35,000 करोड़ रुपए के कुल केन्द्रीय राजस्व में से राज्यों को दी गई राशि 12,822 करोड़ रुपये थी। प्रतिशतता के हिसाब से यह 36.6% बैठती है 1960-61 में 1322 करोड़ रुपये की कुल आय में से केन्द्र ने राज्यों को केवल 471 करोड़ रुपये दिए थे। प्रतिशतता के हिसाब से यह केवल 24.8% था। अब उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को धन-राशि देने में कहां अन्याय हुआ है ? देश के मुख्य संसाधनों का 40% पहले ही राज्यों को स्थानांतरित किया जा चुका है, जो कृषि से प्राप्त होता है। उसके बाद विद्युत टैरिक भी राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने अपनी कुल आय का 36,6% भी राज्यों को स्थानांतरित कर दिया है। मुझे यह नहीं समझ में आता कि वे यह दावा कैसे करते हैं। कि राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। विपक्ष का यह दावा है कि राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिएं। वे यह नारा केवल अपने अन्दरूनी मामलों को सुलझाने में अपनी असमर्थता तथा अक्षमता को छिपाने के लिए लगाते हैं। श्रीमन्, 1950-60 के दशक के दौरान यदि संविधान के इन्हीं प्रावधानों तथा वित्तीय नीतियों के अंतर्गत श्री बेंकटरमन तमिलनाडु में औद्योगीकरण कर सकते हैं और यदि उसी प्रणाली के अंतर्गत बी० सी० राय आधुनिक बंगाल का निर्माण कर सकते हैं तो उसी प्रणाली के अंतर्गत पिछले सात वर्षों से बामपंथी सरकार बंगाल में एक भी उद्योग क्यों नहीं स्थापित कर पायी ? इसके अतिरिक्त, यदि आप विभिन्न राज्यों द्वारा विकास के लिए किए गए पूंजी-निवेश की प्रतिशतता को देखें तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि वहां कोई विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए मार्च, 1984 तक किया गया पूंजी निवेश लगभग 31% था, महाराष्ट्र में यह 29% आन्ध्र प्रदेश में 25% राजस्थान में 22% तथा पश्चिम बंगाल में यह केवल 17% था। तो क्या 17% पूंजी निवेश से पश्चिम बंगाल में कोई विकास कार्य हो सकता है ?

महोदय, इस वर्ष के बजट के पक्ष में जाने वाली एक बड़ी बात यह है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन काफी अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश के निर्धन वर्गों के लिए आर्थिक 'महाधिकार-पत्र' है यदि इस कार्यक्रम को सही ढंग से तथा ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम के लाभ आम लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी ग्रामीण आर्थिक पुनर्निर्माण करना तथा देश के निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के द्वारा हमने मार्च, 1983 तक 31.73 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की है हमने मकान बनाने के लिए 17.67 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता दी है। हमने 54,208 समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। 1983 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 89 लाख परिवार लाभान्वित हुए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1984 तक 328 मिलियन अतिरिक्त कार्य-दिवस पैदा किए गए।

महोदय, यद्यपि ये सभी कार्य हुए, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। हम चाहे कितनी अधिक प्रगति कर लें, बैंक अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के

[श्री नुरूल इस्लाम]

कार्यान्वयन में काफी हद तक बाधा पड़ी है। बैंकिंग सेवाओं के बारे में मैं लगभग एक वर्ष पहले ही कह चुका हूं कि मेरे जिले धुवरी तथा अन्य जिलों जैसे गोलपाड़ा, बारपेटा तथा कोकराझाड़ में प्रति बैंक जनसंख्या का अनुपात 50,000 से 1,50,000 तक भिन्न-भिन्न है। मैंने पत्रों द्वारा तथा इस सदन में अनुरोध द्वारा एक से अधिक वार माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि यह नहीं किया जाता तो 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा तथा यह देश के बहुत से अति संवेदनशील भागों में निष्फल हो जायेगा। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह यह देखें कि इन चार जिलों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएं जिनके लिए लाइसेंस बहुत पहले जारी कर दिए थे और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री यह देखने में अधिक रुचि लेंगे कि इन चार जिलों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएं तथा बैंक शाखा जनसंख्या अनुपात घटाकर अखिल भारतीय स्तर पर लाया जाए।

जहां तक धन-राशि के आबंटन का प्रश्न है, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि असम राज्य के लिए पर्याप्त धन-राशि आबंटित करें, क्योंकि यह राज्य न केवल संवेदनशील राज्य है बल्कि यह विद्युत, उद्योग, सिंचाई तथा ब्रह्मपुत्र नदी की भूमि कटाव रोकने की स्कीमों के विकास के लिए भी एक समस्यात्मक राज्य है। राज्य की समूची अर्थव्यवस्था ब्रह्मपुत्र नदी पर आश्रित है। मैं नहीं जानता कि सरकार पिछले 36 वर्ष से इस नदी पर काबू पाने के लिए क्यों कुछ कर नहीं सकी तथा इस बारे में भविष्य के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है मुझे लगता है कि इस नदी पर काबू पाने के लिए 25-30 वर्ष और लगेंगे। इसलिए, कम-से-कम धुबरी तथा गोलपाड़ा जिले में भूमि कटाव निरोधी कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए।

अकेले धुबरी तथा गोलपाड़ा जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के भूमि कटाव से लगभग एक लाख परिवार भूमिहीन तथा बेघर हो गए हैं और ये एक लाख परिवार भूमि तथा आजीविका के लिए सारे राज्य में भटक रहे हैं और उनसे एक राष्ट्रीय समस्या (विदेशी नागरिकों की समस्या) उठ खड़ी हुई है।

मैंने पिछली बार भी यह निवेदन किया था कि धुवरी और गोलपुरा जिलों में कटाव विरोधी योजनाएं बड़े व्यापक पैमाने पर आरम्भ की जानी चाहिए। ऐसा न होने से ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण 5—6 साली में इन जिलों के 6—7 लाख लोगों के भूमिविहीन और घर विहीन हो जाने की संभावना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए वहां करों में उपयुक्त छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए हमारी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत इच्छुक हैं।

जी० आई० सी० और न्यू इंडिया एस्योरेंस कम्पनी के मुख्यालय आज भी कलकत्ता में हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये मुख्यालय गोहाटी में स्थापित किये जाने चाहिए और धुबरी गोलपाड़ा, बोंगई तथा ककराझार में इसकी साखाएं खोली जानी चाहिए।

आई० डी० बी० आई०, एफ० सी० आई० (फिक्की) और अन्य बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए । पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन बैंकों द्वारा पूंजीनिवेश अन्य विकासशील राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह देखें कि विभिन्न बैंक पूंजीनिवेश कार्य में अल्पावधि में ही सुधार करें। केवल ऐसा करने से ही असम राज्य के औद्योगिकीकरण में सहायता मिल सकती है।

औद्योगिक दृष्टि से यह राज्य पिछड़ा हुआ है और जब तक बैंक इनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आते, इन राज्यों का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता मुझे आशा है कि इस राज्य के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए, मंत्री महोदय स्वयं मामले की जांच करेंगे तथा देखेंगे कि राज्य में बैंकों द्वारा किए जाने वाले पूंजीनिवेश में शीघ्र ही वृद्धि की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और महोदय, आपको हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सन् 84-45 का बजट प्रस्तुत हुआ और बजट के सम्बन्ध में अभी फाइनेंस बिल जो प्रस्तुत किया गया है उसका में समर्थन करता हूं। हमारे राष्ट्र ने बहुत तरक्की की है और दिनों दिन हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न का उत्पादन सन् 78-79 में रेकार्डिड था 13 करोड़ 20 लाख टन। वह बहुत अच्छा जमाना था। उसके बाद 1979-80 में भयंकर सूखा पड़ा और भयंकर सूखे के उपरान्त भी सन् 1982-83 में 12 करोड़ 80 लाख मी० टन अनाज पैदा हुआ। 1983-84 में हम 14 करोड़ 20 लाख मी० टन खाद्यान्न उत्पादन एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमारे कृषि मन्त्री जी ने बयान दिया है उसके अनुसार करीब 15 करोड़ मी० टन अनाज पैदा हुआ है। यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम खाद्यान्न के मामले में अत्म-निर्भर हो रहे हैं। परन्तु खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर होने के लिए हमें सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। अभी हमारे देश में केवल 20 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचाई के साधनों से कवर्ड है जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 67 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत कवर्ड है। इसलिए हमें सिंचाई के साधनों को बहुत बढ़ाना होगा। इसी दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान कैनाल का सम्बन्ध है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने छठी पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ की मदद दी है जोकि सराहनीय है। राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान केनाल की 5 लिफ्ट कैनाल्स की योजनायें अपने हाथ में ली हैं और साथ-साथ एक फ्लो कैनाल की योजना भी है जिसके द्वारा बाड़ोर जिले के गढत रोड़ तक पानी पहुंच सकेगा परन्तु इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में बड़ी आर्थिक कठिनाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर है। जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वही अकेला 70 हजार वर्ग मील है जोकि हरियाण प्रान्त से बड़ा और पंजाब के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरी ओर आप देखें कि गुजरात का प्लान 900 करोड़ का है, महाराष्ट्र का 1800 करोड़ का है जबकि हमारे राजस्थान का प्लान केवल 380 करोड़ का ही है। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ एवं रेगिस्तानी क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र भी है। जब तक आप वहां पर योजनाएं नहीं बढ़ायेंगे तब तक उन्नति कैसे हो सकेगी ? एक गाडगिल फार्मूला अपनाया गया था जिसके अनुसार बैकवर्ड

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

एरियाज को कुछ ज्याद पर्सेन्टेज दिया गया परन्तु उस पर्सेन्टेज को और भी बढ़ाना होगा और जो पिछड़े हुए प्रान्त हैं उनको अन्य प्रान्तों के मुकाबले पर लाने की बात भी सोचनी होगी तथा उसके लिए अधिक फाइनेन्सेज का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अभी तो जो प्रान्त आगे बढ़े हुए हैं वह और आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो पिछड़े हुए हैं वह और भी पिछड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप एक ही नार्म सभी प्रान्तों पर एक समान लागू करते हैं। जब तक आप उन नार्म्स में चेंज नहीं करेंगे तब तक पिछड़े हुए प्रान्तों की प्रगति नहीं हो सकेगी। हमारे प्रान्त की प्रगति के लिए यह बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। मैं इस बात को बराबर कह रहा हूं कि डैजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम के समानान्तर हिल्ली एरिया डैजर्ट प्रोग्राम लेना चाहिए। प्यानिंग कमीशन भी इस बात को मानता है और उसने सहमति भी दे दी है, लेकिन कहा गया है कि इसको छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं करेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना में करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों? डैजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर 50 प्रतिशत राज्य को देना पड़ता है और 50 प्रतिशत केन्द्र देती है, जबकि हिल्ली एरिया डैजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम में 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और 10 प्रतिशत लोन मिल जाता है। इस प्रकार ये क्षेत्र हम से ज्यादा विकसित हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको डैजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम के बारे में दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं तो हमारे जैसे राज्य पिछड़े रहेंगे। कौन आगे प्रोग्रेस कर सकता है, इस दृष्टि से भी सोचने की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादन से हम आगे बढ़ रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भी हम अवश्य तरक्की कर रहे हैं लेकिन इस दृष्टिकोण से भी आपको देखना पड़ेगा। पब्लिक एन्टरप्राइसेस में 33 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है और प्राफिट 618 करोड़ रु० है, लेकिन इसका 2 प्रतिशत ही हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह 10 प्रतिशत होना चाहिए। तब जाकर इसकी विशेषता और प्रमाणिकता साबित होगी। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं जो 'बिजनेस इंडिया' ने अपने 9 अप्रैल, 1984 के अंक में एक लेख में कहा है :

> "कार्यकाल की बढ़ती हुई अनिश्चितता से तंग आने तथा बढ़ते हुए सरकारी हस्तक्षेप से परेशान होने के कारण सरकारी क्षेत्र तेजी से अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा से हाथ धो रहा है। गत दो मास के दौरान लगातार कई लोगों के छोड़कर चले जाने से समस्या का पता लगता है। 2500 करोड़ रुपए की पूंजी वाले देश के वर्तमान समय के सबसे बड़े तथा महत्वाकांक्षी उपक्रम राष्ट्रीय एल्युमीनियम निगम के कुशल मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के० एस० रामचन्द्रन कार्यकाल न बढ़ाए जाने के कारण निगम छोड़कर चले गए। देश के प्रमुख इन्जीनियरिंग परामर्शदाता संगठन 'इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड' के अध्यक्ष श्री वी० के० बेरी त्यागपत्र देकर विदेशी परामर्शदाता संगठन में चले गए हैं।"

इस प्रकार योग्य से योग्य व्यक्ति भी हमारे हाथ से निकल रहे हैं और प्राइवेट इन्डस्ट्रीज में पहुंच रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। हमें इस दृष्टिकोण से भी सोचना होगा कि उनकी प्रोग्रेस हो, डवेलप हो और राष्ट्र की आय बढ़े। हमें राष्ट्र की आय भी तो बढ़ानी है। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने 5.4% आय बढ़ाने का संकल्प किया था, लेकिन अब दस प्रतिशत आय

बढ़ाने का संकल्प करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम राष्ट्रीय आय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें। जब तक हम औद्योगिक उत्पादन को नहीं बढ़ायेंगे, तब तक हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, इसके लिए हम कोशिश करके आई ए एस लोगों के स्थान पर टेक्नीकल लोगों को महत्व देना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल कैडर बनाना पड़ेगा। तभी जा कर हम औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके प्रोग्रेस कर सकेंगे। जहां तक सिक इन्डस्ट्री का संबंध है, इसमें हमारी सहानुभूति की स्थिति रही है। इसमें लाभ यह होता है कि मजदूरों को एम्पलाय कर दिया जाता है। इस इन्डस्ट्री को इस प्रकार बनाना चाहिए, ताकि यह भी प्रोफिट दे सके। जितनी सिक इण्डस्ट्रीज को हमने हाथ में लिया है, मैंने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, उनमें से कोई भी प्राफिट नहीं कर रही हैं। इसमें पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है जिससे हम सिक इण्डस्ट्रीज से भी लाभ प्राप्त कर सकें।

जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है—1979-80 में मुद्रस्फीति की दर 21.4 परसेन्ट थी, जो अब 1983-84 में घट कर 8.8 परसेन्ट हो गई है, यह ठीक है कि हम ने इसको घटाने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह से इस पर नियन्त्रण नहीं कर सके हैं। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। 1970 से लेकर अब तक रुपये की जो कीमत थी वह घटकर 33 परसेन्ट रह गई है, इसका मतलब है कि पहले जिस चीज के लिये एक रुपया खर्च करना पड़ता था, अब तीन रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 14 सालों के अन्दर यह स्थिति पैदा हो गई है। इसको देखने की आवश्यकता है।

वस्तुओं के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं —तेल, अनाज, मसाले सबके दाम बढ़े हैं। हल्दी के दाम तो दस गुना बढ़े हैं। इस तरह जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसको रोकने का एक उपाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यह हाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में चीनी तो मिल जाती है, लेकिन कैरोसीन प्राप्त नहीं होता है। किसी भी प्रकार का तेल वहां नहीं मिल रहा है। जिस तरह की व्यवस्था आपने नगरों में की है, जिस तरह से यहां पर आवश्यकता की सभी वस्तुयें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिल जाती हैं, जैसे कैरोसीन, खाद्य तेल आदि, उस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रही हैं। आप जानते हैं—ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा निवास करते हैं जिनको इस तरह की चीजें सुलभता से मिलनी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये जिससे वे सभी लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल सकें।

वेस्टफुल एक्सपेण्डिचर के बारे में आप कोई नियन्त्रण नहीं कर पाये हैं। आज पोजीशन यह है कि हमारे यहां पैट्रोल के मामले में जीपों, कारों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। लोक सभा के सदस्यों की जो कमेटीज बनी हुई हैं उन पर भी कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। जो इलैक्टेड कमेटीज हैं, फाइनेन्शियल कमेटीज हैं, दस दिन से ज्यादा उनकी मीटिंग्ज नहीं होनी चाहिये। नामिनेटेड कमेटीज की 7 दिन से ज्यादा मीटिंग नहीं होनी चाहिये। जब भी कमेटीज की मीटिंग हो, वह कम से कम 6 घन्टे या 8 घन्टे काम करें। वर्तमान स्थिति यह है कि वे 20-25 दिन तक बैठती हैं। अगर हम मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट अपने ऊपर नियन्त्रण नहीं करेंगे तो दूसरों पर, जनता पर प्रभाव नहीं जमा सकेंगे। हमारे मन्त्री मण्डल के सदस्यों को भी थोड़ा नियन्त्रण बरतना चाहिये—उनको अपने विदेशी

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

दौरों पर नियन्त्रण करना चाहिये, इस पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिये । विदेशी दौरों में एक खास बात यह है कि खास-खास व्यक्तियों को भेजा जाता है । क्या वे ही योग्य व्यक्ति हैं, दूसरे योग्य व्यक्ति नहीं हैं जो दौरों में जा सकें ? अगर उनकी भी यूटिलीटी है तो उनका भी उपयोग करना चाहिये । विदेशी दौरे कम से कम करने चाहिये, इसमें जितना कम खर्च किया जाय, उतना अच्छी बात है ।

आइ० एम० एफ० लोन के बारे में आपने जो निर्णय किया है, आखरी इंस्टालमेंट न लेने का जो निर्णय किया है, यह स्वागत योग्य निर्णय है तथा में इसकी प्रशंसा करता हूं । पब्लिक सैक्टर में डिपाजिट्स और सेविंग्ज को एनकरेज करने का प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है तथा और ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिये, क्योंकि पब्लिक सैक्टर के डिपाजिट्स बढ़ते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, विशेषकर नान-टैक्स-रेवेन्यू में ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है । नान टेक्स रेवेन्यू में माइनिंग डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है, पैट्रोल डिपार्टमेंट सक्रिय भाग ले रहा है । यह प्रयास ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये । पब्लिक एन्टरप्राइज जो इनकम करता है, वह नान-टेक्स रेवेन्यू है और इस नान-टेक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है । यह ठीक है कि ब्लैक मार्केटियर्स और टैक्स इवेडर्स को कन्ट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं लेकिन और भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।

अभी आपने कैपीटेलिस्ट वर्ग को 22 करोड़ रुपये की छूट दी है और कैपीटेलिस्ट वर्ग अगर इसका लाभ उठाकर अधिक औद्योगिक उत्पादन करता है, तो यह एक अच्छी चीज है और इसके लिए वाकई में छूट देनी चाहिए । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में पहले भी छूट दी है लेकिन अगर एक्साइज ड्यूटीज में उनको और एगजम्पशन दिया जा सकता है तो वह देना चाहिए जिससे वह प्रोग्रेस कर सकें ।

एक बात में इन्कम टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं । आपने कम्पलसरी आडिटिंग की व्यवस्था की हैं और पहले जो 20 लाख रुपये की लिमिट थी, उसको बढ़ाकर आपने 40 लाख रुपया किया है । अगर इसको आप 50 लाख रुपये कर दें, तो और अच्छी बात होगी लेकिन मेरा कहना यह है कि आडिटिंग होनी चाहिए क्योंकि आडिटिंग होने से सब एकाऊन्ट्स ठीक रखेंगे और वाउचर्स मेंटेन करेंगे और जब वाउचर्स मेंटेन होंगे, तो एकाउन्ट क्लियर होगा और गड़बड़ करने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर चारटर्ड एकाऊन्टेन्ट एकाउन्ट्स को आडिट कर देता है, तो उसके बाद जब इनकम टैक्स आफिस में वे एकाउन्ट्स प्रस्तुत किये जाएं, तो इन्कम टेक्स डिपार्टमेंट को उनको मान्यता देनी चाहिए और फिर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए । अगर कोई विशेष त्रुटि एकाउन्ट्स में हो, तो उसके लिए चारटर्ड एकाउन्टेन्ट को बुलाया जाए और अगर एकाउन्ट्स में कोई गड़बड़ पाई जाए, तो उसके लिए चारटर्ड एकाउन्टेन्ट पर एक्शन लेना चाहिए और उसके लाइसेन्स को समाप्त कर देना चाहिए । अगर ऐसी विधि अपनाई जाएगी, तो आडिटिंग का लाभ होगा । आडिटेड एकाउटन्स की प्रमाणिकता को

मान्यता देनी चाहिए और इन्कम टेक्स आथेंरिटीज को ऐसे एकाउन्ट्स को मान लेना चाहिए और लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।

एक बात में प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं। 25 प्रतिशत धनराशि हमने केन्द्रीय स्तर पर योजना में इस साल बढ़ाई है परन्तु राज्यों की जो योजना राशि बढ़ाई है, वह सिर्फ 18.1 पर सेन्ट ही पढ़ाई हैं। मैं यह बता दूं कि हमारे यहां राजस्थान की योजना में तो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, योजना राशि को घटा दिया है। 400 करोड़ रुपये की जो योजना थी, उसको घटाकर 387 करोड़ रुपये कर दिया है। हमारे यहां की गवर्नमेंट ने अपनी रिसोसर्ज बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है और पहले जो वहां पर शराबबन्दी थी, उसका चलना शुरू किया है और उससे इन्कम कर के अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश की है। आप जानते ही हैं कि हमारे यहां फैमिन कंडीशन्स हैं और चार साल से सूखे की स्थिति है और उसके कारण हमारी स्थिति मजबूत नहीं हो पाई है और आपने उस चीज को भी कंसीडर नहीं किया। चार साल से बराबर सूखा वहां पर पड़ रहा है और करोड़ों रुपया राज्य सरकार को इसके लिए खर्च करना पड़ रहा है और इसलिए सरकार ने 800 करोड़ रुपये का प्लान प्रस्तुत किया था लेकिन उसको घटा कर केवल 387 करोड़ रुपये की योजना ही मंजूर की है। इसके बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे फायनेन्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें यह कहा है :

> "जिन राज्यों ने अपने वित्त का अच्छा प्रबन्ध किया है, मैं उन्हें 1984-85 में कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त योजना बना रहा हूं।"

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमारे राज्य को अधिक धन देने की आवश्यकता है।

हमने छठी पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की योजना के बारे में, रेगिस्तानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों के लिए बहुत कम प्रावधान किया है। आने वाली सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के अन्दर हम सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करा दें, हमें अब ऐसा प्रोविजन करना चाहिए। हमारे यहां बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि वहां बिजनी नहीं पहुंचती है। रेगीस्तानी क्षेत्री और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के लोग भी लाभ उठा सकें। अब ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते हैं।

जब तक हम फेमिली प्लानिंग के ऊपरा पूरा ध्यान नहीं देते हैं, सभी लोग इसको नहीं अपनाते हैं तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। अब पिछड़े क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिए पूरा रेस्पोंस मिल रहा है। वहां महिला नसबंदी कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। नसबंदी कार्यक्रमों के लिए एक्सपर्ट डाक्टरों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। ऐसे डाक्टर रखे जाने चाहिएं जो कि सरजरी के जानकार हों।

हमारे यहां ऐसे क्षेत्र हैं, हिन्दुस्तान में और भी क्षेत्र होंगे जहां कि इस फेमिली प्लानिंग

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

कार्यक्रम को मुसलमान लोग नहीं अपना रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि 99 परसेंट हिन्दु और 1 परसेंट मुसलमान यह कार्यक्रम अपना रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश करके मोहम्मडन कन्ट्रीज में जो इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी करके, उनसे मुसलमान लोगों को अवगत करायें और उनमें भी इस कार्यक्रम को सफल बनायें। नहीं तो हमारी प्रगति नहीं हो सकेगी। अगर हम फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम को सभी लोगों में आगे नहीं बढ़ायेंगे तो हम विकास नहीं कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तय विधेयक, 1984 का समर्थन करने के लिए यहां उपस्थित हूं। इस विधेयक का समर्थन करते समय, मैं विशेष तौर पर माननीय मन्त्री तथा भारत सरकार का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आषित करना चाहता हूं। इनका उल्लेख मैं अभी करने जा रहा हूं।

हमने देखा है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान शिक्षा व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1950-51 में 144 करोड़ रुपये की तुलना में 1980-81 में 3700 करोड़ रुपये खर्च किए गए। लेकिन एक योजना से दूसरी योजना में शिक्षा के लिए किए जा रहे आबंटन में निरन्तर कमी आ रही है। यह देखा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में यह आबंटन 7.2% था जो कि दूसरी योजना में कम होकर 2 8% रह गया। इससे यह पता चला है कि वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने शिक्षा विभाग पर बहुत कम ध्यान दिया है। आप जानते हैं कि जहां तक इस देश की भावी पीढ़ी, भावी नागरिकों को तैयार करने का सम्बन्ध है शिक्षा इस देश की चिंता का विषय है। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार शिक्षा के लिए केवल 3% आबंटन देती है जबकि राज्य सरकारें अपने बजट का $\frac{1}{4}$ भाग शिक्षा के लिए आबंटित करते हैं। इस तरह, केन्द्र का योजना व्यय कुल योजना बजट का केवल 3% है जबकि राज्यों में यह करीब 15% है। इस सबसे साफ पता चलता है कि भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग इस विशेष मंत्रालय अर्थात् शिक्षा मंत्रालय के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उसे कितना महत्व देते हैं। यदि आप समूचे राष्ट्र को ध्यान में रखें, आज देश में क्या हो रहा है ? असम में देखिए। असम में विदेशी नागरिकों के मामले पर आंदोलन अखिल असम छात्र संघ द्वारा चलाया गया है। इस आदोलन में छात्र आगे हैं। पंजाब को देखिए। हर तहर की आगजनी, टूटपाट, कत्ल और पंजाब में पृथकवादियों का आंदोलन, यह सब अखिल भारतीय सिख छात्र, महा संघ करवा रहा है। राजनैतिक दलों तथा इनमें उनके अन्तर्ग्रस्त होने की बात छोड़िये। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक गम्भीर बात है।

इन दो मोटे उदाहरणों के अतिरिक्त, मैं ऐसे असंख्य उदाहरण दे सकता हूं जिनमें छात्रों की समस्याएं हैं। चाहे कलकत्ता विश्वविद्यालय हो या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय हो

या मैसूर विश्वविद्यालय, यदि आप समूचे देश में देखें तो आप पायेंगे कि हर जगह छात्रों में अशांति है चाहे वह परीक्षाओं का मामला हो या परीक्षा के स्थान का प्रश्न हो आदि। आप हमेशा देखेंगे कि पूरे देश में छात्रों में अशान्ति है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समूचे देश में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली हमारी भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है। हम देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली पूर्णतः परिवर्तन लाने, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 18-4-84 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन, सदस्य, योजना आयोग ने 16-4-84 को भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 32 वें दीक्षान्त समारोह में कहा कि छात्रों में जिज्ञासा तथा आत्म निर्भर होने की भावना उत्पन्न करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि परिवर्तित शिक्षा प्रणाली के आने के बाद राष्ट्र के भावी विकास के लिए उसके अनुरूप ढांचा तैयार किया जाये। लेकिन यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, यह कार्य वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से पर्याप्त सहायता तथा पर्याप्त बजट आबंटन के बिना नहीं किया जा सकता। यदि आज आप देश की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि विशेषकर समस्याएं इसी विशेष क्षेत्र की हैं। यहां अध्यापकों में असन्तोष का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं आज देश में दो अखिल भारतीय अध्यापक संगठन हैं—शैक्षणिक संघों का अखिल भारतीय महासंघ, जिसका मुख्यालय कानपुर में है और अखिल भारतीय विद्यालय तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संगठन का महासंघ, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। वे असंख्य मांगें कर रहे हैं तथा उन मांगों को पूरा कराने के लिए, जो कि मुख्यतः सेवा शर्तों तथा प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक के अध्यापकों के कल्याण से संबंधित हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, यदि आप शिक्षा के माध्यम से देश में अखंडता लाना चाहते हैं, तो शिक्षा को मुख्य विषय जाना ही जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा को समाज सेवा विभाग मानने की बजाय, भारत सरकार को इसे मुख्य विषय मानना चाहिए तथा तदनानुसार शिक्षा के लिए धन आबंटन करना चाहिए। यदि आप कुल बजट तथा शिक्षा के लिए किए गए आबंटन को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह राशि बहुत कम है और इसीलिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए तथा शिक्षा के लिए कम से कम $\frac{1}{4}$ भाग का आबंटन करना चाहिए।

अब मैं असम के पिछड़ेपन से सम्बन्धित कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जहां तक आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों का सम्बन्ध है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि असम बहुत पिछड़ा राज्य है। मैं पूर्ववक्ता सदस्य की बात से सहमत हूं और वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आसाम को इतनी अधिक धनराशि आबंटिन की है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक औद्योगिकरण का सम्बन्ध है, 364 करोड़ रुपये की यह राशि असम को शेष विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे आशा है कि वह इस ओर ध्यान देंगे और जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, असम के लिए योजना आबंटन में और वृद्धि करेंगे।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विभाजन के समय से कुछ शरणार्थी गोहाटी में

[श्री भुवनेश्वर भूयन]

विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर बस गए। काहिलीपाड़ा, गोहाटी में 34 बंगाली हिन्दू परिवार बसे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक को 5000 रुपये का ऋण दिया गया है। उनमें से अधिकांश लोग बहुत निर्धन हैं। और 1979 से असम की स्थिति ऐसी होने के कारण वे ऋण लौटाने की स्थिति में नहीं थे। कुल राशि 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, संभवतः वह उससे काफी कम है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वित्त मंत्री द्वारा तथा स्वयं मेरे द्वारा इन लोगों को बार-बार अनुरोध करने के बाद भी, इनकी मांग स्वीकार नहीं की गई है।

सभापति महोदय: क्या आप जानते हैं कि उनके ऋण बट्टे-खाते डाल दिए जाएं ?

श्री भुवनेश्वर भूयन : जबकि देश उद्योगों की रुग्णता तथा रुग्ण इकाइयों के अधिग्रहण करने के नाम पर करोड़ों रुपये बेकार कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि 2 लाख रुपये बट्टे खाते क्यों नहीं डाले जा सकते मैं आपसे इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि, जहां तक काहिलीपाड़ा, गोहाटी में बसे इन 34 शरणार्थी परिवारों का संबंध है, वित्त मन्त्री क्या करने जा रहे हैं। काफी समय से महालेखापाल, असम का कार्यालय शिलांग, मेघालय में काफी समय से स्थित है, असम से मेघालय के अलग हो जाने के बाद, वे लोग जो असम सरकार में कार्यरत हैं तो उन लोगों को अपना वेतन पाने या सेवा निवृत्ति लाभों के पाने में अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें इनके समाधान के लिए काफी दूर, शिलांग जाना पड़ता है। और एक बार जब वे अपने लेखों आदि निपटान के लिए शिलांग पहुंचते हैं और किसी कर्मचारी से इस सन्दर्भ में मिलना चाहते हैं तो वे पाते हैं कि वे व्यक्ति उपस्थित ही नहीं हैं कार्यालय ही नहीं आए हैं या वह अगले एक-दो-तीन दिनों तक आयेंगे ही नहीं और अगर भाग्यवश, संबंधित लिपिक आ भी जाता है तो एक या दूसरे सम्बन्धित व्यक्ति वहां नहीं होता है या आया ही नहीं होता जिसके फलस्वरूप उसे वहां ज्यादा समय ठहरना पड़ता है और इसके लिए उसे 100—200 रु० खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए इस कार्यालय को गोहाटी लाए जाने की मांग पूरी तरह न्यायसंगत और वैध है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि महालेखापाल का कार्यालय शीघ्र गोहाटी ले जाया जाए।

अब मैं वित्त मंत्री का ध्यान विभिन्न योजनाओं और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर हम मात्र असम सरकार द्वारा सप्लाई किए आकड़ें पर ही निर्भर करें तो मैं समझता हूं कि जो कुछ वहां हो रहा है, उसकी कोई सही जानकारी नहीं मिलेगी मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें वहां चालू कई योजनाओं के बारे में रिपोर्टें मिलती हैं तो उन्हें खुद इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जांच करानी चाहिए और तब उन्हें जायजा लेना जाहिए कि असम और देश के विभिन्न राज्यों में कितनी प्रगति हुई है।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, इस सदन में वित्त विधेयक विचार के

लिए प्रस्तुत है, मैं आपकी अनुमति से उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आर्थिक विकास के लिए, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए तथा बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं। वैसे तो योजनाओं का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, सरकार नीति का निर्धारण करती है और कार्यक्रम बनाती है लेकिन क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकारी विभागों पर है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि एक परियोजना को एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने में या एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने में काफी समय का विलम्ब होता है। विलम्ब के कारण जिस गति से हम गरीबों को सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुंचा पाते। आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे, हम भी जाते हैं और यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा भी की, उदाहरण के तौर पर पेय जल आपूर्ति योजना को ही ले लीलिए। हमारे यहां गर्मियों का मौसम आता है, चला जाता है, सालों निकल जाते हैं, हमारी सरकार की नीति यद्यपि सभी गांवों में पीने का पानी पहुंचाने की है, उसके बावजूद हमारे यहां अभी बहुत से गांव ऐसे रहते हैं, जहां पेय-जल उपलब्ध नहीं है। गर्मियों का मौसम वैसे अभी प्रारम्भ हुआ है और हम लोग अपने क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद यह अनुभव करते हैं कि पीने के पानी के लिए हमारे गांवों में हा हा कार मचा हुआ है। लेकिन हमारी संचिकाएं तकनीकों स्वीकृति के लिए अथवा प्रशासनिक स्वीकृति के लिए कछुए की चाल चलती ही रहती हैं। वैसे तो हमारी सरकार की नीति भी है और बीस सूत्री कार्यक्रम का यह एक मुख्य अंग है, उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में इतना विलम्ब होता है तो इससे आम जनता को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं कहना चाहती हूं कि कभी-कभी हमारी योजनाओं में निर्धारित कार्यक्रम अत्यधिक हो जाते हैं और हमारी सरकार के पास संसाधनों की कमी होती है तो इस कारण योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। अतः हम सबको देश में व्याप्त भौगोलिक विशिष्टताओं, सामाजिक विविधाओं, प्राकृतिक सम्पदाओं तथा प्राकृतिक साधनों आदि को ध्यान में रखते हुए ही योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी क्षेत्रों के लिए एक समान प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की जा सकतीं क्यों कि कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि इस कारण काफी क्षेत्रीय विषमताएं पैदा हो जाती हैं और हमारे आर्थिक कार्यक्रम को अवरुद्ध करती हैं। इसलिए विकास के कार्यक्रमों में हर क्षेत्र के जनमानस की आकांक्षाओं और उनकी आवश्कताओं के अनुरूप ही नियोजन किया जाना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधन मौजूद हैं, जिनका उपयोग आज ठीक से नहीं हो पा रहा है, समुचित ढंग से हम उन का दोहन नहीं कर पाते हैं इसी कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। हमारे बिहार में काफी समय से कुछ औद्योगिक विकास सम्बन्धित समस्याएं लम्बित हैं। जिनका सम्बन्ध भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बरौनी पैट्रो केमिकल्स कमप्लैक्स की चर्चा 1963-64 से चल रही हैं। इसके लिए योजनायें भी बनीं और इस बारे में भारत सरकार और बिहार सरकार का काफी पैसा भी खर्च हो चुका है, और बरौनी में पब्लिक सेक्टर कि प्रथम आयल रिफाइनरी है इसके बाद भी बिहार में अभी तक पैट्रो कैमिकल कम्प्लैक्स सैट अप नहीं किया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना के दर्मियान एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसने पैट्रो कैमिकल

[श्रीमती कृष्णा साही]

कमप्लैक्स की स्थापना की सम्भावनाओं को व्यक्त किया और संस्तुति भी की उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। बरौनी पैट्रो कैमिकल स्टडी टीम कायम की गई जो ओ० एन० जी० सी० द्वारा कमेटी बनाई गई थी, इस टीम ने देश के कई प्रान्तों का भ्रमण किया प्रतिवेदन भी दे दिए गए। पैट्रो कैमिकल्स कम्प्लैक्स की स्थापना की गई। चर्चा बराबर बरौनी की चलती रही और चूंकि पब्लिक सैक्टर की प्रथम रिफाइनरी बरौनी में लगी थी और इसी उद्देश्य से बनी थी कि बरौनी में पैट्रो कैमिकल्स कमप्लैक्स की स्थापना की जाएगी लेकिन अभी भी यह मामला उसी तरह से खटाई में पड़ा हुआ है जिसके कारण उस क्षेत्र में काफी रोष है। जब बड़ौदा में स्थापना की गई तो लोगों को उम्मीद बंधी शायद अब बरौनी की बारी है।

दूसरे चरण में कोयली में उसी के आधार पर हुआ और भारत सरकार ने तुनः निर्णय लिया कि 1968 में कोयली के आधार पर बरौनी में पैट्रो कैमिकल कमप्लैक्स की स्थापना की जायेगी। 1969 में भारत सरकार ने बिहार को अपना निर्णय बताया कि ऐरोपैटिकप्लान्ट बरौनी में लगाया जएगा। इस विषय की चर्चा आए दिन होती थी। 1976 में भी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कमेटी बनायी उसने भी निर्णय लिया। लेकिन अभी तब ऐरोपैटिक प्लान्ट बरौनी में नहीं हुआ है जिसकी वजह से बरौनी में जो नैप्था पैदा होता है उसको कानपुर और गोरखपुर को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर बरौनी में कैप्रोलैक्टस प्लान्ट और ऐरोपैटिक प्लान्ट लग जाते तो नैप्था को बाहर भेजने की आवश्वकता ही न होती और बिहार की आर्थिक स्थिति भी सुधरती। 1980 में साइट सलैक्शन कमेटी बनी जिसने संस्तुति की कि बरौनी में स्थापना होनी चाहिए और 1980 के अगस्त में बरौनी का निरीक्षण किया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कमेटियां जो बनायी जाती हैं इन सब पर भारत सरकार का काफी रुपया व्यय होता है, लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है ऐसा क्यों ?

दूसरी बात यह है कि देश में जितना कोयला होता है उसका 50 प्रतिशत अकेले बिहार में पैदा होता है। लेकिन अभी तक बिहार में कोई भी कोल वैस्ड इन्डस्ट्री नहीं है। अगर कोल वैस्ड कैमिकल इन्डस्ट्री वहां लगायी जाएगी तो बिहार प्रान्त की गरीबी दूर हो सकती है और उसकी आर्थिक उन्नति होगी। हम सभी जानते हैं कि बिजली की कमी आये दिन चर्चा होती है। यह बरसों बरस से हो रहा है। देहात में किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती जिससे खेती को नुकसान होता है और वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। इसी वजह से हमारे यहां ला एण्ड आर्डर की प्रोवलम पैदा होती है।

2.54 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे बिहार में एक नहीं कई बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं। अगर वहां हाइडल पावर प्लान्ट लगाए जाएं तो किसानों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी। इसी तरह से बिहार

माइकल बहुत होता है यह पिनरल रिसोर्स नेशनल असेट है। इसलिए बिहार में भविष्य में माइका बैस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए। बिहार में बहुत से मिनरल्स हैं लेकिन उसको जो भी रायल्टी मिलती है वह बहुत कम है और उस प्रतिशत में नहीं मिलती जो कि उसको मिलनी चाहिए। इस बारे में केन्द्र का अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है जिससे छोटा नागपुर एरिया में ही नहीं बल्कि सारे प्रान्त में आश्चर्य होता है कि जहां इतना कोयला, माइका होता है वहां रायल्टी के बारे में निर्णय लेने में सरकार क्यों विरोधाभास की नीति अपनाती है ?

मार्केट बौरोइंग में बैंकों में बिहार का हिस्सा बहुत कम है। उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। बैंकों में पैसा बहुत जमा होता है, लेकिन खर्च दूसरे राज्यों में होता है। हमारे यहां धनबाद जमशेदपुर के पास में बहुत खनिज पदार्थ हैं और बड़े-बड़े उद्योग हैं लेकिन उसके लिए जो पैसा बैंकों में जमा होता है, वह हैड आफिसेज में खर्च होता है जो कि बम्बई, कलकत्ता मद्रास में हैं। हमारे यहां किसी बैंक का हैड आफिस नहीं है।

बैंकों में रिक्रूटमेंट कलकत्ता में होता है। बिहार का स्थान हमारे देश में दूसरे नम्बर पर आता है, बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन बैंकिंग रिक्रूटमेंट वहां नहीं होती है जब कि वहां बैंकों में अनेक रिक्त स्थान हैं। इसके कारण वहां प्रशासन में अनेक त्रुटियां होती हैं। इसलिए बिहार में एक बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड की बहुत आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में दो वर्ष पहले ऐसे बोर्ड की स्थापना हुई है, लेकिन बिहार में नहीं हुई है।

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 6 बम्बई के हैं, 3 कलकत्ता के हैं, 3 कर्नाटक के हैं और 2 मद्रास के हैं। और भी प्रदेशों में कहीं-कहीं पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय हैं लेकिन बिहार, उड़ीसा जैसे प्रान्तों में बैंकों का मुख्यालय नहीं है। किसी न किसी बैंक का मुख्यालय बिहार जैसे प्रान्त में होना आवश्यक है।

आई० आर० डी० पी० और सैल्फ एम्पलामेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत कोई कार्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसका 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है और दरख्वास्तें बैंकों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन बैंकों ने अभी तक उन दरख्वास्तों पर कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई ध्यान उन पर नहीं दिया जा रहा है। सैल्फ एम्पलायमेंट प्रोग्राम जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम को अगर इस तरह से अनदेखा किया जायेगा तो हमारे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना गरीबों को ऋण देने के लिए हुई थी ताकि उनका आर्थिक उन्नयन हो सके लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां जो मैनेजर पद स्थापित होते हैं, वह गरीबों के प्रति न्याय नहीं करते हैं। आप चाहे जो कमेटी बनाएं, नियम बनायें या चाहे जो व्यवस्था करें, लेकिन यह जरूर देखें कि जिस उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है वह कार्य पूरा हो। ऐसा न होने से लोगों में बड़ा आक्रोश है। वह समझते हैं कि बैंकों में ऋण वितरण प्रणाली की व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इन कामों में बहुत दिलचस्पी ली है ताकि बैंकों का काम सुचारू रूप से चले, गरीबों को धन का सही वितरण हो,

[श्रीमती कृष्णा साही]

लेकिन व्यवस्था में ऐसी त्रुटियां आ जाती हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर मन्त्री जी ध्यान देंगे और इससे लोगों को लाभ मिल सकेगा।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री का ध्यान तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

पहली बात तो यह कि हमारा यह मनुभव रहा है कि जब कभी हम बजट या वित्त विधेयक में कर प्रस्तावों में संशोधन करते हैं तो इनका विरोध होता है। परमिट देने और प्राधिकृत करने से प्रत्येक प्रभावित नागरिक को यह अधिकार मिल जाता है कि वह इसे न्यायालयों में चुनौती दे। यह उसका मूल अधिकार है। लेकिन, श्रीमन्, ऐसा समय आ गया है और मैं यह बात, जिसे मैं बार-बार कहता रहा हूं पुनः कह रहा हूं कि जब कभी मुझे वित्त विभाग की कार्य मन्त्रणा समिति की बैठकों में भाग लेने का अवसर मिला, तब मैंने यही बात कही। पिछले 4 वर्षों के रिकार्ड पर नजर डालें। हमने कमियों को दूर करने के लिए या बकाया राशि वसूली करने के लिए या आयकर बढ़ाने

3.00 म० प०

के लिए कई एक संशोधन किये हैं, प्रत्येक दफा जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभावित व्यक्ति उसी समय न्यायालय चला जाता है और स्थगन आदेश ले आता है हमारे कानून की वैधता पर निर्णय नहीं होता और स्थगन आदेश जारी रहता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आपके समय में भी यह हुआ जब आप वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री थे।

श्री मगन भाई बरोट : जी हां। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूं।

जहां तक धारा 80-ञ का सम्बन्ध है, इस बारे में 18 जून, 1980 को आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया था। मैं उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए यह कह रहा हूं कि यह मामला आज तक लम्बित है। इस संशोधन का मूल उद्देश्य ही यह था कि दोनों तरफों का—सरकार का करदाताओं पर और करदाताओं का सरकार पर—कुछ करोड़ रुपयों की बकाया राशि के दावे थे। और इन्हें निपटाने के लिए ही सरकार ने धारा 80-ञ मे संशोधन किया था। जो विधान तब बनाया गया था, उसका अब भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख: होता है कि जहां तक समय की बात है सरकार के लिए स्थगन आदेश समाप्त करवाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि इसे प्राप्त करना बहुत आसान है।

पिछली दफा मैंने कहा था कि जब अखबारी कागज पर शुल्क में वृद्धि की गई थी तो बजट पेश करने के 4 दिन के अन्दर ही और सभा द्वारा इस पर चर्चा आरम्भ करने से पहले ही स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था। प्रत्येक बार, जब भी आप कर लगाने का प्रस्ताव करते हैं, जब भी आप वित्त विधेयक में विधान द्वारा कोई परिवर्तन या संशोधन करते हैं, तो करदाता या प्रभावित व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेता है।

मैं नागरिकों के चुनौती देने के अधिकार के विरुद्ध नहीं हूं। तब इसका उपाय क्या है? पिछले वर्ष आपने सारे बजट में 500 करोड़ रुपये के नये कर लगाये। लेकिन अगर आप स्थगन आदेश के कारण करों की बकाया राशि को देखें तो यह इस राशि से अधिक नहीं होगी। मैं वित्त मन्त्रालय और वित्त मन्त्री के लाभ के लिए प्रत्येक बार कार्य मन्त्रणा समिति में यह सुझाव देता रहा हूं कि इसके उपचार के लिए कोई कार्रवाई करने की कृपा करें।

मैंने एक सुझाव भी दिया है। मैंने पिछले बजट के दौरान चर्चा में बोलते हुए भी यह सुझाव दिया था, और मैं इसे पुनः दोहराता हूं कि आप सीमित प्रयोजन के लिए संविधान के 42वें संशोधन को देखें। मैं "सीमित प्रयोजन" शब्द पर जोर दे रहा हूं। 42वें संशोधन में जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की संपूर्ण शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है, और जहां तक इससे अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत दायर समादेश-याचिकाएं उच्च न्यायालय की शक्तियों को समाप्त किया गया है यह गलत सलाह तथा गलत-धारणा पर आधारित था और मैं सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि यह शरारतपूर्ण था। प्रत्येक व्यक्ति गलतियों से सबक सिखता है। हमें भी यह सबक सीखना चाहिए कि 42वां संशोधन पूर्ण रूप से कभी नहीं लाया जाना चाहिए और कभी भी दोहराया नहीं जाना चाहिए, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जहां तक स्थगन आदेश से सम्बन्धित अनुबन्ध का सम्बन्ध है, यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध है। किसी भी प्रभावित व्यक्ति को जोकि सरकार के किसी भी आदेश से प्रभावित हुआ है, स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। लेकिन न्यायालय नए संशोधन से सम्बन्धित आवेदन के सबम्न्ध में सरकार को या सम्बन्धित पार्टी को 15 दिन के भीतर सुनवाई के लिए आने का आदेश दे सकते हैं ताकि स्थगन आदेश के आवेदन पत्र को निपटाया जा सके। इससे एक लाभ होगा। सरकार स्थगन आदेश देने से सम्बन्धित अपनी आपत्तियां पेश कर सकती है या इसे समाप्त करने के लिए एक तरफा (डिगरी) प्राप्त कर सकती है।

स्थगन आदेश में समय सीमा एक महत्वपूर्ण बात है। एक वकील के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि कई मामलों में पार्टी केवल स्थगन आदेश प्राप्त करने में ही रुचि रखती है और 5 या 10 या यहां तक कि 20 वर्षों के लिए वे सो जाते है, भूल जाते हैं। इसीलिए इस सीमित सीमा तक यह उपबन्ध काफी लाभकारी है। मैंने कई दफा कहा है कि इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। आज सत्ताधारी दल की स्थिति काफी मजबूत है। इस सभा में उसे दो-तिहाई बहुमत प्राप्त है और राज्य सभा में भी उसे करीब दो-तिहाई बहुमत प्राप्त है। संविधान में संशोधन सम्भव है। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर और एक भारतीय नागरिक जोकि किसी भी सरकार की कार्यकरण के बारे में चिंतित हैं, अगर मैं सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार के ऊपर उठकर देखूं तो मैं समझता हूं कि जितना नागरिक पर भरोसा किया जा सकता है, उतना ही सरकार पर भी भरोसा करना होगा। इस बात का क्या लाभ है, जबकि कहा जाता है कि हम स्थगन आदेश प्राप्त कर लेंगे। हम आपको धनराशि वसूल करने नहीं देंगे? हम न्यायालयों से प्रतिदिन यही बात सुनते हैं। अगर नागरिकों पर भरोसा किया जा सकता है, यानि कि यदि आखिरकार उनके विरुद्ध आदेश दिए जाते हैं, तो उसे राशि देनी होगी। हम राज्य या केन्द्रीय

[श्री मगन भाई बरोट]

सरकार पर यह भरोसा क्यों नहीं करते हैं कि अगर वे हारजाती है तो उसे वसूल की गई राशि लौटानी होगी और अगर वे जीत जाती है तो वे वसूल भी करेंगी ? सरकार पर यह विश्वास नहीं किया गया है और इससे सुलझने का एक उपाय भी है। इसका उपाय है केवल संविधान संशोधन और वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री के जरिए मैं वित्त मन्त्री और वित्त मन्त्रालय से अपील करता हूं कि इस सभा और राज्य सभा में अपने इस उपयुक्त दो-तिहाई बहुमत का प्रयोग करें। मुझे विश्वास नहीं है कि अगली दफा जब बजट पेश किया जायेगा, तो कौन वित्त मन्त्री होगा और किस दल की सरकार होगी। मैं एक बात जानता हूं कि जिस किसी की भी सरकार हो उसकी इस या उस सभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं होगा, जिससे संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जा सके।

आपके पास स्वर्ण अवसर है। कृपया इसका उपयोग करें और इस सीमित संशोधन को संविधान में लायें अर्थात् 42 वें संशोधन का वह भाग जो कि न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश देने से सम्बन्धित है और प्राधिकारियों, सरकार या अर्ध-सरकारी संस्थाओं के इसको चुनौती देने के अधिकार को खत्म करवा सकें और स्थगन आदेश पर, सरकारी प्राधिकारियों से सुनवाई के बाद फैसला दिया जाए। यह किया जा सकता है और मुझे आशा है कि अगर ऐसा किया गया तो आज न्यायालयों में सैकड़ों करोड़ों रुपयों की वसूली जो स्थगन आदेश के कारण रूकी हुई है, की जा सकेगी और स्थगन आदेश समाप्त हो जायेंगे। इस समय सरकार को स्थगन आदेश के कारण विभिन्न पार्टियों से 2,000 करोड़ रुपये की वसूली बाकी हैं। अगर 2,000 करोड़ रुपये की वसूली की जाती है तो कोई भी सरकार बजट के घाटे को पूरा कर सकती है और देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है। मैं संविधान का इस देश के न्यायलयों की स्थिति का, आदर करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि संविधान में यह संशोधन किया जाए। सरकार को, बजट में, विधि में, नियमों में, अध्यादेशों में सरकार की देय बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। जब तक आप यह संशोधन नहीं करते, आप इसे वसूल नहीं कर सकते। हमारे रिकार्ड पर एक नजर डालें। पिछले पांच वर्षों के दौरान बजट प्रस्तावों के विरुद्ध कितने स्थगन आदेश दिए गए ? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके ज्यादातर बजट प्रस्तावों पर स्थगन आदेश मिला हुआ है और आप इनसे छुटकारा नहीं पा सके हैं, क्योंकि स्थगन आदेश के कारण आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अपनी आज की स्थिति का उपयोग करते हुए यह संशोधन करने पर विचार करें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : क्या यह तर्क किया गया है कि सरकार को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है या यह स्थिति इसलिए है कि स्थगन आदेश सरकार की जानकारी के बिना दिए जाते हैं और सरकार उनको चुनौती देने के अपने न्यायसंगत अधिकार का प्रयोग नहीं करती है ?

श्री मगन भाई बरोट : मैं प्रो० रंगा का सम्मान करता हूं। लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है। कोई भी दूसरी पार्टी को दिए गए एक तरफा आदेश के अधिकार को चुनौती नहीं देता है।

लेकिन प्रक्रिया यह है। मैं अपने अल्प अनुभव से यह कह रहा हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, करीब-करीब सारे बजट प्रस्ताव जिनका कि बजट के प्रस्तावों और राजस्व पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता था, को स्थगन आदेश प्राप्त है. स्थगन आदेश प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था वही है। इसलिए आंशिक रूप से अनिवार्य बनाने के लिए 42 वें संशोधन में यह उपबन्ध होना चाहिए है। कि इसे 15 दिनों के भीतर निपटाया जाये। यही बात है, जिसके बारे में दिन-प्रति-दिन हमें कठिनाई होती है इस मामले को सुलझाने का कोई आसान रास्ता नहीं है, इसलिए निवेदन है कि यही उपचार है, और चूंकि आप, आपका सत्ताधारी दल अब संविधान में संशोधन करने की स्थिति में है और इस बात का कोई पता नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में किसी अन्य दल या सरकार को इतना बहुमत प्राप्त हो, इसलिए कृपया अब ऐसा प्रावधान कीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं। कृपया ऐसा कीजिए।

दूसरा मुद्दा यह है। मुझे वित्त मन्त्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में हुई चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था। माननीय उप वित्त मन्त्री, जो बैंकों का काम देखते हैं, यहां उपस्थित हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण देती हैं। परन्तु इस धन का क्या किया जाता है, इस बारे में हमने न कभी सोचा है, न विचार किया है और न ही कभी चिन्ता की है। मैंने यह बात सलाहकार समिति में कही थी और यहां भी दोहराता हूं। यदि किसी ने बैंक से एक मोटी रकम उधार ली है और वह इसे वापस नहीं करना चाहता और वकील से सलाह मांगता है तो उसे क्या सलाह मिलती है ? 'बैंक को मुकदमा दायर करने दो।' मुकदमा दायर किया जाता है या आप दायर कर दें पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल के लिए आप मुकदमेबाजी में फंस गए।

इसके बाद पहला मुकदमा, दूसरा मुकदमा, अपील, संशोधन अपील, उच्चतम न्यायालय— 10 साल, 15 साल, 20 साल। अन्त में यदि डिग्री पास भी की जाती है तो आदेश में 6 प्रतिशत ब्याज होगा। कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण के अतिरिक्त किसी भी ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज नहीं लगता है, किसी ऋण पर भी 18 प्रतिशत से कम नहीं है। अतः यह किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यन्त सुविधाजनक होगा कि वह बैंक से ऋण ले और इसे मुकदमेबाजी में फंसा दे और 20 साल के बाद 6 प्रतिशत की दर से लौटा दे जब पैसे की कीमत अत्यन्त गिर जाए। अब इसका इलाज क्या है ? बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि जनता की है, वह लोगों द्वारा जमा कराई जाती है। अतः मैं यह सुझाव देता हूं। कि मौजूदा परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत परक्राम्य लिखत प्रपत्र के द्वारा दिए गए ऋण के सम्बन्ध में वसूली के लिए जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो शर्त यह रहती है कि बचाव करने वाला व्यक्ति पहले धन जमा कराएगा। एक चैक अथवा हुंडी अथवा रूक्के (वचन पत्र) के लिए इस प्रकार के परक्राम्य लिखत प्रपत्र की आवश्यकता होती है। यदि मैं किसी से वचनपत्र पर पैसा उधार लेता हूं और ऋणदाता इसकी वसूली के लिए मुकदमा दायर कर देता है और मैं अपना बचाव करना चाहता हूं और सीधे पैसा नहीं लौटाना चाहता हूं तो न्यायालय यह शर्त लगा देता है कि बचाव करने से पूर्व मैं पैसा जमा करा दूं। इससे ऋण देने वाले व्यक्ति को यह गारंटी मिल जाती है कि अन्तिम निर्णय के अध्यधीन

[श्री मगन भाई बरोट]

उसे धन वापस मिल जाएगा बल्कि उसे तत्काल दे भी दिया जाता है। यदि एक गैर-सरकारी व्यक्ति रुक्के पर, परक्राम्य लिखत प्रपत्र पर सफल हो सकता है और मुकदमे में बचाव करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व धन जमा करवा लेता है तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऐसा क्यों नहीं करवा सकती ? बैंककारी कानून में संशोधन किया गया है। मैं चाहता था कि एक उपयुक्त संशोधन लाया जाता कि वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के संबंध में, उनके धन को जनता का धन माना जाए और जहां कहीं विशेष प्रावधान है इसे भू-राजस्व की भांति वसूल करने योग्य माना जाए। हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए। परन्तु हमें यह प्रावधान अवश्य ही कर देना चाहिए कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को और वित्तीय संस्थाओं को और राज्य सरकारों की ऐसी ही संस्थाओं को अपनी बकाया धन राशि, अपने ऋणों को एक नागरिक की भांति परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत वसूलने का अधिकार हो। इससे पार्टी द्वारा अदायगी को चुनौती देने से पूर्व न्यायालय में धनराशि जमा कराना सुनिश्चित हो जाएगा। आज बैंकों के हजारों करोड़ रुपये, वित्तीय संस्थाओं के हजारों करोड़ रुपये, राज्यों की वित्तीय संस्थाओं के सैंकड़ों करोड़ रुपये की वसूली मुकदमेबाजी के कारण नहीं हो पा रही हैं। लोग स्थगन आदेश ले लेते हैं और निश्चिन्त हो जाते हैं। कृपया उनके साथ भी वही व्यवहार कीजिए जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है—न्यायालय में पैसा जमा कराया जाता है—इससे आपको पैसा वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि वित्त मंत्रालय इस सम्बन्ध में उपयुक्त संशोधन लाने पर विचार करेगा।

तीसरा पहलू यह है। यह वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में प्रकट की गई एक आशा से सम्बन्धित है। उन्होंने कहा है कि आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारितियों द्वारा आय कर अधिकारियों के समक्ष अपने मामले रखते समय जो नुकसान अथवा चोरी अथवा हेराफेरी की जाती है, उसके कारणों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है।

इन कारणों या त्रुटियों को दूर करने के लिए मेरे विचार में उन्होंने एक उपाय यह प्रस्तावित किया है कि यदि एक व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये से अधिक और निगमित निकाय अथवा कम्पनी की 20 लाख रुपये से अधिक है और यदि वित्त विधेयक अपने वर्तमान रूप में बना रहता है, तो उन्हें अपने खातों की चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से जांच करानी होगी, लेखा-परीक्षा करानी होगी अथवा उससे अनुमोदित करना होगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस का मैं पूरा सम्मान करता हूं। मैं इसे एक सामान्य बात के रूप में नहीं कह रहा हूं। परन्तु पूर्ण सम्मान के साथ क्या मैं यह कह सकता हूं कि गबन, हेराफेरी और घोटाले बहियों में नहीं है, वे बहियों से बाहर है ? क्या मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह कह सकता हूं कि मेरा स्वयं का एक अनुभव है। मैं एक ऐसे मामले में न्यायालय में पेश हुआ था जिसमें एक कम्पनी ने, जिसकी आय संभवत: करोड़ों रुपये होगी, खजान्ची के विरुद्ध एक आपराधिक शिकायत दायर की थी जिसमें यह कहा गया था कि खजान्ची ने अपने पद का दुरुपयोग करके 21 लाख रुपये का घोटाला किया है। मैं खजान्ची का बचाव कर रहा था। प्रतिवादी अर्थात अभियुक्त का तर्क था, जी हां, मैंने घोटाला किया है। मुझे इन घोटालों में एक

औजार बनाया गया परन्तु पैसा मेरी जेब में नहीं पहुंचा है। मैं प्रबन्धकों का शिकार बना हूं। प्रबन्धक मेरे पर हावी हो गये और स्थिति का फायदा उठाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। वास्तव में पैसा प्रबन्धकों के पास ही पहुंचा है। अपने बयान के समर्थन में उसने यह तथ्य प्रमाणित किया कि 1975 में इसी कम्पनी ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण के अन्तर्गत यह प्रकट किया कि इसके पास 100 करोड़ की राशि बे हिसाब पड़ी है। हाल ही में यह मामला उच्च न्यायालय के एक निर्णय से खारिज हो गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह इस संभावना से इन्कार नहीं कर सकता कि पैसा बैंकों से प्राप्त किया गया हो और प्रबन्ध ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अन्तर्गत प्रगट कर दिया हो। न्यायाधीश ने एक अत्यन्त ठोस निर्णय दिया है और एक पैरा शेरलक होम्स से भी उद्धृत किया है। चार्टर्ड एकाउन्टेंटों का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा, एक मिसाल है, रात को पहरेदारी करने के लिए कुत्ता रखा गया। चोरी हो गई परन्तु कुत्ता भौंका नहीं। जिस कुत्ते से भौंकने की आशा की जा रही थी, वह नहीं भौंका। उसके दिमाग में अचानक प्रश्न कौंधा कि कुत्ता क्यों नहीं भौंका? यह कैसे हो गया कि कुत्ता भौंका ही नहीं? और वह इस निर्णय पर पहुंचा कि पहरेदारी या निगरानी करने वाला कुत्ता इसलिए नहीं भौंका क्योंकि चोर मालिक के अलावा कोई और नहीं था। उन्होंने यह टिप्पणी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के खिाफ एक ख्याति प्राप्त चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट के खिलाफ की है। दस वर्षों तक यह चलता रहा चैकों के द्वारा इस राशि को प्रतिवर्ष दुरुपयोग किया गया और इसे बहियों में हिसाब में नहीं लिया गया और न ही रोकड़ बही में दिखाया गया और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों ने इसे एक अनुमोदित मद के रूप में सही कर दिया अब कृपया भगवान के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को सौंप देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह मामला चार्टर्ड एकाउन्टेंटों के बोर्ड को सौंप दिया। मैंने नरेन्द्र दलाल **बनाम** गुजरात राज्य के मामले का जिक्र किया है। मैसर्स रायजी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट थे। न्यायालय ने पहरेदार कुत्तों के रूप में इनका उल्लेख किया है। इनसे भौंकने की आशा थी परन्तु ये नहीं भौंके क्योंकि वे जानते थे कि चोरी मालिक के अतिरिक्त किसी ने नहीं की है। इसी कारण उच्च न्यायालय ने इस मामले को चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस बोर्ड के पास भेजा है, जो अब जांच करेंगे। परन्तु हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रखे गए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने 75 लाख रुपये का गबन और घोटाला किया था। इसलिए हमें यह वेद वाक्य की भांति सच नहीं मान लेना चाहिए कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा जांचे गए लेखे ही ठीक लेखे होते हैं। कृपया इस बहाने कम से कम उन लोगों की सहायता मत कीजिए जो सरकार पर हावी हो सकते हैं और कहते हैं कि हम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आप से अधिक सही हैं। ये दो मिसालें आखें खोलने वाली हैं, इसलिए मैं उप वित्त मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं और सभी सम्बन्धितों के ध्यान में भी ला चुका हूं और मैं यहां कहता हूं कि गुजरात उच्च न्यायालम ने एक और निर्णय दिया है कि वह कम्पनी और सम्बन्धित सज्जन व्यक्ति अम्बिका ट्यूब्स कम्पनी के प्रमुख प्रबन्ध, प्रमुख निदेशक, प्रमुख अग्रणी**.....आज गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध टिप्पणी किए जाने के बावजूद आज गुजरात राज्य उर्वरक कन्पनी के अध्यक्ष हैं। वह सरकार के सहयोग से 18 कम्पनियों के निदेशक पद पर काम कर रहे हैं। क्या आप इसकी जांच नहीं कर सकते, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते? क्या आप प्रत्येक व्यक्ति की

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मगन भाई बरोट]

उपेक्षा करना चाहते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय की भी उपेक्षा करना चाहते हैं । मैं आपके ध्यान में इसलिए लाया हूं क्योंकि ऐसे व्यक्ति का सरकारी निगम का अध्यक्ष होना सबके लिए शर्म की बात है । महोदय, वह उनकी पार्टी के किसी उच्च व्यक्ति के आशीर्वाद के कारण इस पद पर बने हुए हैं। परमात्मा के लिए प्रशासन को स्वच्छ बनाइये, ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय वस्त्र निगम के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को हटाइये और रायजी एण्ड कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही कीजिए तथा व्यक्ति के मामले में 18 लाख रुपये तक की और कम्पनी के मामले में 20 लाख रुपये तक का लेखा-परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों से कराने सम्बन्धी उपबन्ध में परिवर्तन करने के बारे में पुनः सोचें। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहने का अनुरोध करता हूं । कृपया यह पता लगाइये कि क्या कराधान वकील असफल हो गए हैं और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के समान घोटालों के लिए दोषी हैं । कुछ हद तक मैंने देखा है कि कराधान वकालत करने वाले मेरे मित्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों से कम सक्षम नहीं है और ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम उन पर विश्वास न करें और आप चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों पर अधिक करें । अपने उपर्युक्त दो अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन करूंगा कि वर्तमान व्यवस्था में परिर्तन करने से पूर्व आप दो बार सोचें और निर्णय लेने से कराधान वकीलों के प्रतिनिधियों की बात सुनें और उनके अभ्यावेदनों को देखें । धन्यवाद ।

आदरणीय

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है, जिसका मैं समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि प्रतिवर्ष हमारी आय में वृद्धि हो रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । इस वृद्धि का समर्थन प्रत्येक संसद सदस्य ने, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विरोधी पक्ष का हो, किया है । हमारे लिए यह गर्व का अवसर है जब हम देश में और दुनिया के सामने बतला सकते हैं कि हममें कितना परिवर्तन आया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी क्या स्थिति थी, औद्योगिक दृष्टि से हम कहां पर थे और आज हम कहां हैं । आज विश्व के उन्नत देशों के समक्ष हमारी गिनती हो रही है । कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी उस समय हमारी स्थिति क्या थी और आज क्या है । उस दिशा में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं । यह एक सच्चाई है ! इसके बावजूद भी मेरा यह निवेदन है कि हमारा दृष्टिकोण उत्पादन की ओर जिस तरह से है, कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में, उसी के साथ ही दूसरा भी हमारा लक्ष्य है और वह यह है कि सब से कमजोर तबके को हमें ऊपर उठाना है । अगर हमारा उत्पादन हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और कमजोर तब्का अगर इसको महसूस नहीं कर रहा है, तो उस उत्पादन का लाभ कम होगा । कहीं बाहर वह नहीं जाएगा, विदेशी सत्ता के हाथ में जाने का अवसर समाप्त हो गया है परन्तु कुछ विशिष्ठ वर्गों के हाथों में वह केन्द्रित हो जाएगा और उस केन्द्रित पूंजी का वही उपयोग होगा, जिस तरीके से बाहर की पूंजी शोषण के लिए उसका उपयोग करती रही है । इसलिए इस तरफ पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारी दिशा उस ओर जानी चाहिए ।

हमारा बीस-सूत्री कार्यक्रम जो है, वह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उसका प्रत्येक सूत्र सब से छोटे तबके को ऊपर उठाने के लिए है । इस आधार पर हमारी मंशा को कोई गलत नहीं कह

सकता मगर उसको लागू करने के लिए हमें पूरी गंभीरता के साथ यह देखना होगा कि सबसे अन्तिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं और इसमें निहित स्वार्थ तो हमारे मार्ग में आड़े नहीं आ रहे हैं। यह पूरी तरह से हमें देखना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य फिर क्या होगा। हमारा लक्ष्य यही होगा कि इसका लाभ हम तभी दे सकते हैं जबकि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अवसर मिले और देश के विकास में प्रत्येक भागीदार बने। तभी इसका लाभ देश को भी होगा और उस व्यक्ति को भी होगा और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सारे कार्यक्रम इसी आधार पर होने चाहिए क्योंकि अगर केन्द्रीयकरण होता है, तो उसका सारा फायदा केन्द्रित होता चला जाएगा। इसमें कृषि उत्पादन की ओर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि हम कृषि उत्पादन के आधार से ही प्रत्येक व्यक्ति को काम दे सकते हैं। मैं उद्योगीकरण के विपरीत विचार नहीं रखता हूं मगर केवल उद्योगीकरण से ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम आ जाएगा, यह संभव नहीं है। बड़े-बड़े कारखाने हम खोलें, यह बड़ी अच्छी बात है मगर यह आपका भी अनुभव है और हमारा भी अनुभव है और एक कार्यकर्ता के रूप में हमने देखा है कि अगर मशीन को उस जगह लगा दिया जाए जहां मजदूर काम करते हैं, तो इससे बहुत से मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और फिर वे सड़कों पर चले आते हैं। मेरे क्षेत्र में सीमेंट का बहुत बड़ा उद्योग है और वहां पर लोडिंग और अनलोडिंग और पत्थर उठाने का काम मजदूर कर रहे थे और जहां पर 500 मजदूर लगे हुए थे, वहां पर मशीन आ जाने से केवल 50 मजदूरों को ही काम मिल पाया और बाकी 450 मजदूर बेरोजगार हो गए ऐसी स्थिति हमको नहीं आने देनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति पर हम जाएंगे मगर वह ऐसी पद्धति हो, जिसमें हाथ को रोजगारार हो और हाथ का महत्वपूर्ण स्थान हो और उससे हम ऊपर उठें। विज्ञान के क्षेत्र में हम शान्ति के लिए काम कर रहे हैं और हम तरक्की कर रहे हैं और यह दुनियां के लिए एक मिसाल है और दुनियां इस मामले में हम से पीछे है। हम इस इस्पात के कारखानों में इस्पात बनाएं और फौजी कारखानों में फौजी सामान बनाया जाए। हम उस ओर आगे बढ़ें मगर और जो बाकी काम हैं, जो छोटे-छोटे काम हैं उनमें हाथ से काम करने वालों को अवसर दें। तब जाकर प्रत्येक के लिए काम होगा। इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए।

मैं कृषि की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कृषि का मतलब केवल कृषि विज्ञान नहीं है। कृषि विज्ञान का अपना महत्व है मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, उस तरफ हमें देखना है। उसके लिए भूमि की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। आपने सीलिंग की है लेकिन उसके साथ ही साथ बेनामी जमीन भी कितने लोगों के पास है। उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि का कार्य करने वाले दो तरह के लोग हैं एक तो वे हैं जो अपने को जमींदार कहते हैं और वे कृषि का पूरा लाभ ले जाते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अपने हाथ से हल चलाते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है।

मैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं वहां जमीन उपजाऊ है लेकिन पानी की व्यवस्था न होने के कारण वहां के लोगों की हालत खराब है। वहां लोग भुखमरी का जीवन व्यतीत करते हैं। वहां से लोग हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जाकर छोटे से छोटा काम करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी के कारण यह स्थिति है। वहां पर जमीन

[श्री केयूर भूषण]

है लेकिन पानी की कमी के कारण वे लोग वहां पर कृषि से अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते। आपको योजनाओं के द्वारा संतुलित रूप से विकास करना होगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों और पिछड़े हुए लोगों को प्रथम अवसर प्रदान करना होगा। आप अपनी योजनाओं में उन क्षेत्रों को अधिक महत्व दें। जिन क्षेत्रों के लोग भुखमरी का जीवन जी रहे हैं।

मध्य प्रदेश से देश को अधिकांश पानी मिलता है। देश की बड़ी-बड़ी नदियां नर्मदा, महानदी और दूसरी कितनी ही नदियां वहां से निकलती हैं, मध्य प्रदेश में उनका उद्गम स्थान है, लेकिन उनके पानी का लाभ मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाता। आगे जाकर के उन नदियों के पानी की पूरी व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में जहां कि पानी है, वहां की जमीन सूखी रहती है। इस अवसर पर मुझे कबीरदास जी की बात याद आती है कि पानी के बीच रहकर भी मछली प्यासी रहती है। मध्य प्रदेश से नदियां निकलती हैं लेकिन वह प्रदेश प्यासा है। आप ऐसी योजनाएं बनाएं कि बारिस के पानी का पूरा उपयोग ऊंचे स्थानों पर हो सके। आपको वहां पर छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करना होगा। वहां की एक बड़ी योजना के लिए विश्व बैंक ने ऋण दिया है। लेकिन उस योजना को पूरा होने में समय लगेगा। महानदी योजना को पूरा होने में वर्षों लगेंगे। तब तक क्या हम सूखे ही रहेंगे ? तब तक क्या हम भूखे ही अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे ? मेरा आपसे आग्रह है कि आपको सार बांध, नलकूप योजनाओं और नदियों के किनारे पर ऐसी-ऐसी छोटी योजनाओं को बनाना और पूरा करना चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को पानी की समस्या का तत्काल समाधान हो सके।

मैं साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज कुछ लोगों के हाथ में पूंजी केन्द्रित होती जा रही है, उस पर हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी और मैं समझता हूं कि हम सावधानी बरत भी रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि जिनके पास में आज पूंजी है, अगर वे राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में अपनी पूंजी लगाएं तो आप उनको पूरा आश्वासन दीजिए कि आपकी पूंजी बर्बाद नहीं होगी, सुरक्षित रहेगी और देश के कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने में उसका उपयोग होगा।

आज जमीन को हड़पने और एकत्रित करने का एक दूसरा माध्यम भी बन गया है मठ, मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के नाम पर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति, करोड़ों एकड़ जमीन, केन्द्रित करली जाती है। धर्मस्थान पूँजी इकट्ठा करने के स्थान नहीं हैं। आज इसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। उस जमीन को बेजमीन के हाथों में देना होगा तब जाकर जमीन की समस्या हल होगी।

आप विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ग्रामोद्योगों की ओर भी आपको ध्यान देना होगा। बिना ग्रामोद्योगों के देश विकास नहीं कर सकता। जबकि आप गांवों को पानी नहीं दे सकते, नई टेक्नीक नहीं दे सकते, तब आपको वहां ग्रामोद्योग बढ़ाने और ग्रामोद्योगों में भी खादी की ओर

आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा लोगों को बहुत काम दे सकते हैं। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप बड़े से बड़ा कारखाना खोलेंगे तो दो-चार हजार लोगों को रोजगार उससे दे पाएंगे। लेकिन इससे हर व्यक्ति को काम मिल सकेगा। खादी के पीछे गांधी जी का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हर आदमी को काम मिल सके। इस ओर पूरा ध्यान दिया जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आप उद्योगों को गांव पर आधारित बनाइए। प्रदेश के आधार पर बड़े-बड़े उद्योग मत बनाइए। उद्योग गांव में कैसे पहुंच सकता है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव में ग्रामसभाओं के आधार पर योजनाएं बनाइए और उन योजनाओं का कार्यान्वयन भी ग्रामीण के हाथ में दीजिए। ग्राम पंचायत को अधिकार देने की आवश्यकता है। इसके बिना गांव विकास नहीं कर सकते। ग्राम पंचायतों को यह अहसास होना चाहिए, ग्रामीणों को यह सहसास होना चाहिए कि हम देश के निर्माता हैं। तभी गांव आगे बढ़ सकता है। सारी योजनाओं को उनको समझाइए। गांव को आधार मानकर विकास की ओर आगे बढ़िए। बैंकों की सुविधाएं गांव तक पहुंचाइए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके आपने एक ऐतहासिक काम किया है। गांव के आदमियों को राहत पहुंचाने के लिए बैंकों का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे रूप में पंचायतों को बैंकिंग का दर्जा दीजिए। पंचायतें ऋण लें और गांवों के अन्दर बांटें। इस तरह से गांवों का और देश का विकास हो सकता है।

हमारे देश के अंदर ऐसे कई उत्पादन हैं जिनकी विदेशों में बहुत मांग है। आप एलोपैथिक दवाइयां बाहर से मंगाते हैं जबकि कई वैज्ञानिकों का कथन है कि इससे असामयिक मौतों में वृद्धि हुई है। हमारे यहां हर तरह की दवाएं हैं जिनकी विदेशों में मांग बढ़ रही है। इन कार्यों में देश का छोटे से छोटा आदमी लगा हुआ है। अगर इसको प्रोत्साहन दिया गया तो उस छोटे आदमी को लाभ होगा। कई जड़ी बूटियां हैं, इनकी कीमतें विदेशों में बढ़ रही हैं। इनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। देश और विदेश में इनके प्रचलन की ओर ध्यान देने की आवश्वकता है। इसी प्रकार पान है। चौरसिया लोग इस काम को करते चले आ रहे हैं। इसकी कीमत भी विदेश में बढ़ रही है। टमाटर है, कई साग सब्जियां हैं इनको प्रिजर्व कर के विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है और लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। विदेशों में इसकी मांग है। इससे किसान को भी सहयोग मिलेगा। किसान को भी उत्पादन की दृष्टि से साधन सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार पशुधन को निरर्थक मत समझिए। आप कितने भी साधन ट्रैक्टर या ट्रक मुहैया कीजिए, लेकिन जब तक गांवों को जोड़ने वाली सड़क नहीं होगी, तब तक उनका उपयोग नहीं हो सकता। आपने, ऊर्जा संकट को बहुत कुछ हल किया है। गोवर-गैस को मत भूलिए। भारत जैसे कृषि प्रदान देश के लिए गाय एक अत्यन्त उपयोगी चीज है। आप उन बैलों को बचाइए, जिनकी देश के हर कोने में आवश्वकता है उसको व्यर्थ में कटने मत दीजिए। आज, हमारे पंजाब और हरियाणा को बैल देखने को नहीं मिलता। इनको बरबाद होने से बचाया जाए। भारत के एक नागरिक और किसान की हैसियत से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो भविष्य में

[श्री केयूर भूषण]

क्या होगा प्रत्येक गांव को गोबर-गैस की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे ऊर्जा की दृष्टि से स्वावलम्बी हो सके। उसकी नस्ल को बचाने के लिए खर्च करेंगे तो वह आपको कई हजार गुना लाभ पहुंचायेगा। आप यह देखें कि गौ-धन को बढ़ाने के लिए कितना खर्च किया है? आपने, हौज में तो पानी भरना शुरू किया और नल खुला छोड़ दिया। दूध बढ़ाने के लिए जो बाहर की नस्ल मंगायी जाती है, क्या उससे विशेष लाभ हुआ है? एक पीढ़ी को बढ़ा पाते हैं लेकिन दूसरी या तीसरी पीढ़ी के बाद, गाय की स्थिति कितनी खराब हो जाती है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर साहिवाल और देशी नस्ल को बढ़ाने का आपने प्रयत्न किया होता तो दूध और बैलों के मामले में अब तब स्वावलम्बी हो गए होते। यदि गांवों की उन्नति करना चाहते हैं तो पशु-धन को भी विकसित करना होगा। जहां तक मुझे जानकारी है, किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा है कि किसी जीव की हत्या हो। ऐसी स्थिति में भारत जैसे कृषि प्रधान देश को उन्नत बनाने के लिए और दूध तथा ऊर्जा की कमी को पूरी करने के लिए हमें अपने पशु-धन की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से मानव का विकास के कार्यों में सहयोग मिलता है उसी प्रकार पशु-धन का भी सहयोग काफी मिल सकता है। इसके साथ-साथ मैं सिंचाई सुविधाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। लघु-सिंचाई योजनाओं को ज्यादा विकसित किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बारिश काफी होती है, वहां छोटे-छोटे बांध बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने की ओर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। उसे परिवर्तन करने का अवसर भी उन्हें दीजिए, जो उत्पादन वे करते हैं। क्यों कि वहां जो माल पैदा होता है, वह कच्चे माल की शक्ल के अन्दर बाहर भेज दिया जाता है। यदि उसको गांव के अन्दर ही परिवर्तित किया जाए, फिर जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया, हमारे यहां कई फल होते हैं, उनको बाहर भेजने के लिए छोटे-छोटे उद्योग वहां स्थापित किए जाएं, डिब्बे तैयार किए जाएं। हमारी एक फसल संतरा है, उसका जूस तैयार करने का वहीं प्रबन्ध होना चाहिए और जूस देश और विदेश में भेजा जाना चाहिए। इसी तरह टमाटर वहां बहुत पैदा होता है, जो पानी के मोल बेचा जाता है। यदि वहीं पर उसको परिवर्तित करके उसके प्रोडक्टस बनाकर बाहर भेजा जाए तो गांवों की प्रगति करने का मौका मिलेगा और पूरे क्षेत्र का हम विकास कर सकेंगे।

दूसरे, आप जिस माध्यम से भी वस्तुएं ग्रामों में उपलब्ध करवाते हैं, उसको विकेन्द्रीकृत करने की आज बड़ी आवश्यकता है यदि आप गांवों के आधार पर सहकारिता के माध्यम से वस्तुएं देते हैं तो पूरे जिले की एक समिति बना दी जाती है और पूरे जिले की समिति का ज्यादा उपयोग पद और प्रतिष्ठा के लिए होता है। यदि आप इस व्यवस्था को विकेन्द्रित करके गांवों के आधार पर बनायेंगे तो अधिक लाभ होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारी दिशा को उस ओर मोड़ दीजिए, जो हमने देश के लिए समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया है। ताकि उसके जरिए अंतिम आदमी को राहत पहुंचाई जा सके। जो भी व्यवस्था की जाए वह पूर्ण रूपेण सर्वोदय और गांधीवादी व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी जी अन्तिम व्यक्ति को ध्यान देते हुए मजबूत बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था चाहते थे। उसी ओर आप देश को ले जाएं। इतना कहते हुए मैं अपने विचार स्थगित करता हूं।

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं 1984-85 के वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार और विशेषकर अपने वित्त मन्त्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने छठी योजना में उत्पादन, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के जो लक्ष्य देश के लिए निश्चित किए थे प्राप्त कर लिए गए हैं, चाहे वे शत प्रतिशत न हों, परन्तु उसके निकट तो हैं। मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देता हूं कि देश में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम सभी को मुद्रा स्फीति की बड़ी ही चिंता है। परन्तु मैं मुद्रास्फीति दर को घटाकर 8% पर जाने के लिए वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं। तो साथ

3.48 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

ही हम सरकार से मजदूरों और कामगारों की मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने की मांग को पूरा करने के लिए अनुरोध करते हैं, जिसके लिए हम उनसे हड़ताल आदि करने के लिए कहते हैं।

आंकड़ों के अनुसार हड़तालों के कारण कुछ 25 प्रतिशत श्रम-दिवसों की हानि हुई। स्वाभाविक है कि इससे उत्पादन घटेगा और मुद्रास्फीति की वृद्धि में सहायता मिलेगी। अतः मेरा इस बात पर विवाद नहीं है कि हमें मजदूरों की मांग मान लेनी चाहिए, परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिए हमारा कृषि जन्य उत्पादन और अन्य क्षेत्रों का उत्पादन रुकना नहीं चाहिए जिससे कि मुद्रास्फीति को रोका जा सके।

जहां तक 20-सूची कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं तो कहूंगा कि समाज और राष्ट्र से गरीबी मिटाने का यही एक मात्र उपाय है और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार 20-सूत्री कार्य को लागू करने का यथासम्भव प्रयास कर रही है। समन्वित ग्रामीण विकास अभिकरण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और शहरी रोजगार कार्यक्रम आदि भी हैं। परन्तु युवक शिक्षित नहीं है। अतः युवकों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, जिससे कि वह ऋण प्राप्त कर सकें, आवश्यक वित्त प्राप्त कर सकें तथा देश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसका लाभदायक ढंग से उपयोग कर सकें। उनके ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए ऋण नहीं दिया जाना चाहिए जिसका उत्पादन को बढ़ाने में कोई सहायता या सहयोग न हो। इस सम्बन्ध में, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक 20-सूत्री कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी हम सबको चिन्ता है परन्तु उसके अलावा यद्यपि हमारे वित्त मन्त्री महोदय और प्रधान मन्त्री महोदया बैंकों से सहयोग का आवाह्न कर चुके हैं, परन्तु फिर भी वे इस दिशा में आगे नहीं आए हैं जैसाकि हमने क्षेत्र में जाकर देखा है। अतः, बैंक कर्मचारियों के सहयोग न करने के रवैये के कारण 20-सूत्री कार्यक्रम के वैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जैसा कि हमने आशा की थी। वास्तव में, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी बैंक कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। परन्तु बहुत से मामलों में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें विश्वासघाती कहा जा सकता है। वे इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण लाभ उठाने वालों को धन उपलब्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, हमको इस बात पर भी बल देना चाहिए कि यह एक तरफा मार्ग नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई बैंक से ऋण लेकर वापिस

[श्री चिंतामणि जैन]

ही न करे । तब तो निश्चय ही हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ी में फंस जाएगी । अतः ऋण देते समय इस एकतरफा कार्यवाही से बचना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता उन तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कुछ बिचौलिया इसका लाभ उठाते हैं ।

स्वयं-रोजगार तथा युवकों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम की जहां तक बात है, मैं आपका ध्यान एक ऐसी कठिनाई की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि हमें इस क्षेत्र में अनुभव हो रही है । अर्थात जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी लोगों की समितियां हैं, जिनके विधायक और संसद सदस्य होते हैं । परन्तु जब यह लाभार्थियों का चुनाव करती है, तो उस समय गैर-सरकारी व्यक्तियों को अपना मत व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है । केवल चयन किये जाने के बाद जब सूची तैयार हो जाती है तब गैर-सरकारी व्यक्तियों को बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जाया है और अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सूचियों पर विचार किया जाता है तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों या जन-प्रतिनिधियों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । इसके लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों और जन प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया जाता है, जबकि वास्तव में सूची अधिकारियों द्वारा किए गए चयन के आधार पर तैयार की जाती है । इस चयन में, सौ अंक विशेष रूप से सामान्य मूल्यांकन के लिए रखे जाते हैं । मान लीजिए कि कोई युवक योग्यता सूची में, शैक्षिक अर्हता आदि में अधिक अंक प्राप्त कर लेता है । परन्तु जब चुनाव का प्रश्न उठता है तो यदि सरकारी कर्मचारियों की समिति किसी अन्य व्यक्ति को सामान्य मूल्यांकन में अधिक अंक दे देती है, तो स्वाभाविक है कि जिस को भी सामान्य मूल्यांकन में अधिक अंक मिलेंगे, उसका नाम सूची में सबसे ऊपर रहेगा तथा उसे ऋण मिलेगा । यदि योग्य युवक के पास व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाता है और उसकी उपेक्षा कर दी जाती है । अतः मैं वित्त मन्त्री महोदय से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने का अनुरोध करता हूं जिससे चुनाव में इस प्रकार की कमी को दूर किया जा सके ।

बैंक कर्मचारी और प्राधिकारी पिछड़े क्षेत्रों की भी उपेक्षा कर रहे हैं । मेरे राज्य उड़ीसा में, पंजाब नेशनल बैंक की 13 शाखाएं हैं । बैंक कर्मचारी राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाने के लिए दो या तीन वर्ष से आन्दोलन कर रहे हैं । मैंने भी वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री महोदय से इस बारे में निवेदन किया है । परन्तु उन्होंने भी यह कहकर अपनी असमर्थता प्रकट की कि चूंकि राज्य में केवल 13 शाखाएं ही हैं, इसलिए वहां पर मण्डल या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोला जा सकता है । परन्तु असम में 15 शाखाओं के पीछे ही मण्डल कार्यालय खोला हुआ है । अतः इसे उचित महत्व प्रदान किया जाए, जिससे कि राष्ट्रीयकृत बैंक पिछड़े राज्यों को अधिक प्राथमिकता प्रदान कर सकें ।

जहां तक अनिवार्य लेखा परीक्षा कराने के नये उपबन्ध का सम्बन्ध हैं, मैं सरकार की नीति का पूरे दिल से समर्थन करता हूं । परन्तु क्या यह क्षेत्र में सम्भव और व्यवहार्य होगा, क्योंकि देश में चार्टर्ड लेखापाल बहुत ही कम हैं ? अतः, मेरा प्रस्ताव है कि वित्त मन्त्री महोदय इस बात पर

विचार करें कि वाणिज्य स्नानत्तकों को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा करने की अनुमति दी जाए। इस नीति का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायियों को भी मिलेगा क्योंकि मूल्य बढ़ने से वे इसके कार्यक्षेत्र में आ जायेंगे और उनके लेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड लेखापाल करेंगे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं। इस पर तथा वित्त मन्त्रालय को भी उचित महत्व देना चाहिए और विचार करना चाहिए।

ऊर्जा की समस्या, एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अतः, देश के विभिन्न राज्यों में ताप-बिजलीघरों को यथायोग्य महत्व देने की आवश्यकता है। उड़ीसा में गत वर्ष भारी सूखा पड़ा था और उसके परिणामस्वरूप बिजली सप्लाई में कटौतियां की जा रही हैं। न केवल उड़ीसा में, बल्कि

4.00 म० प०

देश भर में, इस बिजली कटौती के कारण उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उड़ीसा राज्य में पैदा होने वाली कुल ऊर्जा का 75 प्रतिशत भाग जल-विद्युत परियोजनाओं से मिलता है। अतः, जब कभी भी कम वर्षा होगी या सूखा पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा उत्पादन में कमी आयेगी और अन्ततः उद्योग और उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा।

उड़ीसा राज्य सरकार और जन-प्रतिनिधि, भारत सरकार पर तलचेर में एक सुपर ताप-बिजली परियोजना लागू करने पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार को इस ओर यथोचित ध्यान देना चाहिए, जिससे कि राज्य को तलचेर में यह सुपर ताप बिजली परियोजना मिल जाये।

अब मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक कठिनाई की ओर दिलाऊंगा जो कि देश में अनुभव की जा रही है। यद्यपि हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक कृषि उत्पादन हुआ है, परन्तु ऐसी प्रगति हमने दलहन के मामले में नहीं की है। बल्कि इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि नगण्य रही है। हम सभी जानते हैं कि दालें गरीब आदमी का एकमात्र प्रोटीन स्रोत है, अतः, उनके उत्पादन को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए, परन्तु हमने देखा है कि इससे पहले देश में प्रति व्यक्ति दाल की खपत 50 ग्राम प्रतिदिन थी, परन्तु अब यह घटकर 30 ग्राम रह गयी है। अन्ततः गरीब लोग, जिनकी उन्नति यह सरकार, विशेष रूप से हमारी प्रिय प्रधान मन्त्री महोदया बड़ी ही इच्छुक है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं, सबसे अधिक पीड़ित हैं और उन्हें आवश्यक प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है। अतः, सरकार को इसको यथोचित प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिये तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि जब हम क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए वचनबद्ध हैं, तो हमें ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, जिनमें पिछड़े राज्य हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय और भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वे उन राज्यों को अधिक महत्व दें जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्ष बाद भी पिछड़े हुए हैं। मैं उड़ीसा, असम, बिहार, मध्य-प्रदेश आदि राज्यों की बात कर रहा हूं। उड़ीसा के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वहां की 81 या 82 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः, उड़ीसा राज्य

[श्री चिन्तामणि जैन]

को केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में प्राथमिकता मिलनी चाहिये, जिससे रोजगार में वहां बढ़ोतरी की जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं 1984-85 के वित्त विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, में विभिन्न कराधान प्रस्तावों तथा इससे पहले प्रस्तुत किए बजट प्रस्तावों, जो कि इस सम्मानित सभा ने पास किए हैं, से सम्बद्ध मामलों को लागू करने के लिए वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए 1984-85 के वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

अभी हाल ही में, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते समय उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को सामान्यतया और छूट एवं राहतों की घोषणा की है। मैं विशेष रूप से व्यापार समुदाय और उन व्यवसायियों के लेखों की अनिवार्य लेखा परीक्षा करने का उल्लेख करना चाहूंगा जिनकी कुल बिक्री 20 लाख रुपए और कुल आय 18 लाख रुपये से अधिक है। वित्त मन्त्री महोदय ने अब वह सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी और यह एक बहुत अच्छा कदम है और मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। समाचार-पत्रों के अनुसार, यही एक मात्र मुद्दा है जिस पर समाज के बहुत से वर्गों ने यह आशंका व्यक्त की है कि लेखों की अनिवार्य लेखा परीक्षा को कैसे लागू किया जाए।

बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि बजट को राष्ट्रीय आय की भारी वसूली और कृषि तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार की पृष्ठ भूमि को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। जहां तक कृषि उत्पादन क्षेत्र का सम्बन्ध है, कृषि मन्त्री के अनुसार देश को इस वर्ष 1490 लाख टन से अधिक का भारी खाद्य उत्पादन होने की आशा है। इसी प्रकार, गत चार वर्षों के दौरान हमारी राष्ट्रीय आय की विकास दर 6-7 प्रतिशत के आसपास रही है और प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय 3 प्रतिशत से ऊपर रही है। इसका उल्लेख वित्त मन्त्री महोदय द्वारा किया गया है और वास्तव में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ-साथ वित्त मन्त्री महोदय ने गत कुछ महीनों में हुई मूल्य-वृद्धि और मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। किंतु मुद्रास्फीति को एक अंक तक ही रोके रखने के लिए मैं वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके और उसके माध्यम से अधिक खाद्यान्न जारी करके सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए समुचित पग उठा रही है। विपक्षी सदस्यों ने मूल्य-वृद्धि की बहुत आलोचना की थी। इसी के साथ-साथ विपक्ष के बहुत से मित्र यह भी चाहते थे कि खाद्यान्न का खरीद मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, यह ठीक ही है कि किसान को उसके कृषि उत्पादनों के लिए लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और मैं भी यही चाहता हूं किन्तु इसके साथ हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि खरीद मूल्य में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव मूल्य स्थिति पर पड़ता है। उर्वरकों पर राज सहायता और प्रोत्साहक देकर सरकार किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उर्वरकों पर राजसहायता गतवर्ष जून में 250 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 1,048 करोड़ रुपया कर दी गयी। यह कोई छोटा पग नहीं है। चालू वर्ष में खाद्य राज सहायता के लिए

850 करोड़ रु० रखे गए हैं। इसी प्रकार सूती कपड़े, चाय और खण्डसारी पर कर कम किया गया है। किसान को लाभ पहुंचाने के लिए यह पग सही दिशा में उठाए गए हैं। किन्तु हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए तथा मुद्रास्फीति रोकने के लिए काला बाजारियों, जमाखोरों और बिचौलियों के विरुद्ध कड़े पग उठाये जाने चाहिए।

कराधान के बारे में, प्रत्येक आय-खण्ड के लोगों को कर में 5 प्रतिशत की राहत दी गयी है। विशेषकर निश्चित आय और वेतन भोगी वर्ग के लिए यह एक स्वागत योग्य पग है। कर प्रशासन के सरलीकरण और बहुत कम समय में ही कर-निर्धारण पूरा करने के लिए अच्छे उपाय किए गए हैं। कर अपवंचकों के विरुद्ध कड़े पग उठाए जाने चाहिए।

अपने राज्य और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताते हुए, मैं कहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख को 1962 से आय कर की अदायगी से विमुक्त रखा गया है। यह छूट इस वर्ष समाप्त होने वाली है। किन्तु माननीय वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध यह है कि इस छूट को अगले पांच वर्षों तक और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रति अपनाएं गए सौतेले रुख के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थिति अभी भी अत्यन्त दयनीय है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उस संगठन के बारे में क्या है ?

श्री पी० नामग्याल : बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार को 235 करोड़ रु० की राशि देने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार का आभारी हूं। इसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं। अब, इस बड़ी राशि के उपयोग का प्रश्न है। यदि राज्य सरकार के पुराने रिकार्ड को मार्गदर्शी के रूप में देखा जाए तो मैं अनुभव करता हूं कि यह बहुत बड़ी राशि है। अत: भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का भी ध्यान रखे कि यह राशि किस प्रकार खर्च की जाती है। अतीत में राशि ऐसे कार्यों पर खर्च की गयी जिनसे हमें कोई अच्छा लाभ या तत्काल लाभ नहीं हुआ और सरकार को इससे सचेत रहना चाहिए और वित्त मन्त्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला गैर-योजना व्यय भी भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। जहां तक धन दिए जाने का सम्बन्ध है, मैं वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं किन्तु इसके साथ-साथ एक निगरानी करने वाली एजेंसी भी होनी चाहिए जो यह देखे कि इस बड़ी राशि को विकास पर खर्च किया जाता है या जनता के कल्याण पर या इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

महोदय, भारत सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज सहायता और प्रोत्साहक प्रदान कर रही है विशेषकर जम्मू और कश्मीर को पर्यटन के विकास हेतु जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम के माध्यम से बहुत बड़ी राशि राज सहायता के रूप में दी गयी है। किन्तु राज्य सरकार इस धन का वितरण एक विशेष राजनीतिक दल अर्थात सत्तारूढ़ दल से सम्बद्ध लोगों में कर रही है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। हाल ही में लद्दाख के दो उद्यमियों

[श्री पी० नामग्याल]

ने लेह में होटल बनाने के लिए ऋण और राज सहायता के लिए आवेदन किया। राज्य वित्तीय निगम के निदेशक-मण्डल ने लेह क्षेत्र के उन दो उद्यमियों को ऋण और राज सहायता देने से स्पष्ट मनाकर दिया जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूसरे भाग अर्थात कारगिल क्षेत्र के उद्यमियों को इसकी अनुमति दे दी गयी क्योंकि गत चुनावों में उनको कारगिल से अधिक मत मिले थे। इस संस्थान के माध्यम से लोगों को या उद्यमियों को जो भी प्रोत्साहक अथवा ऋण या अन्य कोई चीज सुलभ होनी होती है उसका इस संस्थान द्वारा उचित वितरण नहीं किया जाता है। यही स्थिति सहकारी बैंको और उन संस्थानों की है जिन पर राज्य सरकार का सीधा नियन्त्रण है। अत: उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की यह दशा है। अत: मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखने की कृपा करें कि उस क्षेत्र के विकास के लिए उनके द्वारा स्वीकृत राशि में से लद्दाख क्षेत्र के लोगों को उचित भाग मिलता है या नहीं।

केन्द्र द्वारा दिए जा रहे धन में से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। बाढ़ राहत या प्राकृतिक विपदा के समय दी गई राहत का मामला लीजिए। मेरे मित्र, प्रो० सोज आज यहां उपस्थित नहीं है। कुछ दिन पहले वह प्राकृतिक विपदा के लिए राहत नहीं दिए जाने की शिकायत कर रहे थे। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि 1,30 करोड़ रुपये सीमांत धन के रूप में राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार उस धन का उपयोग कर सकती है। केन्द्रीय सरकार के सामने उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए वे अतिरिक्त धन की मांग कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार ने अभी तक उपयोग-प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसी के साथ-साथ वे अधिक धन की भी मांग कर रहे हैं।

1.30 करोड़ में से 22 लाख रुपये की राशि 1982 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हिमपात से पीड़ित लोगों के लिए थी। उस समय से उन लोगों को एक पैसा भी नहीं दिया गया था। मुझे डर है कि इस राशि का भी कहीं पिछले चुनावों में उपयोग न किया गया हो। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए कि क्या इस धन का उपयोग उसी उद्देश्य से किया गया जिसके लिए वह आबंटित किया गया था।

अब मैं पन-बिजली परियोजना पर आता हूं। पन-बिजली परियोजना के विकास पर हमें जिला बजट में से खर्च करना पड़ता है। जबकि शेष जिलों को इसके लिए राज्य योजना द्वारा धन जारी किया जा रहा है। हमें फिर राज्य सरकार के हाथों कष्ट पहुंचा है। वहां यह स्थिति है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि 1984-85 के लिए जारी धन ठीक तरह से वितरित किया जाए और उसका उचित उपयोग किया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद !

सभापति महोदय : श्री ए० के० बालन।

*श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे भाषण का भाषांतरण सुनें, क्योंकि मैं मलयालम में बोलने जा रहा हूं।

*सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री से कर्णफोन लगाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मैं मलयालम में बोलने जा रहा हूं। श्रीमन् जब 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आयी थीं, तब उन्होंने लोगों को दो आश्वासन दिए थे। एक आश्वासन था उनकी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाएगी और दूसरा था कि मजबूत केन्द्रीय सरकार प्रदान करेगी। आज जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तब मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि जब वह वाद-विवाद का उत्तर दें तो इस देश के लोगों को ईमानदारी और निष्पक्षता से बताएं कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है? इस विधेयक पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं श्रीमन् हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के कार्य पर निर्भर करती है। मैं सभा को यह बताने जा रहा हूं कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्र किस प्रकार के सकट का सामना कर रहे हैं। मैं इस संकट को उस पूरे संकट का एक हिस्सा मानता हूं जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को जकड़ा हुआ है। यही वास्तविकता है।

महोदय, इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह चौथा बजट है। मैं नहीं कह सकता हूं कि पांचवां बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले आम चुनाव होगा। किन्तु एक बात निश्चित है। चार बजटों के बाद भी आम आदमी की स्थिति में किसी प्रकार कोई सुधार नहीं हुआ है यद्यपि सरकार वास्तविकता पर परदा डालने के लिए आंकड़ों और आलंकारिक या जोरदार मुहावरों की बाजीगरी दिखा सकती है। आम आदमी के जीवन की स्थिति में सुधार के लिए क्या किया जाना है? ऐसा नहीं है कि सरकार जानती ही न हो कि क्या करना है किन्तु वे कुछ नहीं कर सकती है आज हमें यह दिखाई देता है कि सरकार कतिपय शक्तियों के हाथों में कठपुतली बन चुकी है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब आवश्यक वस्तुओं का मूल्य क्या था? और आज क्या मूल्य है? उस समय बेरोजगारी की क्या स्थिति थी और आज क्या है? यदि हम आज की स्थिति की तुलना 1980 की स्थिति से करें तो पाएंगे कि क्षेत्रों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। वित्त मन्त्री ने कलकत्ता वाणिज्य मंडल की बैठक में स्वयं यह स्वीकार किया है कि 1500 करोड़ रुपये की राशि इस देश के बड़े उद्योगपतियों पर कर के रूप में बकाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही लोग बजट को तोड़ते-ममोड़ते हैं और इसीलिए सरकार इन लोगों से बकाया राशि की वसूली के लिए कोई भी प्रयास उठा नहीं रखेगी। आपसे पूछता हूं कि इन लोगों से बकाया राशि की वसूली के लिए आपने क्या पग उठाए? काले धन को निकालने के यिए आपने क्या पग उठाए हैं? श्रीमन् काला धन इस देश के फिल्म क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए फिल्म उद्योग का उपयोग किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध फिल्म सितारा एक फिल्म में अभिनय करने के 60 लाख रुपये लेता है। मैं माननीय मन्त्री से पूछता हूं कि वह कितना धन सफेद धन के रूप में दिखाता है। वह पांच या

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० के० बालन]

दस लाख रुपये धन के रूप में दिखाता है और शेष 45 या 50 लाख रुपये काला धन हो जाता है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य उस अभिनेता की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। यह एक छोटा-सा उदाहरण है काला धन उन्हीं लोगों द्वारा पैदा किया जा रहा जो इस सरकार से चिपके हैं। सच्चाई यह है कि इन लोगों से निपटने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र के बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। हम प्रायः कहते हैं इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है।

सच्चाई यह है कि कृषि पर निर्भर यह 80 प्रतिशत जनसंख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। भूमि के प्रति लगाव में कमी आती जा रही है कृषि कार्य एक घाटे का कार्य है। कृषि उत्पादकों को उनकी लागत भी नहीं मिलती है। यही कारण है कि भूमि से होने वाले उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। वास्तव में भारत में भूमि अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक उपजाऊ है, लेकिन विश्व के कई देशों की तुलना में हमारा कृषि उत्पादन बहुत कम है। मैं 'आर्गेनाइजर' जो कि साम्यवादी विरोधी और समाजवादी-विरोधी समाचार पत्र है से एक लाईन उद्धृत करना चाहता हूँ। "आत्म निर्भरता वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करती है, जो कि हमारे यहां विश्व में सबसे कम और चीन से लगभग आधा है।" आर्गेनाइजर में यह लिखा है। इसी समाचार पत्र में लिखा है कि चीन में प्रति हैक्टेयर खाद्य उत्पादन में सबसे अधिक है। चीन यह 2775 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है जबकि भारत में यह 1340 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। इन्डोनेशिया में खाद्यान्न का यह उत्पादन 2125 प्रति किलोग्राम हैक्टेयर है, जबकि जापान में यह 3419 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। अगर आप सारे विश्व का औसत लें तो आप पायेंगे कि भारत में प्रति हैक्टेयर उत्पादन विश्व में सबसे कम हैं। चीन या जापान से भारत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होने पर भी ऐसा होता है। हम इसका सही उपयोग नही कर सके हैं। केवल 42 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिए ही सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। मैं इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं समझता कि कृषि उत्पादनों के लिए सिंचाई व्यवस्था एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है। यही हाल अधिशेष भूमि के लिए है। अगर आप अधिशेष भूमि का अधिग्रहण कर इस इसे भूमिहीन लोगों में बितरित करना चाहते हैं और जब वे उस भूमि पर खाद्यान्न पैदा करें तो उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान की जाएं अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि आप भूमि के अधिग्रहण और अधिशेष भूमि के वितरण की सही व्यवस्था करें। आपको पहली व्यवस्था तो यह करनी है। महोदय, सरकारी आकड़ों के अनुसार देश में 6 करोड़ हैक्टेयर अधिशेष भूमि है। लेकिन हम अब तक केवल 13 लाख हैक्टेयर भूमि का ही वितरण कर पाये हैं। क्या आपने फालतू भूमि के वितरण और वहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोई ठीस कदम उठाए हैं? छह पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकीं हैं। और अब सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने जा रही है। इस भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने और खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए सरकार की क्या योजना है? योजना बनाते समय जो मूल अनुमान लगाये जाते हैं वे योजना के खत्म होते-होते बदल जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 97 हजार करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया था लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने

के बावजूद भी यह योजना पूरी नहीं होगी । पिछले 34 वर्षों के दौरान यही कहानी दोहराती जाती रही है। श्रीमन्, इस देश की मूल समस्या भूमि से जुड़ी हुई है। अगर देश में जो भूमि उपलब्ध है उस पर अधिकतम उत्पादन करें तो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि हम अपने उद्देश्य के कहीं करीब पहुंचे गए हैं ? एक तरफ तो आपकी पचवर्षीय योजनाएं हैं। दूसरी ओर आपका बजट ऐसा है जिसका योजनाओं से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा प्रधान मन्त्री का 20-सूत्री कार्यक्रम है। श्रीमन् जब हमारे यहां योजनागत अर्थव्यवस्था है तो, 20-सूत्री कर्यक्रम की आवश्यकता ही क्या है। क्या योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना में ये सूत्र शामिल नहीं हैं ? फिर विशेष 20-सूत्री कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है ? अगर 20-सूत्री कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया भी जाता है तो इसके कार्यान्वियन के बारे में क्या स्थिति है ? श्रीमन् 20-सूत्री कार्यक्रम में अधिशेष भूमि का वितरण एक मुख्य-मद है। इस सन्दर्भ में मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र के पास अनुमोदन के लिए अधिशेष भूमि के वितरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक लम्बित हैं। इनमें से एक केरल सरकार ने भेजा है। 1980 में जब कामरेड नायनार केरल के मुख्य मन्त्री थे तो केरल विधान सभा ने एक विधेयक परित किया जोकि केरल के भूमि सुधार अधिनियम से खण्ड 6 (ग) को हटाने के बारे में था, जोकि बोगस प्रवृत्तियों को वैद्य मानने से संबंधित था, जिसके परिणामस्वरूप भूमिहीन लोगों को अधिशेष भूमि नहीं मिल पाती है। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। यही हाल पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम का है। इन विधेयकों को मंजूरी देने के रास्ते में कौन लोग बाधाएं डाल रहे हैं ? आप इन विधेयकों को अनुमति क्यों नहीं दे पाते हैं ? समस्या बहुत सरल है, कुछ शक्तियां इस प्रकार के विधानों के विरुद्ध हैं। यह सरकार उनकी ओर उंगली उठा पाने में असमर्थ है। इसलिए यह मात्र धोखा देना है और यह वित्त विधेयक लोगों को धोखा देने का एक और प्रयत्न है। एक कार्यक्रम है—आई०आर०डी०पी० भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम केरल में अन्तापाड़ी नामक स्थान पर, कांग्रेस (आई) के एक महत्वपूर्ण संसद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुर्गियों की सप्लाई करना, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा चलाए जा रहे समाजवाद के रथ को आगे चलाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या हरिजनों में मुर्गियां वितरण करने से हम समाजवाद ला पायेंगे ? क्या हम हरिजनों में बकरियां वितरित करके समाजवाद स्थापित करने जा रहे हैं ? आप गरीब लोगों को मुर्गियां या बकरियां सप्लाई करके इस देश में समाजवाद नहीं ला सकते। किन्तु सरकार इस अजीब तरीके से आम आदमी की स्थिति में सुधार करना चाहती है। श्रीमन् जहां तक आम आदमी का संबंध है, संसद अधिवेशन उनके एक लिए बोझ साबित होता है। वे कहते है कि अच्छा हो कि संसद का सत्र ही न हो। उन्हें डर है कि जैसे ही संसद का सत्र होगा, इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। इसलिए लोगों के मन में संसद के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना होगा अगर हम चाहते है कि इस देश के लोगों का संसद और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास बना रहे तो इस प्रणाली से अच्छे परिणाम भी मिलने चाहिए। श्रीमन्, इस सभा में जब कोई विधेयक चर्चा के लिए पेश किया जाता है तो क्या होता है ? सत्तारूढ़ दल के सदस्य रहेंगे "हां" और विपक्ष के सदस्य कहेंगे "नहीं" और सभापति कहेंगे 'हां' कहने वालों की संख्या अधिक है, और विधेयक पारित हो

[श्री ए० के० बालन]

जाएगा। इस प्रकार विधेयक पारित किए जा सकते हैं। इस विधेयक में लोगों का योगदान क्या रहा? क्या लोग ऐसे विधेयकों पर राय दे सकते हैं? सत्तारूढ़ दल के सदस्य जानते हैं कि विधेयक में असल में क्या है और वे क्या पारित करने जा रहे हैं? क्या वे जानते हैं कि इस विधेयक का देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से वे यह नहीं जानते। पिछले 4 वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। इसीलिए, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, लोगों की अशा और जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उपायों पर सही चर्चा नहीं होती। कीमतों में वृद्धि हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जब तक सरकार इस समस्या हल नहीं ढूंढ़ती, लोग इस सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में ही शंका प्रकट करेंगे। आज गम्भीर संकट विद्यमान है। अगर सरकार लोगों को विश्वास में लेने के के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है तो पृथकवादी ताकतें विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त कर उन द्वारा उकसाने पर लोगों के जीवन से खेलने को तैयार हो जायेंगी। देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। मैं इस सन्दर्भ में विस्तार से नहीं जाना चाहता। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है सरकार को अधिशेष पड़ी भूमि के वितरण और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय इन बातों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

श्रीमन्, केरल के बारे में एक-दो बातें कहकर में अपना भाषण समाप्त करूंगा। केरल में केन्द्र के कहने पर साइलेंट वेली परियोजना को छोड़ दिया है। 1980 में केरल के मालावार क्षेत्र में चुनाव के दौरान साइलेंट वेली परियोजना कांग्रेस (आई) का मुख्य चुनाव नारा था। अगर इस परियोजना को मंजूरी दे दी जाती तो केरल को बहुत लाभ होता। केरल के पालघाट और मल्लापुरम जिलों में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था की जा सकती थी और दो या तीन फसलें ली जा सकती थी। इसके अलावा बिजली का उत्पादन भी बढ़ सकता था। मैं जानना चाहता हूं किसको लाभ पहुंचाने के लिए इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई। काफी मात्रा में पानी का उपलब्ध होना ही केरल की सम्पदा है। जब हम राज्य के भले के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें इसकी मंजूरी नहीं दी जाती। यही हाल कुडियारकुटी कराप्परा परियोजना का किया गया है अब तक भी इन परियीजनओं को मंजूरी नहीं दी गई है। इस सन्दर्भ में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केरल को कुछ राशि आबंटित करती है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि का प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे दिया जा रहा है। केरल के एक महत्वपूर्ण दैनिक समाचारपत्र **देशाभिमानी** ने केन्द्र द्वारा केरल को दी जा रही राशि के, केरल की वर्तमान सरकार द्वारा दुरुपयोग के गम्भीर आरोप लगाए हैं। समाचार पत्र के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए रखे गये धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।...**...प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दामोदर एण्ड सन्स के प्रबन्ध निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। विक्री कर विभाग द्वारा भी उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। उस पर जुर्माना किया गया था और जुर्माने के तौर पर उसे 24,000 रुपये देने पड़े थे। केरल के मुख्य मन्त्री...**...ने

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बिना किसी गारंटी के 50 लाख रुपये देने का फैसला···*···यह राशि हरिजनों के लिए रखी गई थी।

सभापति : कृपया किसी का नाम न लें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेली वाटा) : श्रीमन् वह आरोप लगा रहे हैं।

श्री ए० के० बालन : नहीं, नहीं। यह आरोप नहीं है।

प्रो० पी० जे कुरियन : वह ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, जो अपने बचाव के लिए स्वयं सभा में उपस्थित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री ए० के० बालन : यह आरोप नहीं है।

श्री पी० जे० कुरियन : नहीं-नहीं यहब हुत गलत बात है।

सभापति महोदय : श्री कुरियन, आपने अपनी बात कह दी है। श्री बालन, आप किसी नाम का उल्लेखन करें। आपने इसके लिए कोई सूचना भी नहीं दी। फिर भी, मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

श्री ए० के० बालन : मैं बजट प्रावधान का हवाला दे रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने इसका जिक्र किया है।

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। वह किसी के नाम का हवाला नहीं देंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्हें हमारे बजट के बारे में बोलने दें। वह केरल के बजट के बारे में बोल रहे हैं।

श्री ए० के० बालन : केन्द्रीय सरकार द्वारा, जिस कार्य के लिए केरल को राशि आबंटित की गई है, वह उस कार्य के प्रयोग नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह आरोप गलत है।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। मैंने कहा है कि मैं इस बारे में देखूंगा।

श्री ए० के बालन : श्रीमन् मुख्य मंत्री श्री करुणाकरन ने विधान सभा में कहा है कि हरिजनों के कल्याण के लिए, पहली बार देश में अट्टापड़ी में एक कैक्ट्री स्थापित की गई है। मैंने उस स्थान का दौरा किया है, लेकिन वहां किसी फैक्ट्री को नहीं पाया है। विधान सभा केरल में पेश किए गए

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ए० के० बालन]

बजट में इस फैक्ट्री का जिक्र है। बजट में इस फैक्ट्री का जिक्र है। 20 लाख रुपये की अदायगी की गई है। वित्त सचिव और अन्य कई लोगों ने इस पर आपत्ति की है। फिर भी यह राशि अदा की गई है।

केरल में हरिजनों पर ऐसे अत्याचार कभी नहीं किए जाते रहे, जैसे कि आजकल हो रहे हैं। एक माह के दौरान, मेनियन नामक एक हरिजन की त्रिवेन्द्रम में पुलिस द्वारा मार-मार कर हत्या कर दी गई। एक अन्य हरिजन, चेतन की कालीकट में पुलिस द्वारा हत्या की गई। अल्लधी में एक अन्य हरिजन, कुरुधन की हत्या की गई। सब ओर तो हरिजनों की हत्या की जा रही है दूसरी ओर उनके लिए रखे गए धन का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या चावल आबंटन की है। श्री विजयराघवन, संसद सदस्य ने अपने भाषण में इसका हवाला दिया है। 1980 में केरल में एक राज्य सरकार थी। जब उन्होंने देखा कि आवश्यक वशतुओं के दामों में वृद्धि हो रही है तो उन्होंने आम आदमी के लाभ के लिए सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुओं के 70 वितरण के लिए मावेली स्टोर्स (भण्डार) स्थापित किए। आज ये स्टोर्स कार्य नहीं कर रहे हैं। केन्द्र आवश्यक मात्रा में चावल सप्लाई नहीं कर रहा है। इसलिए लोगों के भूखों मरने की नौवत आ गई है। केरल की सरकार और वहां के विपक्ष ने इस गम्भीर समस्या को केन्द्रीय सरकार के सामने रखा था। लेकिन हमें केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वह हमें चावल मुहैया नहीं करा सकते हैं।

एक अन्य समस्या बीड़ी और सिगार उद्योग की है। सरकार को सिगार पर उत्पादन शुल्क घटाने के लिए कई एक ज्ञापन दिए गए हैं। काडीरूर में एक सिगार फैक्ट्री सहकारी सोसायटी द्वारा चलाई जा रही है इसको बन्द करने की नौवत आ गई है। कई एक अध्यावेदन दिए गए कि उत्पाद शुल्क में कम-से-कम 15 पैसे की छूट दी जाए। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई उपाय नहीं किए गए है, इसके विपरीत सिगार पर उत्पाद-शुल्क में 15 पैसे की वृद्धि कर दी गई है।

इस एरह, यह ऐसा बजट है, जोकि आम चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट सत्तारूढ़ दल के प्रचार के लिए है और यह वित्त विधेयक इसका ही एक अंग है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति जी, वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, जब मैं श्री बालन के भाषण को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यदि श्री बालन की बात को मान लिया जाए तो उसका अर्थ यह निकलता है कि देश ने 1947 से लेकर आज तक कोई प्रगति नहीं की। मैं निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। उसका कारण हमारे नेताओं की सफल नीतियां, दूरदर्शिता और समझ-बूझ है, जिन्होंने हिन्दुस्तान को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। यदि बालन साहब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमारी प्रगति को देखें, हम आज विश्व में तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं, यह

क्या कम उपलब्धि है। इसके बाद, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमने 1975 में जो सफलता प्राप्त की, आप उस पर दृष्टिपात करें, एस० एल० वी-3 का 1983 में सफलतापूर्वक छोड़ा जाना याद करें, इन्सैट I बी, आर्य भट्ट का सफल प्रेक्षण याद करें तो आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है, विश्व के क्षितिज पर विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति अतुलनीय है। यहां इन्होंने कृषि क्षेत्र में हमारी असफलताओं की बात कही। मैं मानता हूं कि इस दिशा में हमारी प्रगति उस स्तर पर नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए, हम अपनी आवश्यकताओं को जरूर पूरा कर पाये, परन्तु उससे आगे नहीं बढ़े। जहां तक सरकारी नीति का प्रश्न है, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि हमारी नीति का इसमें दोष नहीं है। उदाहरण के लिए आप गेहूं का उत्पादन ले लीजिए, इस क्षेत्र में न केवल हमारा उत्पादन बढ़ा है, बल्कि 149 या 150 मिलियन टन तक हमारा उत्पादन है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमारे इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंसटीटयूट और इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने जिस ढंग से काम किया, उसके कारण उन्होंने न केवल हिन्दुस्तान का ही पथ प्रदर्शन किया ,बल्कि हमारे एक वैज्ञानिक ने वर्ल्ड बौडी की चेयरमैनशिप प्राप्त की है। सारे हिन्दुस्तान को उन पर गर्व है। गेहूं के उत्पादन में तो हमने सफलता प्राप्त की ही, चावल के उत्पादन में भी हम पीछे नहीं रहे। चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे हिन्दुस्तान के एक वैज्ञानिक को इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंसटीट्यूट में जाकर उसके डायरेक्टर-जनरल के पद को संभालने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह सब इस बात को सिद्ध करता है कि कृषि के क्षेत्र में भी हमने काफी उन्नति की है और हम लक्ष्य से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा न केवल देश को बल्कि विश्व के कई देशों को नेतृत्व देने का गौरव भी हमें प्राप्त हुआ है। खनिज के क्षेत्र में आप हमारी प्रगति देख लीजिए, लोहा हमारे पास सरप्लस है और हमारी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादित हो रहा है। लोहे के मामले में हम पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हैं, किसी पर आश्रित नहीं हैं। परमाणु शक्ति को ले लीजिए। हमारे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु बिजली घर को देख लीजिए। उसको देखकर कौन हिन्दुस्तानी गदगद नहीं हो उठेगा, किसका मन गर्व नहीं महसूस करेगा, जिसको हमने स्वयं डिजाइन किया, फैब्रिकेट किया, उसके बाद फ्यूलिंग का प्रबन्ध किया और कमीशन करके सारी दुनिया को दिखला दिया कि परमाणु के क्षेत्र में भी हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। हम परमाणु तकनीक को शांतिमय तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, हम उससे बिजली पैदा करने में समर्थ हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं हैं।

जहां तक डिफैंस का प्रश्न है, डिफैंस के मामले में भी हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारे लोगों का मनोबल गिरे, लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमने जिस तरह के आधुनिकतम राडार टैंक और 133 एम एम तथा 135 एम एम की तोपों का निर्माण किया है, उनकी गणना आधुनिकतम हथियारों में होती है। हमारे टैंक किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हैं। इसलिए हमें देश के सामने किसी ऐसी स्थिति का चित्रण नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का मनोबल गिरे। हो सकता है कि कहीं खामियां हों, मैं स्वयं कुछ खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और उसके लिए मैं आज उठा भी हूं। इसलिए देश में जिस नीति के कारण हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ी है, आपको उन नीतियों की सराहना करनी चाहिए और

[श्री डी० पी० यादव]

खामियों को दूर करने के बारे में सजैशन्स देने चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए ताकि हम उनको सुधार सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि बालन जी उठकर यहां कहेंगे कि कम से कम जो अच्छी बातें हैं, उनकी सराहना की जाए - कि कम से कम एक बार श्री बालन उठकर कहें कि हमने जो कहा है वह गुस्से में कह दिया है। देश ने वाकई तरक्की की है और सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक मुद्दे की ओर दिलाऊंगा जिसका फाइनेंस बिल में जिक्र नहीं है। वित्त बिल का सम्बन्ध योजना से रहता है। इसके जो प्रौवीजन्स होते हैं वह योजना के जितने भी मुद्दे हैं उसी के अनुसार बिल बनता है। मैं योजना के आइटम 26 की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह है पिछड़े वर्गों का विकास। यह एक मौलिक सवाल है। आइटम नम्बर 26, अध्याय 26 पिछड़े वर्गों का विकास। इसमें कौन-कौन सी बातें कही गई हैं और हमें क्या करना चाहिए इस पर अमल तो हमें करना ही होगा। हैडिंग है पिछड़ी जातियों का विकास। संविधान में नीति निदेशक तत्वों में से एक तत्व में बताया गया है कि राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों में, विशेषतया अनुसूचित आतियों और अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। यह डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आफ दी स्टेट पौलिसी में आया है। साथ-साथ यह भी कहते हैं कि अभी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से वंचित इन लोगों पर इन योजनाओं का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हमने डौकूमेंट में कहा है कि तीन तरह के जो लोग हैं, यानी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए हमें कुछ करना है। जिसको तीन तरह का रोग होगा उसको तीन तरह की दवाई मिलेगी। जिसको एक तरह का रोग होगा उसको उस तरह की दवाई मिलेगी, जिसको दो तरह का रोग होगा उसको दो तरह की दवाई मिलेगी। लेकिन अगर समाज में रोगी हैं तो अस्पताल हैं अगर भर्ती किया गया रोगी है तो उसको विशेष दवाई देकर के पोषित करेंगे और अपने पैरों पर उसको खड़ा करेंगे।

समीक्षा में पिछड़ी जातियां यानी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां, अर्ध सूचित जातियां, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जातियां तथा अन्य जातियां जो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, इनकी बात आयी है। अब मैं सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की ओर अपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी सदन में पेश हुई है। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है डैवलमेंट आफ बैकवर्ड कलासेज, और हिन्दी में लिखा हुआ है पिछड़ी जातियों का विकास। अगर हम इस पिछड़ी जातियों के विकास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में यह कह दें कि ये पिछड़ी हैं तो मैं समझता हूं कि शब्द विन्यास ठीक नहीं है मगर तीनों को लिया जाएगा इसमें अलग-अलग वैसे लें जो छूआछूत से पीड़ित थे। उसके लिए संविधान की धारा 341 साफ है। 341 का प्रौवीजन है कि छूआछूत को हटायेंगे और उनको विशेष सुविधा का अवसर देंगे और उनकी उन्नति करायेंगे। उनके बाद आये वैसे लोग जो जंगल और पहाड़ में रहते हैं। उनको कहा गया शैडसूल्ड ट्राइब्स। वह आगे आए हैं, धारा 342

में। उसके बाद कहा गया ऐसी भी बहुत सी जातियां जो छूआछूत के रोग से पीड़ित नहीं हैं, जो जंगलों और पहाड़ों में नहीं रहते हैं ··लेकिन उनकी संख्या इस देश में 52 परसैंट है और वह सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए संविधान में धारा 340 का प्रावधान किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि प्लान के डाक्यूमेंट में भी धारा 340 की पूर्ति के लिए आप एक विशेष हैडिंग बनाइये। जब आप देखेंगे कि प्लान एलोकेशन का फंड एलोकेशन हुआ है, उसमें जन-जाति और अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना है तो फिर धारा 340 में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमने क्या किया ? इस पर एक नये सिरे से वित्त मंत्री और इस सदन को सोचना होगा।

मैं इस बात को उठाने में जरा भी हिचकने को तैयार नहीं हूं कि स्कालरशिप की जो राशि थी पिछड़े वर्ग के लड़कों के लिए, सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासिज के लिए, उस राशि को भी धीरे-धीरे कड़ी इंटेलीजैंटली हमारे आफिसर्स ने बदल दिया, चाहे मेरिट स्कालरशिप कर दिया, एडवांस टेकनोलाजी स्कालरशिप कर दिया या स्कालरशिप फार स्टडीज एब्रूड कर दिया। जो लोग प्रबुद्ध थे, सुविधाभोगी थे, उनको और सुविधा कैसे प्रदान की जाये, वे यही सोचते हैं। उस राशि में से आपने उनको और सुविधा दे दी, नौकरी में आरक्षण हुआ ही नहीं। स्कालरशिप में भी इनके लिए जो प्रावीजन होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

आप हरेक राज्य से आंकड़े मंगवा लीजिए कि किस-किस राज्य में शैक्षिक और सामजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को स्कालरशिप मिल रही है और कितनी राशि मिल रही है। उनकी जन-संख्या और आवश्यकताएं क्या हैं ?

आपने और हमने इलैक्शन मैनिफैस्टो में भी इस बात को दौहराया है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। कलकत्ता सैशन में इसी बार दिसम्बर महीने में हमने दौहराया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए हम काम करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि अगला फाइनेन्स बिल और योजना का प्रारूप बने, उसमें एक हैडिंग या तो 26-ए या 27 आप कर दीजिए और धारा 340 के अन्दर जो सन्निहित लोग हैं, उनके लिए विशेष अवसर आप प्रदान कीजिए। उसके लिए कमीशन में बहुत सारी सिफारिशें हैं, उस पर आप अमल कीजिए।

छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के बारे में मैं कहना चाहूंगा। उद्देश्य लिखा हुआ है किन्तु उसमें उपलब्धि हमारी क्या हुई है ? अगर उपलब्धि नहीं हुई है, तो उसमें क्य-क्या रोड़े हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिये।

फिलहाल मैंने इस बारे में एक तरीका अपनाया है। 5, 6, 7 पंचायतों के प्रतिनिधियों को मैं बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप बताइये, आप क्या चाहते हैं ? मैंने प्रायः देखा है कि जनरली लोगों की डिमांड है,

प्रो० मधु दंडवते (शजापुर) : वह कहते हैं, जिन्दा रहना चाहते हैं।

(राजापुर)

श्री डी० पी० यादव : वह चाहते हैं कि जो छोटी-छोटी नहरें, नालियां हैं, उनकी मरम्मत हो जाये और हमारे खेत-खलिहानों तक पानी चला जाये । दूसरे मुख्य सड़क से गांव की सड़क तक हमको सड़क मिल जाए । तीसरे जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, उनके बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है । केवल टीचर बहाल कर देने और उनको तनख्वाह दे देने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने वाले बच्चे बैठेंगे कहां ? मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा राज्य का विषय होते हुए भी स्कूल बिल्डिंग प्रोग्राम सैंट्रल सैक्टर या सैंट्रली स्पौंसर्ड प्रोग्राम में लाइए । शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठकर कम-से-कम प्राइमरी स्कूल में 5, 6 कमरे जरूर हों जिससे बच्चे वहां आकर बैठ सकें, ऐसी योजना बनाइये ।

5.00 म० प०

अगर बच्चे शुरू से ही क्लास-रूम में बैठना नहीं सीखेंगे, तो बड़ी क्लासिज में भी नहीं सीख सकेंगे । अगर स्कूल सिस्टम को ठीक रखना है, तो स्कूलों की बिल्डिंग के निर्माण को प्रापर्टी देनी होगी । हम यह नहीं कह सकते कि एक टीचर दे दिया और वह उन्हें किसी बंगले में पढ़ा देगा । अब तो किसी के पास ऐसा बंगला नहीं रह गया है, जहां 100, 150 बच्चे बैठ सकें । अब ऐसे विशाल पेड़ भी नहीं हैं, जहां शान्ति निकेतन-नुमा पढ़ाई की जा सके । जब हम शान्तिनिकेतन की बात करते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि अगर दस-बीस छात्र वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं, तो वर्षा आदि की स्थिति में पढ़ने के लिए उनके लिए भवन भी बने हुए हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार स्कूल की बिल्डिंगें बनाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाए।

जहां तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस एरिया में आप्टिमम पोटेंशेलिटी प्राप्त कर ली गई है, जैसे हरियाणा और पंजाब, वहां और एग्रीकल्चरल इनपुट्स लगाना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा । एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लान, इनपुट्स, रीसोर्सिज और टेकनालोजी उन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करने चाहिए, जहां पानी इफरात से मिलता है । ग्राउंड वाटर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे आसाम और उड़ीसा में उपलब्ध है । देश के नाथे ईस्टर्न पार्ट में एग्रीकल्चर की उत्पादकता को कैसे अधिकतम बनाया जाए, उसके लिए पहले सैमिनार आयोजित किए जाएं, लोगों के विचारों को समझ लिया जाए और फिर पानी के उपयोग के लिए योजनाएं बनाई जाएं ।

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आई० आर० डी० ए० और एन० आर० ई० सी० आदि के लिए छठे प्लान में 6,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और उसमें से कुछ खर्च भी किया गया है । इनका रीव्यू करने की आवश्यकता है । इन दोनों कार्यक्रमों का कार्यान्वियन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । बड़े-बड़े अधिकारी भी उनकी व्यवस्था को बिगाड़ने में हिस्सा लेते हैं । मैं समझता हूं कि उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ।

कांग्रेस आई के दो लड़के यूथ कांग्रेस डेवेलपमेंट सेंटर में विकास-कार्यों की समीक्षा के लिए संयोजक के रूप में गए थे । उन्होंने एक माडल सड़क बनाने का निश्चय किया । उसको बनाने के लिए 21,000 रुपए का एस्टीमेट बना था । उन्होंने ठेकेदार से कहा कि सामान की पेमेंट हम करेंगे । परिणाम यह हुआ कि 21,000 रुपए की सड़क 9,000 रुपए में बन गई । इसका मतलब

यह है कि या तो इन्जीनियर सड़क के एस्टीमेट को इनफूलेट करते हैं, या पत्थर, तारकोल, सुर्खी और चूना वगैरह चीजों के दाम दुगने लेते हैं। अगर 21,000 रुपए की सड़क 9,000 रुपए में बन सकती है, तो 97,500 करोड़ रुपए की योजना 50,000 करोड़ रुपए से पूरी की जा सकती है। इसमें सवाल पैसे के सदुपयोग का है। मंत्री महोदय को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। अगर प्रशासन के काम में कोई कमजोरियां हैं, तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

जब रूरल डैवेलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या आप गंगा के किनारे बसने वाले मेहनतकशों की स्थिति जानते हैं? आप गंगा और हुगली के किनारे चले जाइए। आप देखेंगे कि वहां पर हर साल गांव कट रहे हैं। जब तक गाव नहीं कटता है, तब तक लोग कहते हैं कि गांव न कटें, लेकिन यह देखना सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है कि गांव कटने न पाए, और जब तक सिंचाई विभाग इन्जीनियर को भेजता है तब तक गंगा, गंडक या कोसी से गांव कट कर बह जाता है। तब कहा जाता है कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट केयर करे। जब गांव कट गया तो पीने के पानी की आवश्यकता है। उसका मकान कटकर गंगा के पेट में चला गया, वह कहां मकान बनाएगा? उसको रिहैबिलिटेट करने की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में मुकदमा हो जाता है और वह बेचारा कहीं बस नहीं पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने बैंक की एक स्टडी टीम इस बात की स्टडी करने के लिए बनाइए कि ऐसे गांव, ऐसे गांव के लोग जिनका घर द्वार सब गंगा के कारण बहाव में चला गया उसे हेल्प नहीं कर सकते, फ्री नहीं दे सकते तो कम-से-कम विदाउट इन्टरेस्ट लोन के रूप में पांच हजार या दस हजार रुपया हर परिवार को ऐडवांस कर दीजिए जिससे कि वह करारी और ऊंची ठोस जमीन पर अपना घर बनाकर बस सके। आज ऐसे इलाकों में ला ऐंड आर्डर का सबसे बड़ा प्रावलम अगर किसी के कारण हो रहा है तो गंगा के बहाव के कारण कटने वाले उन गांवों के जवानों से हो रहा है जिनको बसने को नहीं मिलता, जिनको खाने को नहीं मिलता तो फिर वह क्रिमिनल ऐक्टिविटीज में जाते हैं। इसलिए बैंक से कहिए, गवर्नमेंट से बात कीजिए। एक स्पेशल फण्ड इसके लिए क्रियेट किया जाय क्योंकि यहां तो सरकारी कर्मचारियों या गैर-सरकारी कर्मचारियों को 60-70-80 या 90 हजार रुपया आप दे देते हैं घर बनाने के लिए करारी और ठोस जमीन पर लेकिन उन लोगों को मकान बनाने के लिए 5 हजार रुपया भी ऐडवांस नहीं कर सकेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए उनके साथ न्याय कीजिए। आपके फाइनेंस बिल में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए।

ऊर्जा के क्षेत्र में मैं एक निवेदन कर दूं। हमारे यहां कहल गांव पावर स्टेशन आपने दिया है। यह पावर स्टेशन केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए भी पावर सप्लाई करेगा।'''(व्यवधान)'''मेरा यह विवेदन है कि कहल गांव पावर स्टेशन के लिए जिस धनराशि की आवश्यकता है उसके अभाव में जिस त्वरित गति से उसको बनना चाहिए उस गति से वह नहीं बन रहा है। इसलिए उसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा कर उसे जल्दी पूरा कराने की कोशिश करें।

एक निवेदन और कर दूं। बात हम चाहे जितनी करें, लेकिन जब तक परिवार और

[श्री डी० पी० यादव]

कम्यूनिकेशन का साधन नहीं जुटाएंगे, तब तक बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा के अन्दर विकास आपके मनोनुकूल ढंग से नहीं होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 600 किलोमीटर की लम्बाई में गंगा पर 14 पुल हैं और बिहार में चार सवा चार सौ किलोमीटर की लम्बाई पर केवल दो पुल हैं—एक मोकामा में और एक पटना में। उसके बाद फिर जाकर फरक्का में है। मोकामा से फरक्का तक गंगा पर पुल अगर पचास किलोमीटर की दूरी के हिसाब से दीजिएगा तो मैं समझता हूं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों को जोड़ने का काम वह करेगा और आवागमन का साधन बढ़ेगा, ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ेगा और किसान को डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी। खास करके कच्चे माल का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं क्योंकि उनके लिए आवागमन के साधन हों, ट्रक से वह सामान अपना नहीं भेज सकते हैं, इसलिए उनको, मिल्क, फूड-ग्रेन्स और दूसरे उत्पादन का डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। इसके लिए मैं, चाहूंगा कि आप कम से कम केन्द्रीय राशि से एक पुल मुंगेर में, एक सुल्तानगंज में और एक भागलपुर में बनवाने का प्रबन्ध करें। आसाम में आपने किया है और बिहार के लिए एक आश्वासन में भी कहा है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इन तीन पुलों के लिए अगर आप राशि उपलब्ध करा देते हैं तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। यही कुछ मौलिक मुद्दे थे जो मैंने निवेदन किए हैं।

अन्त में मैं बालन साहब से निवेदन करता हूं कि उन्होंने पोलिटिकल क्राइसिस के सम्बन्ध में कहा है लेकिन यह जो देश है बहुत बड़ा है, 72 करोड़ की आबादी है—किसी छोटे घर को चलाने में भी कभी-कभी झगड़ा और तकरार हो जाया करती है इसलिए 72 करोड़ जनसंख्या को एक साथ लेकर चलना कोई आसान बात नहीं है, कुछ न कुछ यहां-वहां होता रहेगा और इस सदन का यह कर्तव्य है कि अगर कहीं कुछ हो रहा हो तो ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से उस पर सोचें और उस समस्या के समाधान के लिए कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

5.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को पहले ही दिन बधाई दे चुका हूं जब उन्होंने विधेयक पेश किया था। जैसा कि होता है और पिछले कई वर्षों के दौरान होता रहा है यह उन सबसे अच्छा बजट है और उन्होंने अपने बहुत से पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों की अपेक्षा जनता के बहुत बड़े भाग को संतुष्ट किया है। आलोचना तो होती रही है और होती ही रहेगी। निर्धन और निर्धन हो रहे हैं और धनी लोग और धनी हो रहे हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह मुहावरा भी आम हो गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यदि मेरे मित्र को इस तरफ भेज दिया जाए, तब मैं सोचता कि वह मुझे तथा मेरे पक्ष के साथियों को उनकी आलोचना से बचाने के लिए क्या कर सकते थे। यदि

हम विपक्ष में होते, और मैं अपने साथियों के साथ कई वर्षों तक विपक्ष में रहा हूं, और मैं विपक्ष का नेता होता तो हमने क्या किया होता ? हम भी यही बात कहते । लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वह इतना ही कह सकते हैं कि वर्तमान वित्त मन्त्री ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं । यदि यही प्रश्न हम स्वयं से पूछें तब हम देखेंगे कि विपक्ष को सन्तुष्ट करना और आलोचना कम करना कितना कठिन है । विपक्ष भी होना चाहिए और आलोचना भी होनी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको हर समय विपक्ष का भय लगा रहता है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरे सभी माननीय मित्रों का एक ही सामान्य प्रश्न है । आप इस चोरबाजारी पर नियन्त्रण नहीं पा सके हैं । आप पश्चिमी बंगाल में इसे इस सीमा तक नहीं रोक पाये कि उन लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहयोग और सहायता दी जा सके । आप यह कार्य नहीं कर पाये हैं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इन्होंने चोरबाजारी को लाल बाजार में बदल दिया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है और इन 20 मिनटों में अपने विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा । इसलिए हमें इन चीजों को गम्भीर नहीं मानना चाहिए । इसमें संदेह नहीं है कि वर्तमान वित्त मन्त्री की किस्मत अच्छी है क्योंकि उनके कार्यकाल में अतिरिक्त खाद्य उत्पादन रहा है तथा पिछले तीन-चार वर्षों से हमारी सरकार के प्रयासों को विफल कर देने वाले सूखे के बावजूद और हमारे आयात तथा निर्यात, हमारी ऋण समस्या के सम्बन्ध में आज जो स्थिति है, उनके बावजूद वह और अधिक राशि उधार लेने से बच सके हैं और फिर भी इस देश में उन्होंने स्थिति को इस प्रकार से सम्भाल लिया है कि ये घमण्डी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन आश्चर्य करने लगे हैं कि भारत ने इतनी आत्म-निर्भरता कैसे प्राप्त कर ली है । इसके बाद, अब मैं अपने विषय के बारे में बोलना चाहूंगा । मेरे मतानुसार, वित्त मन्त्रालय को मुख्य आधार होना चाहिए, सरकार का मुख्य आश्रय बने रहना चाहिए । परन्तु, जब से योजना आयोग बना है, वित्त मंत्रालय की भूमिका कम कर दी गयी है । मैं इस प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि योजना आयोग वित्त मन्त्री के दाहिने हाथ की तरह कार्य करे । चूंकि हमारी मौजूदा कार्यप्रणाली के अन्तर्गत वित्त मन्त्री महोदय इस सदन में ही बैठे हैं, इसलिए वह जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम किन चीजों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं । करों, आन्तरिक ऋणों, बाह्य ऋणों और थोड़े से घाटे की अर्थ-व्यवस्था आदि के जरिये जितनी कुल राशि वित्त मन्त्री के पास होगी, उसे ध्यान में रखते हुए उनके लिए यह जानना सम्भव होना चाहिए कि वे आवश्यकताओं को और इस सदन के विभिन्न वर्गों की इच्छाओं की कैसे पूर्ति कर सकते हैं। योजना आयोग यह नहीं कर पायेगा । मैं इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन चाहता हूं ।

अब मैं प्रैस और कृषकों की ओर आता हूं । अंग्रेजी के बहुत से भद्र दैनिक समाचार-पत्रों में और स्थानीय भाषाओं के अनेक समाचार-पत्रों में बहुत से घमण्डी लोग कृषकों का गला काटने के प्रयास कर रहे हैं और यह कहते फिर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त धन बहुत है । ऐसा क्यों

[प्रो० एन० जी० रंगा]

है कि कोई भी वित्त मन्त्री इस बात को नहीं समझता कभी-कभी विपक्ष के माननीय मित्र भी यही गलती कर बैठते हैं। वे यह बात भूल जाते हैं कि आज हमारे गांवों में, जहां तक व्यावसायिक लोगों का सम्बन्ध है, प्रत्येक एक हजार कृषि उत्पादकों, स्व-नियोजित किसानों में से, ऐसे लोग पांच से अधिक नहीं हैं जो मेरे माननीय मित्र द्वारा कर से दी गयी छूट वाली अधिकतम आय के कहीं निकट आते हों। शायद अब यह आय 10,000/- रुपए है, इसमें यूनिटों में लगायी गयी राशि, विभिन्न शेयरों में लगायी गयी राशि, बैंकों में निर्धारित जमा राशि भी शामिल है, जिसमें कर से छूट है। यह आय लगभग 2000/-रुपए प्रति माह बनती है इससे कम नहीं। शायद इससे कुछ अधिक। इतनी आय वाले कृषक कहां हैं। फिर भी हमें इस दबदबे वाली और शक्तिशाली प्रैस तथा शक्तिशाली संसदीय समर्थकों का सामना करना पड़ता है। लोगों के इस दृष्टिकोण के प्रति मैं अपना विरोध व्यक्त करना चाहता हूं। मैं विशेषत: योजना आयोग से यह चाहता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें यह गलत फहमी न हो कि गांवों में बहुत सा फालतू धन है और इसे इकट्ठा करने और इसके दोहन के लिए वित्त मन्त्रियों को विभिन्न उपाय करने चाहिए।

कीमतों के बारे में क्या हो रहा है? यह बात सही है कि पिछले पांच-छ: वर्षों से गेहूं, चावल, कपास, तम्बाकू और गन्ने के मूल्य बढ़ रहे हैं। वित्त मन्त्री, कृषि मन्त्री तथा अन्य मन्त्री जिनका इन बातों से सम्बन्ध है, यह समझते हैं कि वे किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत नहीं है। निश्चित रूप से वे हमारे कृषकों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक तरीके से पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। किन्तु इतना ही काफी नहीं है। उनका विचार है कि वे उन्हें लाभप्रद मूल्य दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक तरीके से उनका यह सोचना उचित है कि वे उनकी खेती की लागत की पूर्ति कर रहे हैं। यह बात मानने के लिए मैं तैयार हूं। उनका यह भी विचार है कि कृषकों को कुछ प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। परन्तु ये प्रोत्साहन कुछ अधिक नहीं हैं। उर्वरकों, कीट-नाशक दवाइयों तथा इस प्रकार की अन्य चीजों में राज-सहायता देकर वे समझते हैं कि वे सभी किसानों की सहायता कर रहे हैं और इसीलिए कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। मूल्य निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, जहां तक उपभोक्ताओं का सवाल है, इस मूल्य स्तर पर कीमतें इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु, हर एक किसान इन उर्वरकों और कीट-नाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता। दुर्भाग्य से गंगा घाटी के लाखों लोग इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए, उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में यही हो रहा है; राजस्थान में भी यही स्थिति है। कुछ एक प्रगतिशील क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, कुछ हद तक आन्ध्र, इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में कृषक इन उर्वरकों और कीट-नाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य लोग इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

कृषि मूल्य निर्धारित करते समय क्या आधार माना जाना चाहिए? किस आधार पर ये कृषि मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए। एक तरफ तो दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रकारों तथा उद्योगपतियों के अति कुशल जन-सम्पर्क अधिकारियों के जरिए वे कहते हैं, जैसाकि मैंने शिकायत

की है, कि इन्दिरा जी किसानों को चुनावों आदि को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक सहायता दे रही हैं। सर्वप्रथम, चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोगों के बारे में सोचना गलत नहीं हो सकता। इस पर, उन लोगों का प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। दूसरे, वास्तविकता यह नहीं है। हमने कहां से शुरू किया था? हमने अकाल स्तर के मूल्यों से प्रारम्भ किया था, इसके बाद मजबूरी में बिक्री मूल्य आए—हमेशा ही किसान के साथ पक्षपात बरता गया। इस स्तर से मूल्यों ने धीरे-धीरे बढ़ना शुरू किया था। श्री सी० सुब्रह्मण्यम के कार्यकाल के दौरान और बाद में श्री वेंकटरमन और अब हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री के समय ये मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्दिरा जी की सरकार की नीति में जो सद्भावना दिखाई जा रही है उसके लिए धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना किसी कारण इन्दिरा जी का समर्थन करने का विचार किया है। मैं स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी उन सरकारों का, जिनका नेतृत्व उस कठिन समय में, जबकि यहां अंग्रेज मौजूद थे, मेरे अपनी साथियों ने किया था, कट्टर विरोधी रहा हूं क्योंकि उनका दृष्टिकोण कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के अनुकूल नहीं था। लेकिन इन्दिरा जी की बात दूसरी है। मैंने देखा कि वह किसानों के लिए भी काम करती हैं। इसीलिए मैंने उनका समर्थन करने की सोची। लेकिन वह असहाय हैं। वह योजना आयोग और वित्त मन्त्री के हाथों विवश है। और इससे अधिक वह इस प्रैस तथा बुद्धि-जीवियों, व्यवसायिकों, अर्थशास्त्रियों तथा छद्मवेश में अप्रत्यक्ष रूप में कम्यूनिस्ट पार्टी के मेरे मित्रों के वश में हैं। क्योंकि सरकार जो कुछ कर सकती है, हम उसमें भागीदार है : और ये साम्यवादी और औद्योगिक श्रमिक पेशे से ही इतने संगठित हैं कि जब कभी अतिरिक्त आबंटन मिलने की बात होती है। उन्हें पहला हिस्सा मिलता है और हमारा पंक्ति में अन्तिम स्थान होता है। इस तरह से यह सब हो रहा है। इसलिए इन्दिराजी इस सरकार और किसानों को जो कुछ देने में समर्थ हैं, कृषक उससे सन्तुष्ट नहीं हैं, सबसे कम संतुष्ट कृषक ही हैं। हम अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करके उत्पादन की स्थिति में सुधार कैसे ला सकते है? हम कटाव-विरोधी उपायों को प्रोत्साहन देकर मल व्यजन सुविधाएं देकर ऐसा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आप उनसे पूछ सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : सबसे बड़ी बात यह है कि हम भूमि का अच्छा उपयोग करें। एक फसल उगाने की बजाय हम दो फसलें उगाएं। ऐसा करने पर आपको दुगुना लाभ मिल सकता है, दो फसलें मिल सकती हैं और इसके साथ ही श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन पैसे के बिना आप यह सब काम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री यादव ने अभी कहा कि बौद्धिक स्तर उठाए बिना यह सब हो सकता है। लेकिन क्या हमारी शिक्षित जनता का बौद्धिक स्तर बढ़ने पर उनकी कार्यक्षमता भी नहीं बढ़ जायेगी हमें प्रारम्भिक शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा है प्रौढ़ शिक्षा का। तीसरा मुद्दा है दूरदर्शन और आकाशवाणी का। मैं आकाश-वाणी तथा दूरदर्शन की और विशेष रूप से आकर्षित हूं। मैं चाहता हूं कि इसका विकास किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि इसके लिए जितना सम्भव हो धन दिया जाए। मैं आपके राज की एक बात बताता हूं। मुझे यह कहना चाहिए कि प्रधान मन्त्री को वित्त मन्त्री, योजना मन्त्री और अन्य कई लोगों से कहना पड़ा कि दूरदर्शन के लिए 20-25 करोड़ रुपया दिया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 63 करोड़ रुपए से अधिक ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इतना भी पर्याप्त नहीं है । मैं चाहता हूं कि विपणन में सुधार हो । इस मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं । किसी समय मैंने यह कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा कराए जाने के लिए कहा था । लेकिन ऐसा नहीं किया गया है ।

मैं सम्भवत: अधिक समय ले रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है लेकिन जहां तक सम्भव होगा मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा ।

महोदय मैं चाहता हूं कि राज्य कृषि मूल्य आयोग में अच्छा प्रतिनिधित्व चाहता हूं; भूमिधर कृषकों, छोटे किसानों, यहां तक कि खेतीहर मजदूरों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । यदि खेतिहर मजदूर होगा, तो वह न्यूनतम वेतन पर बल देगा । एक बार न्यूनतम वेतन की अनुमति दे दिए जाने के बाद वह उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जायेगा, और उत्पादन-लागत हिसाब लागते समय उस पर भी विचार करना होगा । मैं चाहता हूं कि छोटे किसानों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूं कि प्राकृतिक विपदाओं से भी उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । फसलों का बीमा किया जाना चाहिए । कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं । उतना पर्याप्त नहीं है । प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर किए जाने चाहिए, जिसमें पूरी फसल का बीमा किया जाये । क्या हम वैसा करने जा रहे हैं ? हमें उनका बीमा करना होगा । यह हमारी सरकार है । इसकी आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है । लघु तथा सीमांत कृषकों की सहायता की जानी चाहिए । अन्यथा हम अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहेंगे ।

मैं चाहता हूं कि विपणन विशेषज्ञ इसकी जांच करें । वस्तुओं के मूल्य स्थिर बनाए रखने होंगे । यह काम कौन कर सकता है ? राज्य व्यापार निगम को राज्य तथा केन्द्र स्तर पर यह करना होगा । वे उस दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं । उनके काम को कई गुना बढ़ाना होगा और इसके लिए पर्याप्त धन देना होगा । उसके लिए ऋण की आवश्यकता है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इतनी धन राशि दी जानी होगी और इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र, श्री पुजारी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं । वह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ-साथ वित्त मन्त्रालय के लिए भी कार्य कर रहे हैं, वह बैंक अधिकारियों को निदेश दे रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं और यदि कोई भारी चूक करता है तो उसे दंड दे रहे हैं । वह अपनी तरफ से अच्छा काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा वह अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण रख रहे हैं । वह उन अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, जो अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि अपने मन्त्रालयों में इसमें भी वैसा ही काम करना चाहिए जैसा कि बैंकों के लिए वह कर रहे हैं । मैं यह अवश्य कहूंगा कि मेरे मित्र, वित्त मंत्री बड़ी कठिनाई में हैं । वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक द्वारा तंग किया जा रहा है और वे कह रहे हैं कि—"ओह ! आप चाहते हैं कि कृषकों के लिए इतना अधिक धन दे दिया जाए । इससे मुद्रा-स्फीति हो सकती है ।" उसका तीन चौथाई हिस्सा काला धन हो जाता है । विपक्ष के मेरे कम्युनिस्ट मित्र शिकायत कर रहे हैं । क्या मैं यह कहूं कि केवल फसल मौसम में ही नहीं अपितु फसल काटने और बेचने तथा बीज बोने और फसल काटने के बीच की

अवधि के दौरान हमें अपने कृषकों को कई हजार करोड़ रुपये देने की व्यवस्था करनी होगी ? उपभोक्ता ऋण बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इसे यथा सम्भव अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे कि इस दिशा में कुछ बहुत प्रभावी कार्य किया जाये।

हम अपने कृषि उत्पादों जैसे - तम्बाकू, कपास, पटसन, चीनी, फल, फूल, आलू, प्याज और अन्य कई वस्तुओं का निर्यात करते हैं। जब तक हमारे व्यापार आयुक्त जागरूक और सक्रिय नहीं, होते हम यह काम कैसे कर सकते हैं जब तक विभिन्न विपणन महासंघों को पैसा नहीं दिया जाता, तब तक कोई प्रभावकारी कार्य नहीं हो पाएगा। केवल उतना ही नहीं, इसके लिए निचले स्तर पर सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए। उनका गठन केवल समाज कल्याण की दृष्टि से ही नहीं अपितु वित्तीय दृष्टि से भी किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इसे अपना एक विशेषाधिकार तथा कर्त्तव्य समझेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ये सहकारी विपणन समितियां लगभग हर तरह की फसल के लिए प्रारम्भ से ही गठित किया जाए। तत्पश्चात् अन्नभंडारों को लीजिए जिन्हें आप शीतागार और स्थायी भण्डागार कहते हैं इन सबका निर्माण करना होगा। उन्हें किसानों को देना होगा। भंडारन निगमों द्वारा बनाये गए गोदाम पर्याप्त नहीं है। किसान को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने फालतू उत्पाद भंडारन निगम के पास रखे और उनसे प्रमाणपत्र ले ले तथा अपने उत्पादन संबंधी अन्य कार्य करने के लिए उस आधार पर बैंकों से ऋण ले सके तथा उस समय तक इन्तजार करें जब तक उनका उत्पाद उपयुक्त मूल्य पर नहीं बिक जाता ऐसा नहीं किया जा रहा है। यदि हम इस तरह कार्य करें, तो अधिक से अधिक खुशहाली होगी।

हमारी रेलवे लाइन 1 लाख मील की दूरी तक फैली हुई है और रेलवे लाइनों की दोनों ओर लाखों एकड़ जमीन है। मेरे मित्र पूछ रहे थे कि कृषि कार्य के लिए और भूमि कहां है। वह भूमि ये हैं। यह भूमि खेतीहर मजदूरों को दी जानी चाहिए। वास्तव में, ऐसा किया गया है। लेकिन रेल मंत्री इस भूमि को अधिक मूल्यों पर बेचना चाहते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उनका कहना है कि उन्हें धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह अनुमति देने के लिए कि यह भूमि कृषकों को दी जाए पर्याप्त धन का प्रबन्ध करें। इसी भांति राज्य मंत्री को यह देखना होगा कि भूमि सुधार तुरन्त किया जाए और उनके पास जो भी फालतू जमीन है वह कृषकों को दे दी जाए।

साथ ही हमारे किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने का भी प्रश्न है। उन्हें अच्छे औजारों और नवीनतम मशीनों का उपयोग करने की शिक्षा दी जाए। उन्हें प्रशिक्षण दीजिए और इन सब मशीनों के लिए सहकारी समितियां बनाइए तथा इन मशीनों को बहुत किफायती दरों पर लघु एवं सीमांत कृषकों को भी उपलब्ध कराइए। कुछ हद तक वित्त मंत्री राज्य के वित्त मंत्रियों को इन नवीनतम मशीनें उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहायता देने के लिए राजी करा सकते हैं। यदि हम इस तरह से काम करेंगे तो हम अपने कृषि उत्पादन को दुगुना कर सकते हैं। यदि हम वैसा करते हैं तो हमारे पास लोगों को वितरण करने लिए भी कुछ होगा।

वह गरीबी की बात करते हैं। जी हां, जब मेरे वर्तमान नेता ने नारा लगाया, तो आरम्भ

[प्रो० एन० जी० रंगा]

में हम में से अधिकांश लोगों को संदेह हो रहा था । हमने सोचा कि यह केवल चुनाव की एक चाल है । बाद में हमने महसूस किया, जैसा कि 1970 के चुनावों के पश्चात हुआ था, कि जहां तक हमारे करोड़ों मतदाताओं का सम्बन्ध है, उन्होंने इसे चुनाव की चाल के रूप में नहीं लिया, उन्होंने इसे भारत की प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए एक गम्भीर प्रस्ताव के रूप में लिया। तदुपरान्त उन्होंने उन्हें प्रबल बहुमत दिया, उनका समर्थन किया । जब से वे उनका समर्थन कर रहे हैं, तब से प्रधानमंत्री भी इस दिशा में निष्ठा तथा ईमानदारी से, जहां तक प्रशासन उन्हें सहयोग रहा है, कार्य कर रही हैं । और आप जानते हैं कि हमारे देश का प्रशासन बहुत बड़े निहित स्वार्थों की मुट्ठी में है । हम महाराजाओं तथा जमीदारों को समाप्त करने में सफल रहे, लेकिन क्या हम प्रशासन से पीछा छुड़ा सकते है ? हम ऐसा नहीं कर सकते । क्या हम इन उद्योगपतियों तथा करोड़पतियों को समाप्त कर सकते हैं ? जी नहीं क्यों कि हमें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है । हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां हम सम्भवतः यह कह सकें कि हमें इन करोड़पतियों की, और उन सभी की जरूरत नहीं है। जिन्हें आप निजी उद्यम आदि कहते हैं । यहां तक कि चीन को भी शनैः शनैः इस दिशा में आना पड़ रहा है और वहां भी अधिकाधिक निजि उद्यम स्थापित होने लगे हैं । लेकिन रूस को प्रशासन का विकास करना पड़ा । बहुत आरम्भ में लेनिन को भी अपने प्रशासन को लेखा विधि पक्ष तथा लेखा परीक्षा पक्ष का विकास करने के लिए कहना पड़ा लेखा परीक्षा पक्ष तथा लेखा विधि पक्ष का अर्थ है कुशल कार्य तथा बौद्धिक कार्य । यह नौकरशाही का आरम्भ है । आप नौकरशाही के बिना नहीं चला सकते, लेकिन आपको इस नौकरशाही का सहयोग प्राप्त करना होगा, धमकाकर नहीं बल्कि उसी तरह जिस तरह मैंने विपक्ष से भी सरकार को सहयोग देने की अपील की है । उन्हें हमारे साथ सहयोग करना होगा । हमें इन बाधाओं का सामना करना है, हमें उनसे निपटना है, हमें उन्हें राजी करना है, वे हमारे ही भाई-बहिन हैं और उनके सहयोग से हमें आगे बढ़ना है । मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री को यह एक बार नहीं कई बार कहना पड़ा कि सभी बैंक कर्मचारी सुसंगठित हैं । उनके सहयोग के बिना हम निर्धन लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं करा सकते । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री किस सीमा तक नौकरशाही पर आश्रित हैं । वित्त मंत्री सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते हैं । हम जानते हैं कि वे कितने शक्ति शाली हैं । हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है । विपक्ष के मेरे मित्रो, मैं आपसे भी इस सहयोग की अपील करता हूं ताकि हम सभी एकजुट होकर आगे बढ़ सकें । यह ठीक है कि आप विपक्ष में हैं और ये मित्र सरकार में हैं । मेरे माननीय मित्र प्रो० दंडवते ने यह उत्तरदायित्व सम्भाला था, यह बहुत पुरानी बात नहीं है । यह कार्य कितना कठिन था ? उन्हें कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा, कितनी पपरेशानी उठानी पड़ी ? आज वह भाग्यवान व्यक्ति हैं । आज वह इन लोगों की खबर ले सकते हैं और उन्हें अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक मंत्री होने के नाते जो कठिन परिश्रम उन्होंने किया था उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है । और अब ये मित्र वही कष्ट उठा रहे हैं और यही कारण है कि मेरी उनके साथ सहानुभूति है, समर्थन है । मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र उनकी भुजाओं में अधिक शक्ति की कामना करने के लिए मेरे साथ आएं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से 1984-85 के वित्त विधेयक पर कुछ सुझाव दूंगा। इस वित्त विधेयक में दी गई कर रियायतों का अर्थ शास्त्रियों, उद्योगपतियों तथा आम जनता ने स्वागत किया है। अब व्यक्तिगत करों का बोझ हमारे गणतन्त्र के जन्म से लेकर अब तक का सबसे कम होगा। वित्त मंत्री के साहस तथा बुद्धि की प्रशंसा करनी होगी कि वह व्यक्तिगत करों को घटाकर उस स्तर पर ले आए जहां इससे पहल शक्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है, कठिन परिश्रम को फल मिल सकता है, तथा ईमानदारी से कर अनुपालन हो सकता है। इस वित्त विधेयक से कर चोरी को कम करने में सहायता मिलेगी।

अब मैं अपने संसाधनों के प्रबन्धन की ओर आता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में पूरी योजना अवधि के दौरान 21,302 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का अनुमान लगाया था। लेकिन पहले चार वर्षों में 22,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। छठी योजना में कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान था, लेकिन पहले चार सालों में केन्द्र तथा राज्यों का कुल घाटा 11,000 करोड़ रुपये है यह हमारे संसाधनों के कमजोर प्रबन्धन का एक उदाहरण है।

मैं यह दिखाने के लिए एक और उदाहरण दूंगा कि गरीबी पर भी हम कोई प्रभाव नहीं डाल सके हैं। विद्युत उत्पादन के मामले में हम योजना लक्ष्यों से काफी पीछे रह गए हैं। विद्युत उत्पादन में 2100 करोड़ यूनिट की कमी प्रगति में मुख्य बाधा है। 1983 में रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 211 लाख थी और इसमें प्रतिमास 1.6 लाख की दर से वृद्धि हो रही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार योजना लक्ष्य के एक तिहाई से भी कम की दर से बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री को चाहिए कि वह रोजगार पैदा करने में हुई इस भारी कमी के कारणों की जांच करें तथा इस सम्बन्ध में योजना लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

हमारे देश में सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। 1951 में देश में तीन चौथाई से अधिक कपड़ा उत्पादन मिलों में होता था। 1983 में मिलों में एक तिहाई से भी कम कपड़ा तैयार होता था। 1983 में मिलों ने जितना कपड़ा तैयार किया वह 1851 के उत्पादन से भी कम था। माननीय मंत्री इस बात की जांच करें कि उत्पादन में यह अत्यधिक गिरावट धन की कमी के कारण हुई है या यह इन मिलों के कुप्रबन्ध के कारण हुआ है। स्थिति की मांग है कि तुरन्त कार्यवाही की जाए ताकि कपड़े का उत्पादन बढ़े।

यह सभी जानने हैं कि गरीबी को किसी राजनीतिक भेद-भाव की दृष्टि से नहीं देखा जाता लेकिन, सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने के मामले में निर्धन लोगों में भेद-भाव करते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को सत्ताधारी दल की चुनाव सम्भावनाओं को सुधारने के लिए प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि केन्द्र में सत्ताधारी दल के सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों में दल के कार्य-कर्त्ताओं को वित्त उपमन्त्री के ऋण

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एस० टी० के० जक्कायन]

वितरण के सिलसिले में सिन्निकट दौरे की पूर्व सूचना भेज देते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि सत्ताधारी दल के समर्थकों से अधिक से अधिक ऋण आवेदन-पत्र एकत्रित करके बैंकों में प्रस्तुत करें। मुझे यहां के विश्वसनीय सूत्रों से यह मालूम हुआ है कि वित्त उपमंत्री मई, 1984 के तीसरे सप्ताह के किसी दिन तामिलनाडु के दौरे पर आ रहे हैं। सत्ताधारी दल के सभी कार्य-कर्त्ता उस दल के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों से ऋण आवेदन-पत्र एकत्रित करने में व्यस्त हैं। वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि वित्त उपमंत्री के आगमन से पूर्व सभी ऋण आवेदन-पत्रों की जांच आदि करवा ली जाए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वित्त उपमन्त्री के हाथों उन्हीं लोगों को ऋण वितरित कराए जाएं जो सत्ताधारी दल के समर्थक हों। यह गलत है। गरीबी हटाने में लोगों में ऐसा भेद-भाव करने की निन्दा की जाएगी। मुझे डर है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 1984-85 में आबंटित की गई 934 करोड़ रुपए की राशि भी उन्हीं लोगों के हित के लिए खर्च की जाएगी जो सत्ताधारी दल का समर्थन करते हैं।

चूंकि केन्द्र सरकार के कुल कर राजस्व का 81% उद्योगों से प्राप्त होता है, यह बहुत आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के रास्ते की सभी बाधाएं तुरन्त हटाई जाएं। मेरा सुझाव है कि उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में मौजूदा प्रतिबन्धों तथा विनियमों में राज्यों को कुछ ढील दी जाए ताकि वे औद्योगिक प्रगति में सक्रिय रुचि लें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि छठी योजना के अन्त तक औद्योगिक विकास के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं। हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा-निवृत्त अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां बन्द कर देनी चाहिए। हमें देश में औद्योगिक वातावरण तैयार करना है। हमें एक औद्योगिक संवर्ग तैयार करना चाहिए ताकि हमारे सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को चलाने के लिए हमें प्रतिभाशाली लोग मिल सकें।

जून, 1982 के अन्त में 439 बड़ी इकाइयां रुग्ण थीं तथा उनकी ओर बकाया बैंक ऋण 1728.40 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, 26,973 लघु इकाइयां भी रुग्ण थी और उनसे 393.67 करोड़ रुपए के बैंक ऋण बकाया थे। उद्योगों से 81% कर राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें उन्हें उचित समय पर वित्त उपलब्ध कराना होगा। केवल तभी हम देश में बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता को रोक सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का वित्त विधेयक समय के अनुसार बदलता रहता है। चुनाव-पूर्व का वित्त विधेयक वाह-वाही लूटने वाला है तथा चुनावोपरान्त के वित्त विधेयक में सत्ताधारी सरकार के लिए सभी प्रकार की फिजूलखर्ची की गुंजाइश रहती है। यह वाक्य ही हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता के लिए सहायक नहीं है हमारे स्वर्गीय पेरारिगनार अन्ना कहा करते थे कि वित्त विधेयक समतावादी समाज के युग में पहुंचने का एक प्रबल साधन होना चाहिए। हमें यह अवश्य सुनिश्चत करना चाहिए कि केन्द्र सरकार के वित्त विधेयक में ऐसे राजनेताओं की भावनाएं वास्तविक रूप से प्रतिबिम्बित होनी चाहिए।

महोदय, मुद्रा-स्फीति पर काबू पाने के लिए धन के प्रसार को रोकना होगा तथा गैर-योजना

खर्च में काफी कटौती करनी चाहिए। तभी हम बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति पर कुछ रोक लगाने में सफल हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार माननीय वित्त मंत्री गैर-योजना व्यय पर अंकुश लगाने के तरीके निकालेंगे।

इससे पहले कि अपना भाषण समाप्त करूं, मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा हमारे प्रिय नेता डा० पुरात्थी थालायवार थीरू एम०जी० रामचन्द्रन की पौष्टिक भोजन योजना की विश्व बैंक के विशेषज्ञों तथा जगत-प्रसिद्ध मदर टेरेसा ने सराहना की है मैं चाहता हूं इस स्कीम को योजना स्कीम माना जाए और इसके लिए आवश्यक धन राशि प्रदान की जाए। आजकल उच्च राखयुक्त कोयले की सप्लाई के कारण तामिलनाडु के ताप बिजली संयंत्र अपनी पूर्ण प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इन ताप बिजली संयन्त्रों की पूर्ण प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक उच्च-श्रेणी के कोयले का आयात किया जाए तथा उसकी सप्लाई की जाए। तामिलनाडु सरकार को ऐसा करने की अनुमति दी जाए। केन्द्र सीमेन्ट का आयात कर रहा है। इसी प्रकार अच्छी किस्म के कोयले का निर्यात भी किया जा सकता है तथा इसे तामिलनाडु में विद्युत की बढ़ती हुई कमी से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है। मेरा यह भी सुझाव है कि केन्द्र सरकार की होगेनाकल ताप-विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में कर्नाटक सरकार से बात-चीत करनी चाहिए। होगेनाकल ताप विद्युत परियोजना के शीघ्र पूरा होने से तातिलनाडु तथा कर्नाटक दोनों राज्यों को लाभ होगा। इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के लिए तामिलनाडु सरकार कर्नाटक सरकार की सहमति की प्रतीक्षा कर रही है यह शीघ्र किया जाना चाहिए और इस कार्य के लिए माननीय वित्त मंत्री के प्रभाव का उपयोग किया जाना चाहिए। बार-बार आने वाली बाढ़ तथा देश के विभिन्न भागों में पड़े लगभग बारहमासी सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत सहायता प्रदान करने के लिए मेरा सुझाव है कि एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना की जाए ताकि तुरन्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश में योजनाएं बनीं और देश का विकास हुआ, वह वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है। हमारे अपोजीशन दल जब भी हम कोई बिल यहां लाते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं तो वे उसमें चुनाव की बात करते हैं मैं समझता हूं कि हमारी विरोधी पार्टियों के पास विरोध का केवल यही एक हथियार रह गया है, न इसके पास कोई योजना है, न कोई दिशा है। इस देश में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसने हमारी पांच साला योजना को ही खत्म कर दिया और उसके स्थान पर एक रोलिंग प्लान लाए। जिसके कारण हमारी विकास की गति को गहरा धक्का लगा और वह रुक गई। अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बैंकों से सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोगों को ही फाइनैंसिंग की जाती है। मुझे पता नहीं कहां से ये तथ्यों को उठाकर लाते हैं और लोगों के मन में इस तरह की भावना ठोंसते हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी योजना में बुनियादी सिद्धांत तय हैं, हमारा लक्ष्य समाज का सबसे पिछड़ा हुआ आदमी है

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

जिसको आगे लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए हमारी योजनाएं बनी हैं। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की नीतियों का उद्देश्य गरीब लोगों को ऊपर उठाने का है। उपाध्यक्ष महोदय, जब देश में 1982-83 के दौरान सूखा पड़ा तो उसके लिए हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपये सहायता के तोर पर खर्च किए। जहां लोगों के पास रोजगार नहीं था, हमने रोजगार उपलब्ध कराया, जहां पीने के पानी की कमी थी, वहां पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि तमिलनाडु और मद्रास में तो हमें रेलवे के जरिए पानी पहुंचाना पड़ा। ये सारे काम कितनी जवाबदारी के हैं। ऐसा काम हमने पहली बार किया। जब वहां पानी गया तो वहां की सरकार कहने लगी कि यह इन्दिरा जी की सेल है और उन्हीं का पानी है हो सकता है कि इस पानी के पीने से कुछ परिवर्तन आ जाय। हमारी पार्टी का उद्देश्य सेवा है और उसी भावना से मद्रास के लोगों की सहायता की।

हमारा जो आर्थिक ढांचा है वैसा ढांचा दुनिया के किसी देश में नहीं है। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो तो लोग खुशी जाहिर करते हैं, स्कूल बने, सिंचाई व्यवस्था हो, बिजली हो, शिक्षा हो तो लोगों में उत्साह पैदा होता है। दुनिया के किसी देश में चाहे वह कम्युनिस्ट मुल्क हो या पूंजीवादी व्यवस्था का देश हो, कहीं भी ऐसा ढांचा नहीं है जो हमें जवाहर लाल जी ने दिया और हम उसी पर चल रहे हैं। उससे अलग नहीं जाते। पहले कई ऐसे गांव थे जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज छोटे-छोटे गांवों में हैंड पम्प लगे हैं जहां महिलाओं को आप सड़क से जाते समय पानी भरते पायेंगे।

दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ मैं एक सभा ऐड्रेस करने गया। मेरे पहले एक अपोजीशन लीडर की सभा थी जिन्होंने कहा कि एशियन गेम्स हुए उस वक्त यह पुल बने जिन पर करोड़ों रु० खर्च हुआ जबकि लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है। मैंने वहां के लोगों से पूछा क्या खिलाड़ी इस रास्ते से गुजरे थे ? तो वहां के गरीब लोगों ने कहा कि उन्हें इस पुल के बनने से बहुत आराम हुआ। तो इस तरह से विरोधी दल देश में भ्रान्ति फैला रहे हैं और देश में आए हुए खुशहाली के माहौल को रोकना चाहते हैं। देश की जनता उनको जानती है कि इनका काम केवल विरोध करना ही है, लोगों को सही रास्ता दिखाना नहीं है।

देश में किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर फर्टिलाइजर हमने दिया जिससे उनमें खुशहाली आ रही हैं। वह मकान बनाने और खेत में कुआ बनाने की बात सोचते हैं, और अगर पैसा बच जाता है तो बदरीनाथ और तिरुपति यात्रा की बात सोचते हैं। हम अपने देश में काफी अनाज पैदा कर रहे हैं, किसानों को खेती उन्नति के लिए लोन दे रहे हैं, बिजली के लिए पैसा दे रहे हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन यहां एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आपने किसान के माल का दाम तय किया है उसी तरह से उसके काम में आने वाली जो कारखानों से बनी हुई चीजें हैं उनका भी दाम सरकार तय कर दे। अगर ऐसा होता है तो किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी होता यह है कि जब वह बाजार में अपनी जरूरत का सामान लेने जाता है जो उद्योग धन्धों द्वारा बना हुआ है तो वह सामान उसको महंगा मिलता है जिससे उसे बड़ी तक्लीफ होती है। अत: ऐसी चीजों की आप प्राइस फिक्स करें।

रतलाम, मंदसौर और राजस्थान के एरिया में अफीम पैदा होती है और इस साल ऐसी विपत्ति हो गई कि हमारे किसानों की वह सारी की सारी अफीम जल गई। ऐसा कानून है और हमारे वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन अगर वह पूरी अफीम नहीं देते हैं तो अगले साल उनके पट्टे काट दिये जाते हैं। अफीम कीमती चीज है, इसकी खेती में किसान को बहुत सारी मेहनत और पैसा लगाना पड़ता है। उन पर जो विपत्ति आई है, उनकी जो फसल नष्ट हुई है, मैं चाहता हूं कि उनको किसी तरह से राहत दें और अगले साल के उनके पट्टे नहीं काटे जाने चाहियें। उस एरिया में वह और तेजी से इसकी खेती को डैवलप करना चाहते हैं। आप इंटरनेशन मार्केट की बात करते हैं, लेकिन हमारे किसानों को किस तरह से वह इसकी खेती को आगे बढ़ायें, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

अब हमारे देश में किसानों में जागृति पैदा हो गई है और वह सोचता है कि मैं जापान, अमेरिका और फ्रांस से पीछे नहीं रहूंगा यदि मुझे भी सुविधा मिले। आज सिंचाई की जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है, हम जानते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम सारी योजनाओं को एक साथ लेकर चल सकें लेकिन कुछ प्राथमिकताएं होती हैं जैसे मध्य प्रदेश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां सिंवाई का रकवा बहुत है, वहां आदिवासी, हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, वहां वह स्कीम लागू होनी चाहिएं और देखना चाहिए कि वहां के किसान कैसे आगे बढ़ें। वहां एक महती योजना सिंचाई की है वह 20 करोड़ रुपये से शुरू हुई थी, राज्य शासन ने उस पर 2,3 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है, लेकिन वह आज भी अधूरी है उसे पूरा किया जाना चाहिए।

पहले आदिवासी लोग, जंगलों के लोग खेती करना नहीं जानते थे, लेकिन आज श्रीमती इंदिरा गांधी की योजनाओं से वह खेती करने लग गये हैं। उनको लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्रायर्टी पर लेना चाहिए।

आप जानते हैं मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। अभी मेरे एक भाई बोले थे कि हमारे पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र हैं जहां रोड्ज नहीं बनी हैं, आवागमन का साधन नहीं है, वहां हमारे विकास की गति धीमी है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में रोड्ज जरूर जाने चाहियें। मध्य प्रदेश में सड़कों की बहुत बुरी हालत है।

मध्य प्रदेश इस देश का हृदय कहलाता है। जब हृदय कमजोर हो तो मनुष्य कैसे चल सकता है? मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो नेशनल हाई वेज हैं, स्टेट हाइवेज हैं उनकी हालत सुधारनी चाहिए और नये-नये रोड्ज बनाने चाहिए ताकि हमारे प्रदेश में विकास में गति आये।

मध्य प्रदेश में बहुत सारे खनिज हैं। वहां लोहा फारेस्ट है। नर्वदा आदि बहुत सारी नदियां हैं अगर उस प्रदेश में विकास किया गया तो वह बहुत अच्छा सुन्दर प्रदेश बन सकता है। हमारे आस-पास के लगे हुए प्रदेश को खनिज, उद्योग, फारेस्ट, एग्रीकल्चर के मामले में आगे बढ़ा सकता है। मेरा निवेदन है कि उस प्रदेश में गति लानी चाहिये।

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

अन्त में मैं वित्त मंत्री और आपका आभार मानते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा बिल वित्त मंत्री पहली बार लाये हैं जिसका सारे देश ने स्वागत किया है और यह बिल हमारे देश के विकास में और तेजी से गति लायेगा और हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा । जो लोग इसका

6.00 म० प्र० प०

विरोध कर रहे हैं, वे खुद खत्म हो जाएंगे । वे चुनाव की बात करते हैं और लोगों का असंतोष भड़काते हैं । लेकिन देश की जनता जानती है कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ इस देश का विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में उस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । भारत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 23 अप्रैल, 1984 को 11.00 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 अप्रैल, 1984/3 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, सेन मार्ग, दिल्ली-6

P.L.S.-48/47/40/84 (एन०)

© 1984 लोक सभा सचिवालय ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।